Thursday, 12 November, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-…
Fumigated
On 3-2-…
Parliament Library

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—4, गुरुवार, 12 नवम्बर, 1970/21 कार्तिक, 1892 (शक)

No.—4, Thursday, November 12, 1970/Kartika 21, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
91. पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन	Influx of Refugees from East Pakistan	1—8
93. जर्मन लोकतंत्रात्मक गण-राज्य से खराब ट्रैक्टरों की खरीद की जांच	Enquiry into purchase of Defective Tractors from German Democratic Republic	9
112. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गण-राज्य से आयात किये गये आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन	Inspection Reports in respect of RS 09 Tractors Imported from German Democratic Republic	9—10
119. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गण-राज्य से आयातित ट्रैक्टरों की मरम्मत और भारतीयों को उनकी मरम्मत का प्रशिक्षण देना	Removal of defects in Tractors Imported from GDR and Imparting of Training of Indians for their Repair	10—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
92. पूर्वी पाकिस्तान के विषय में आकाशवाणी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये राज-नैतिक दलों को आमंत्रित करना	Invitation to Political Parties to Participate in AIR Programme on East Pakistan	15—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
94.	गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकारों का दृष्टिकोण	Views of State Governments for Fixing Minimum Price of Sugarcane	17—18
95.	सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिये नियत आयातित खाद्यान्नों का कोटा	Quota of Imported Foodgrains Earmarked for drought Affected Areas	18
96.	आस्ट्रेलिया के सहयोग से कृषि अनुसंधान	Agricultural research in Co-operation with Austraila	19—21
97.	बेरोजगारी सम्बंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Unemployment	21
98.	संयुक्तराष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन का कैन्बरा, आस्ट्रेलिया में सम्मेलन	Conference of U. N. Food and Agriculture Organisation at Canberra, Australia	21—23
99.	कीड़ों तथा पौधों के रोगों से फसलों को क्षति	Damage to Crops due to Insects and Plant Diseases	23—24
100.	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के दोषपूर्ण ट्रैक्टरों का उसी देश के एक इंजीनियर द्वारा निरीक्षण	Inspection of Defective GDR Tractors by a GDR Engineer	24—25
101.	आकाशवाणी मद्रास के नाम को बदलना	Change in the Name of AIR Madras	25
102.	राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के लिये प्रेस परिषद् का क्षेत्राधिकार	Jurisdiction of Press Council for Entertaining Complaints against State Governments	26
103.	खाद्यान्नों का निर्यात	Export of Foodgrains	26
104.	फिल्मों की सेंसर सम्बंधी जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of Enquiry Committee on Film Censorship	26—27
105.	तिब्बती शरणार्थियों का लद्दाख में पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees in Ladakh	27
106.	फार्म सूचना कार्यक्रम	Farm Information Programme	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
107.	कलकत्ता में उचित अनुमति के बिना आटो टेलीफोन एक्सचेंजों को बन्द किया जाना	Closure of Auto Exchange at Calcutta without Proper permission	29
108.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार	Jobs for Educated Unemployed	29—30
109.	सामुदायिक विकास खंडों का कार्य	Functioning of Community Development Blocks	30
110.	विदेशी फिल्म निदेशकों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct For Foreign Film Directors	31—32
111.	एक उद्योग में एक संघ	One Union for One Industry	32
113.	आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभिन्न सरकारी समितियों से अपने मनोनीत सदस्यों को हटाने का निर्णय	AITUC Decision to withdraw its Nominees from various Government Committees	32—33
114.	चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन	Revision of Fourth Plan Foodgrains Targets .	33
115.	मैसूर राज्य के मंत्रियों के निजी निवास स्थानों पर लगे अनधिकृत टेलीफोन लाइनों का काटा जाना	Disconnection of Unauthorised Telephone Lines in Private Residences of Mysore State Ministers	33—34
116.	कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली	STD system to Major Industrial Areas of Calcutta (West Bengal)	34—35
117.	पंजाबी रूपक चित्र तथा पंजाबी नाटक पर रोक लगाने की मांग	Ban demanded on a Punjabi Feature Film and a Play	35
118.	फिल्म वित्त निगम के अधीन सरकारी छविगृह भवन	Building of State owned Art Cinemas under Film Finance Corporation	35—36
120.	राष्ट्रीय खाद्य नीति में परिवर्तन की मांग	Demand for Change in National Food Policy	36

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
601. कृषि संपत्ति पर नियंत्रण करने का प्रस्ताव	Proposal for Control over Agricultural Property	36—37
602. गोंडा के किसानों द्वारा पंजाब के किसानों को काले बाजार मूल्यों पर रूसी ट्रैक्टरों की कथित बिक्री	Alleged Sale of Russian Tractors by Farmers of Gondia at Black Market Price to Punjab Farmers	37
603. चीनी का सुरक्षित भंडार	Buffer Stock of Sugar	37—38
604. साबरमती चावल से बीमारी फैलने के कारण हानि	Loss due to spread of Disease by Sabar-mati Rice	38—39
605. आकाशवाणी द्वारा संगीतज्ञों आदि के शिष्टमंडल का विदेशों में भेजा जाना	Delegations of Musician etc. sent Abroad by AIR	39—40
606. डाहोड, जिला पंचमहल में डाक व तार कार्यालय के नये भवन का निर्माण	Construction of New Building of P and T Office at Dahod, District Panchmahal	40
607. डाहोड, गुजरात के डाक व तार कर्मचारियों का आवास सुविधा	Housing Facility to P and T Employees of Dahod, Gujarat	40—41
608. बाढ़ के कारण गत तीन वर्षों में खरीफ की फसल की हुई क्षति	Loss to Kharif Crop during Last Three Years due to Floods	41
609. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा उन पर व्यय	Telephone Exchanges in Rural Areas and Expenditure Thereon	41
610. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सुविधाओं का उपलब्ध होना	Availability of T. V. Facilities in Urban and Rural Areas	42
611. बाढ़ के कारण डाक व तार विभाग को हानि	Loss to P and T Department due to Floods	42—43
612. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
613.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों को आवास सुविधायें	Housing Facilities for staff of Indian Agricultural Research Institute	43—44
614.	राष्ट्रीय संस्थान द्वारा चावल तथा गेहूँ उत्पादन राज्यों में प्रयोगिक अध्ययन करना	Pilot Study by National Institute in Rice and Wheat growing States	45
615.	टेलीविजन कर्मचारियों को पूना स्थित चलचित्र तथा टेलीविजन संस्थान में प्रशिक्षण	Training of T. V. Personnel at Film and T. V. Institute, Poona	46
616.	प्रत्याशित अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात	Export of Anticipated Food Surpluses	46—47
617.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक किलो घी वाले डिब्बे की बिक्री	Sale of one Kilogram Tin of Ghee by Delhi Milk Scheme	47
619.	श्रीलंका से आने वाले आप्रवासियों का निकोबार द्वीप समूहों में बसाना	Ceylon Repatriates Settled in Nicobar Islands	48
620.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में कमियां	Deficiencies in Central Board of Film Censore	48
621.	फालतू भूमि की बिक्री पर रोक	Ban on Sale of surplus Land	48—49
623.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	Workers Participation in Management of Public Sector Undertakings	49
624.	महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के उपभोक्ताओं द्वारा नारियल के तेल की अपमिश्रित किस्म का प्रयोग	Adulterated Variety of Coconut Oil used by Consumers in Maharashtra and Mysore States	49
625.	राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States Regarding Ceiling on Land	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
626.	सितम्बर, 1970 में आयोजित मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Minister's Conference held in September, 1970	50
627.	वर्ष 1971 तक भूमिहीनों को समूची बंजर भूमि का वितरण	Distribution of All Waste Land to Landless by 1971	50—51
928.	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत निर्यात के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Exports under International Sugar Agreement	51
629.	चम्बल घाटी में भूमि सुधार	Reclamation of Chambal Valley	52
630.	चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कारण मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी	Tightness of Money Market due to Nationalisation of Sugar Industry	52
631.	चीनी का संचित भंडार	Accumulated stock of Sugar	52—53
632.	रूस से आयातित ट्रैक्टरों की कथित खराब किस्म के बारे में जांच	Enquiry into Alleged Poor Quality of Tractors Imported from USSR	53
633.	हमारे लाखों लोगों के लिये नौकरियां	Jobs for Millions	53—54
634.	भूमि हथियाओं अन्दोलन में हथियाई गई भूमि	Land Grabbed during Land Grab Movement	54
635.	ऐसे रोजगार की व्यवस्था करने सम्बंधी योजना जिस में प्रति परिवार 100 रु० आय हो	Scheme to Provide Employment Yielding Rs. 100 per Family	54
636.	नई हिन्दी सलाहकार समिति का गठन	Setting up of New Hindi Advisory Committee	54—55
637.	राजस्थान में भूमिगत जल स्रोतों का सर्वेक्षण	Survey for Underground Water Resources in Rajasthan	55—56
638.	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्री, बिड़लाग्राम, बिहार में कर्मचारियों के मध्य झगड़ा	Workers' Clash in Bharat Commerce and Industry, Birlagram, Bihar	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
639.	महाराष्ट्र में चौथी योजना में नये रेडियो स्टेशनों की स्थापना	New Radio Station in Fourth Plan in Maharashtra	56
640.	सरकारी उपक्रमों द्वारा भारतीय, विदेशी तथा अर्द्ध-विदेशी विज्ञापन एजेंसियों को सरकारी विज्ञापन देना	Government Advertisements to Indian, Foreign and Semi Foreign Advertising Concerns by Public Undertakings	56–57
641.	भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत भूमिहीनों को स्वामित्व प्रदान करना	Grant of Ownership to Landless under Land Grab Movement	57
642.	दैनिक ट्रिब्यून के विषय में प्रेस परिषद् की राय	Press Council opinion on Daily Tribune	58
643.	डाक व तार विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन बसों में डाक ले जाने के लिये उनको भुगतान करना	Payment to Madhya Pradesh Roadways for Carriage of Mail of P and T Department	58
644.	सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म का राजस्थान सरकार को हस्तान्तरण	Transfer of Mechanised Farm, Suratgarh to Rajasthan Government	58
645.	बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma and Ceylon	59
646.	गोवा के मुख्य मंत्री द्वारा आकाशवाणी का बहिष्कार	Boycott of AIR by Chief Minister of Goa	59
647.	बेरोजगारी की समस्या हल करने की योजना	Plan to Solve Unemployment	59—60
648.	जुलाई, 1970 की वर्षा के उपरान्त राजस्थान के रेगिस्तान में उग्र भूकम्पों का अध्ययन	Study of Convulsive Movements of Rajasthan Deserts after rains in July, 1970	60–61
649.	समाचारपत्रों के मालिकों और कर्मचारियों के मध्य मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में विवाद के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण	Industrial Tribunal on Dispute between Newspaper Employers and Employees Regarding wage Board Recommendations	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
650.	केशोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum by Workers, of Kesoram Industries and Cotton Mills, Calcutta	61—62
651.	रुई के प्रति एकड़ उत्पादन का कम होना तथा रुई के फार्मों को आधुनिक बनाना	Fall in per Acre yield of Cotton and steps to Modernise Cotton Farms	62
652.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of staff in Industrial Training Institute in Delhi	62—63
654.	दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशिक्षकों का स्थानान्तरण	Transfers of Instructors in Delhi Industrial Training Institutes	63—64
655.	कतिपय समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों का न दिया जाना	Stoppage of Government Advertisements to Certain Newspapers	64
656.	पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के श्रमिकों को बोनस की अदायगी	Payment of Bonus to Jute Mill Workers in West Bengal	64—65
657.	सामुदायिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grants to Uttar Pradesh for Community Development	65
658.	भारत में फालतू खाद्यान्न	Food Surplus in India	65—66
659.	देश में सूखा की समस्या का समाधान	Solution of drought Problem in the Country	66
660.	पूर्व जर्मनी से आयात किये गये दोषपूर्ण ट्रैक्टर का आवंटन	Allotment of Defective Tractors Imported from East Germany	66—67
661.	चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में लघु कृषि विकास कार्यक्रम	Small farmers Development Agency Programme in Orissa during Fourth Plan	67—68
662.	वर्ष 1970-71 के दौरान रबी तथा खरीफ की फसल का अनुमान	Estimate of Kharif and Rabi Crop during 1970-71	68—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
663.	उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के त्यागपत्र से सम्बन्धित 28 सितम्बर, 1970 का आकाशवाणी बुलेटिन	AIR Bulletin of 28-9-1970 regarding Resignation by Chief Minister of UP	70
664.	पूर्वी जर्मनी से ट्रैक्टरों का आयात	Tractor Imports from East Germany	70—71
665.	चीनी के मूल्य तथा उत्पादन की समस्याओं की जांच करने हेतु आयोग	Commission to Enquire into Problems of Production and Price of Sugar	71
666.	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की रिपोर्ट	Report of Central Land Reforms Committee	71—72
667.	श्रीलंका का चीनी की सप्लाई के लिये अनुरोध	Request from Ceylon for Supply of Sugar	72
668.	चीनी के संचित भण्डारों का निपटान	Disposal of Accumulated Stocks of Sugar	72—73
669.	सांविधिक वेतन बोर्ड	Statuory Wage Boards	73
670.	राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द होना	Closure of Factories in West Bengal during President's Rule	73—74
671.	गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के लिये बारानी कृषि योजना	Dry Farming Scheme for Ghazipur, U. P.	74
672.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बारानी भूमि उपज जलपान गृह	Dry Land Cafeteria at Indian Agricultural Research Institute	74—75
673.	वर्ष 1971 के दौरान कृषि जनगणना	Farm Census during 1971	76
675.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों की प्रति परिवार व्यय के स्तर को बढ़ाने की मांग	ESI Doctor's demand to Raise Expenditure Per Family	76—77
676.	अनिवार्य न्याय निर्णय व्यवस्था का परित्याग	Abandonment of Compulsory Adjudication	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
677.	चौथी योजना के दौरान अन्तरस्थलीय तथा सामुद्रिक मत्स्य पालन के विकास के लिये आवंटन	Allocation for Development of Inland and Marine Fishery during Fourth Plan	77—78
678.	इन्डो-सोवियत समाचार विनिमय करार का नवीं-करण	Renewal of Indo-Soviet News Exchange Agreement	78—79
679.	कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Report of Agricultural Commission	79—80
680.	स्टेट कोआपरेटिव बैंकों के कार्यकरण में सुधार करना	Streamlining of working of State Cooperative Banks	80
681.	आकाशवाणी को एक निगम के रूप में परिवर्तित करना	Conversion of AIR into a Corporation	80—81
682.	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone Connections in Delhi	81—82
683.	त्यागराज नगर, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के एक दुग्ध केन्द्र का खोला जाना	Opening of a Milk Booth in Tyagrajnagar, New Delhi	82
685.	स्वर्गीय डा० आनन्दा कुमार स्वामी की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp on Late Dr. Ananda Coomaraswamy	83
686.	भारत तथा सोवियत रूस के बीच टेलेक्स सेवा	Telex Service between India and USSR	83
687.	प्रैस परिषद् अधिनियम का संशोधन	Amendment of Press Council Act	83—84
688.	भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत हथियाई गई मंत्रियों की भूमि	Lands of Ministers Seized under Land Grab Movement	84
689.	चण्डीगढ़ के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Telephone Advisory Committee for Chandigarh	84—85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
690.	गैर-सरकारी फर्मों द्वारा टेलीविजन केन्द्र की स्थापना	T. V. Centre by Private Firms	85—86
691.	शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगाना	Ban on Tiger Shooting	86
692.	शेरों की संख्या तथा उनके द्वारा पशुओं का उठाया जाना	Tiger Population and Cattle Lifting by them	86—87
693.	बिजनौर, उत्तर प्रदेश के हरगुनपुर के डाकखाने में बचत बैंक डिपोजिट से गबन की जांच	Enquiry into Embezzlement of Saving Banks Deposit in Post Office Hargunpur, Bijnor, U. P.	87
694.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायत राज संस्थान का अध्ययन करने सम्बंधी आयोग का गठन	Commission set up to study Community Development Programme and Panchyati Raj Institution	88
695.	वर्ष 1970-71 में ट्रांसमीटरों की स्थापना	Installation of Transmitters during 1970-71	88
696.	बचत बैंक तथा पैंशन भुगतान की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	Facility of Savings Bank and Payment of Pension from Extra Departmental Branch Post Office	88—89
697.	पंजाब में खाद्यान्न गोदामों में गेहूँ का कथित गोलमाल	Reported Bungling of Wheat in Food grain Godowns in Punjab	89
698.	आस्ट्रेलिया से भेड़ों का आयात	Import of Sheep from Australia	90
690.	वासभूमिहीन व्यक्तियों को भूमि पट्टे का अधिकार देना	Confernment of Right of Tenure on Landless people having no Homestead Land	90
700.	टाइम्स आफ इन्डिया को रूसी दूतावास द्वारा दिया गया ऋण के रूप में अखबारी कागज	Loan of Newsprint by USSR Embassy to Times of India	90—91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
701.	जे० के० नगर (पश्चिम बंगाल) की एल्यूमिनियम मजदूर यूनियन की मांगें	Demands of Aluminium Mazdoor Union of J. K. Nagar (West Bengal)	91
702.	खारे पानी से प्रयोगात्मक सिंचाई	Experiment in Saline Irrigation	91—92
703.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान की दर में वृद्धि	Rise in Rate of Contribution to ESIC	92—93
704.	कुर्ग में संतरों की डाई बैंक नामक बीमारी	Die Back Disease of Oranges in Coorg	93—94
705.	लकड़ी का उत्पादन तथा इंधन के लिये इसका प्रयोग	Production of Timber and its use for Fuel	94
706.	केन्द्रीय मछली पालन निगम को समाप्त किया जाना	Winding up of Central Fisheries Corporation	95
707.	बाढ़ के कारण राज्यों में फसलों को क्षति तथा खाद्य उत्पादन पर इसका प्रभाव	Damage to Crops in States due to Flood and its Effects on Food Production	95—96
708.	राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये तराई इंडियन प्लांटर्स एसोशिएशनों द्वारा अनुरोध	Request by Terai Indian Planters' Association for Supply of Foodgrain at Subsidized Rates	96
709.	रूस से जेब मे रखा जा सकने वाला वायरलैस टेलीफोन "रिको 60" का आयात	Import of Pocket Size Wireless Telephone 'Riko 60' from USSR	96—97
711.	आकाशवाणी का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to Ensure Impartial working of All India Radio	97
712.	पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं	Relief and Rehabilitation Facilities to East Bengal Refugees by State Governments	97—98
713.	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान हुई हड़तालें	Strikes in West Bengal under President's Rule	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
714.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिल्ली क्षेत्र के किसानों को घटिया बीजों की सप्लाई	Supply of Sub-standard Seeds by National Seeds Corporation to Farmers of Delhi Region	8
715.	श्रीमती इन्दिरा गांधी पर फिल्म	Film of Shrimati Indira Gandhi	99
716.	राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये धन	Funds for Improving Irrigation Facilities in drought Affected Areas in States	99
717.	आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये अनुरोध	Request from Andhra Pradesh Cane Growers for Fixation of Sugar Cane Price	99—100
718.	श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम	Workers Education Programme	100
719.	कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी न करने पर इन्दौर मालवा युनाइटिड मिल्स के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Proceedings against Indore Malwa United Mills for Default of Payment of Employees Provident Fund	100—101
720.	श्रमिकों के लिये परिवार पैंशन तथा बीमा	Family Pension cum-Insurance for Workers	101
721.	वर्ष 1970-71 की फसल के बारे में खाद्य नीति	Food Policy for 1970-71	101
722.	चीनी उद्योग के कार्य संचालन की जांच करने के लिये आयोग	Commission to Enquire into Working of Sugar Industry	102
723.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से चावल की फसल की क्षति और उसके उत्पादन मूल्य में गिरावट को रोकने के हेतु किए गए उपाय	Damage to Rice Crops of West Bengal due to Floods and Steps to prevent Shortfall in Production of Rice	102—103
725.	दिल्ली में सिंचाई साधन युक्त क्षेत्र और उसके लिये ऋण	Irrigated Areas in Delhi and Loans therefor	103
726.	बम्बई में लेटर बाक्स को कूड़े दान के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाने के लिये कार्यवाही	Steps to Check use of Letter Box as Garbage Bin in Bombay	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
727.	कृषि विषयक जानकारी एकत्र करने की योजना	Scheme for Collection of Agricultural Information	104
728.	बटाइदारों की समस्या	Problem of Share Croppers	104
729.	भूमि सुधारों सम्बन्धी समस्याएं	Problems of Land Reforms	104
730.	जंगली ढोरों को पकड़ने के लिये केरल को सहायता	Aid to Kerala for Catching Wild Cattle	105
731.	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब गेहूं का, चावल का स्टाक	Damaged Stocks of Wheat or Rice in Godowns of Food Corporation of India	105—106
732.	वन अधिकारियों के वेतन मानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Forest Officers	106
733.	विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिये अर्थशास्त्रीयों की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (पेनल) की बैठक	Meeting of International Panel of Economists to Study Unemployment in Developing Countries	106
734.	बिहार कोयला खान कामगार संघ की मांगें	Demands of Bihar Colliery Kamgar Union	106—107
735.	औद्योगिक कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के बारे में कानून बनाने के लिये तमिल नाडु राज्य का अनुरोध	Tamilnadu request to Enact Legislation for Payment of Gratuity to Industrial Workers	107
736.	ग्रामीण ऋणग्रस्तता	Rural Indebtedness	108
737.	दरभंगा के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Darbhanga	108
738.	प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता	Per Capita Availability of Foodgrains	108—109
739.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आयातित दोषपूर्ण ट्रैक्टरों से किसानों को हुई क्षति की पूर्ति	Reimbursement of Damages to farmers for Defective Tractors Imported from GDR	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
740.	वर्ष 1970 में पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल से हानि	Loss due to Strikes in West Bengal in 1970	110
741.	टेलीफोन कनेक्शनों के लिये राज्यवार प्रतीक्षावधि	Waiting period for Telephone Connections Statewise	110—111
742.	कलकत्ता-बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली	STD system between Calcutta-Bombay	111
743.	पंजाब और तमिल नाडु के किसानों द्वारा आर० एस० 09 ट्रैक्टरों को स्वीकार न करना	Non-acceptance of R S. 09 Tractors by Farmers of Punjab and Tamil Nadu	111—112
744.	बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने के लिये पश्चिम बंगाल द्वारा ऋणों के लिये अनुरोध	Request for Loans by West Bengal for Raising Second Crop in Areas Damaged by Floods	112
745.	आंध्र प्रदेश में बर्मा से वापिस लौटे भारतीयों की कठिनाइयां	Hardships of Repatriates from Burma in Andhra Pradesh	112—113
746.	संगीत तथा नाटक विभाग में कलाकारों की भर्ती	Recruitment of Artists in Song and Drama Division	113
747.	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की ओवरहालिंग	Overhauling of Sugar Factories in U. P.	113—114
748.	कृषि आयोग का गठन	Composition of Agricultural Commission	114—115
749.	उत्तर प्रदेश के कृषकों के लिये ट्रैक्टरों और पम्पिंग सैटों की खरीद के लिए ऋण	Loans to Uttar Pradesh Agriculturists for purchase of Tractors and Pumping Sets	115
750.	आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के आयात के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiry by CBI into Import of RS 09 Tractors	115
751.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना	Deep Sea Fishing under Private Sector	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
752.	मत्स्य ग्रहण पत्तनों के निर्माण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण	Pre-Investment Survey by U. N. Development Programme for Construction of Fishing Harbours	116—117
754.	डाक तथा तार विभाग में श्रेणी एक और दो की डाक अधीक्षक सेवा के लिये भर्ती	Recruitment to Postal Suprintendent Service Class I and II in P and T Department	117
755.	टेलीविजन सेटों में एक नये उपकरण का बनाया जाना	Introduction of a New Device in T. V. Receiving Sets	117—118
756.	डाक तथा तार विभाग में विभागेतर पद्धति के कार्यकरण से सम्बन्धित समिति	Committee on Working of Extra-Departmental system in P and T Department	118—119
757.	कटक स्थित आकाशवाणी केन्द्र का 27 जुलाई, 1970 को बन्द किया जाना	Closure of AIR Cuttack on 27-7-70	119
758.	कटक तथा भुवनेश्वर के बीच सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था और चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में उसका विस्तार	Micro-Wave System between Cuttack and Bhubneswar and its Expansion in Orissa during Fourth Plan	119—120
759.	कटक आकाशवाणी केन्द्र के लिये इमारत	Building for AIR Station, Cuttack	120
760.	उड़ीसा तट पर मत्स्य ग्रहण पत्तनों की स्थापना के लिये विशेषज्ञ समिति की सिफारिश	Recommendation of an Expert Team for Establishmens of Fishing Harbour on Orissa Coast	120
761.	मद्रास तथा देश के अन्य भागों में बर्मा से आये शरणार्थियों को बसाया जाना	Rehabilitation of Repatriates from Burma in Madras and other Parts of India	120—121

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
762.	ट्रैक्टरों की खराबियों को दूर किये जाने तक पूर्वी जर्मनी को दिये गये ट्रैक्टरों के क्रयादेशों का रद्द किया जाना	Cancellation of Orders for Import of Tractors from East Germany pending Removal of Defects	122
763.	थाइलैंड द्वारा चावल की सप्लाई	Supply of Rice by Thailand	122
764.	असंगठित श्रमिक के हितों का संरक्षण	Safeguarding Interest of Unorganised Labour	123
765.	कृषकों को अधिक उपज देने वाले गेहूं बीजों की सप्लाई	Supply of High Yielding Variety of Seeds of Wheat to Farmers	123
766.	पंजाब के लिये टेलीविजन	T. V. for Punjab	123—124
768.	मनीपुर में पंचायती प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	Functioning of Panchayati Training Centre, Manipur	124
769.	आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिये 50 किलोवाट का ट्रांसमीटर	50 K. W. Transmitter for AIR Imphal	124
771.	बाढ़ के कारण मनीपुर में फसलों की हानि का सर्वेक्षण	Survey of Loss of Crops in Manipur due to Floods	125
772.	मध्य प्रदेश में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिये सरकार द्वारा समाचार पत्रों को सहायता	Government Aid to Newspapers of Madhya Pradesh to Promote Hindi	125—126
773.	दालों के उत्पादन के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Production of Pulses	126—127
774.	राष्ट्रीय बीज निगम के प्रादेशिक प्रबन्धकों की बैठक तथा पटसन, कपास, दालें आदि की अधिक उपज देने वाले बीजों को अधिक भूमि में उगाये जाने के बारे में की गई कार्यवाही	Meeting of Regional Managers of National Seeds Corporation and Steps taken to bring more Land under High Yielding Varities of seeds of Jute, Cotton, Pulses etc.	127—128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
775.	ग्वालियर के टेलीफोन विभाग के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Telephone Department, Gwalior	128
776.	वयस्क मताधिकार पर आधारित पंचायती राज	Panchyati Raj on Adult Franchise	128—129
777.	बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खान मालिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया रकम	EPF Arears from Colliery Owners in Bihar and West Bengal	129—130
778.	कलकत्ता के दैनिक बासुमती सम्पादक का हटाया जाना	Removal of Editor, Dainik Basumati of Calcutta	130
779.	समाचारों के प्रसारणों में आकाशवाणी की कथित भेदभाव पूर्ण नीति	Alleged Discriminatory Policy of AIR in News Broadcast	130
780.	अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार और तम्बाकू कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of All India Beedi, Cigar and Tobacco Workers Unions	131
781.	रांची में डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान	Payment of Project Allowance to P and T Staff at Ranchi	131
782.	बिहार सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति	Compulsory Retirement of P and T Employees of Bihar Circle	131—133
783.	मूंगफली के तेल के मूल्यों पर नियंत्रण	Control over Groundnut Oil Prices	133
784.	वर्ष 1970-71 के लिये चीनी सम्बन्धी नीति	Sugar Policy for 1970-71	134
785.	गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की नीति में परिवर्तन करने की मांग	Demand for Change in Policy of Fixation of Sugarcane Prices	134
786.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains under PL 480	134—135
787.	फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण का वसूल न होना	Unrecoverable Loan Advanced by Film Finance Corporation	135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
788.	कृषि फसलों का उत्पादन	Production of Agricultural Crops	135—136
89.	कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Cochin Refinery Workers	136
790.	हाल की बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न की स्थिति	Food Position in West Bengal due to Recent Floods	136—137
791.	पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित कृषकों को आपातकालीन सहायता की योजना	Schemes of Emergency Aid to Flood Affected Agriculturists of West Bengal	137
792.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Staff Quarters for ITI Staff in Delhi	137
793.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में हरी क्रांति की योजना	Plan for Green Revolution in Drought affected Areas by Indian Council of Agricultural Research	138
794.	भारतीय फिल्मों के उचित परिरक्षण के लिये उठाये गये कदम	Steps taken for Proper Preservation of Indian Films	138—139
795.	फिल्म डिवीजन में अपनी फिल्म परिष्करण प्रयोगशाला का अभाव	Films Division without a Film Processing Laboratory of its own	139
796.	सार्वदेशिक सभा और गोवध पर प्रतिबन्ध	Sarvedeshik Sabha and Ban on Cow Slaughter	140
797.	दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया	Process of Milk Production in DMS	140—141
798.	दिल्ली में महरौली के निकट एक गो-संवर्धन केन्द्र खोलना	Opening of a Gosamvardhan Kendra near Mehrauli, Delhi	141
799.	दूध की कमी और समाज के निर्धन वर्ग के लिये उसकी उपलब्धि	Shortage of Milk and its Availability to Poorer Section of Society	141

अता० प्र० संख्या विषय	U. S. Q. Nos. Subject	पृष्ठ Pages
800. गन्ने को कारखानों में ले जाने के रेल भाड़े में वृद्धि	Increase in Railway Freight on Movement of Sugar Cane to Factories	142
दिनांक 20 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting Answer to Starred Question No. 521 dated 20-8-1970	142—143
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	143—146
भारत तथा नेपाल के बीच वार्ताओं के बारे में अनिश्चितता	Uncertainty over Indo-Nepal-Talks	143
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	143—145
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	145—146
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	147
श्री मधु लिमये को अवैध रूप से हिरासत में रखना	Illegal Custody of Shri Madhu Limaye	147
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	151
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	153
130 वां प्रतिवेदन	Hundred and Thirtieth Report	153
सभा का कार्य	Business of the House	153
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	157
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as Reported by Select Committee	157
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	157
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	157—158
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	158
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	158—160
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	160—161
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	161
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	161

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
67 वां प्रतिवेदन	Sixty-Seventh Report	162
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	162
(1) श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक 1970 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	(1) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 16) by Shri Prakash Vir Shastri	163
(2) श्री ओमप्रकाश त्यागी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	(2) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of the Seventh Schedule) by Shri Om Prakash Tyagi	
(3) श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक 1970 (अनुच्छेद 74 का संशोधन)	(3) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 74) by Shri Prakash Vir Shastri	163—164
(4) श्री आनन्द नारायण मुल्ला का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 (धारा 53 का संशोधन)	(4) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Section 53) by Shri Anand Narain Mulla	164
(5) श्री बे० कृ० दासचौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 335 का संशोधन)	(5) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 335) by Shri Benoy Krishna Daschowdhury	164—165
(6) श्री सिद्दया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 335 का संशोधन)	(6) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 335) by Shri S. M. Siddayya	165
(7) श्री शिवचन्द्र झा का विनियोक्ता विनियोग विधेयक, 1970	(7) Appropriation of the Appropriators Bill, 1970 by Shri Shiva Chandra Jha	165—166
(8) श्री सिद्दया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 338 का संशोधन)	(8) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 338) by Shri S. M. Siddayya	166

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(9) श्री सिद्यया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (नये अनुच्छेद 330क का अन्तस्थापन और अनुच्छेद 332 और 334 का संशोधन)	(9) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of new article 330A and Amendment of articles 332 and 334)	166
(10) श्री यमुना प्रसाद मंडल का भूतपूर्व संसद् सदस्यों के लिये पेंशन और अन्य सुख सुविधायें विधेयक, 1970	(10) Pension and other Amenities for the Ex-members of Parliament Bill, 1970 by Shri Yamuna Prasad Mandal	167
(11) श्री जगन्नाथ राव जोशी का धार्मिक स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक, 1970	(11) Restoration of Religious Places Bill, 1970 by Shri Jagannath Rao Joshi	167
(12) श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 156 का संशोधन आदि)	(12) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of article 155 and Amendment of article 156 etc.) by Shri S. S. Kothari	167—168
(13) श्री मधु लिमये का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 (अध्याय ग्यारह और धारा 144 का प्रतिस्थापन)	(13) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of Chapter XI and Section 144) by Shri Madhu Limaye	168
(14) श्री प्र० के० देव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)	(14) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 124) by Shri P. K. Deo	168
(15) डा० राम सुभग सिंह का रोजगार गारण्टी विधेयक, 1970	(15) Employment Guaranty Bill, 1970 by Dr. Ram Subhag Singh	169
(16) डा० राम सुभग सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन)	(16) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of article 155) by Dr. Ram Subhag Singh	169—170

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री लाल बहादुर शास्त्री के देहान्त के बारे में	Re. Death of Shri Lal Bahadur Shastri	171
श्री सूरज भान का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 330 and 332) by Shri Suraj Bhan	171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	170
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	170
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	170
श्री उइके	Shri M. G. Uikey	171
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	171—172
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	172
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	172—173
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	173—174
श्री जी० भा० कृपालानी का व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक,	Conferment of Decorations on Persons (Abolition) Bill by Shri J. B. Kripalani	174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	174
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	174—175
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	176—177

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

11 नवम्बर, 1970 / 20 कार्तिक, 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
45	नीचे से पंक्ति 13 में 'श्री केदारनाथ का नाम मत पढ़िये ।
79	नीचे से पंक्ति 11 में '4235।70' के स्थान पर '4325।70' पढ़िये ।
88	नीचे से पंक्ति 1 में '2732' के स्थान पर '2722' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 12 नवम्बर, 1970/ 21 कार्तिक, 1892 (शक)
Thursday, November 12, 1970/Kartika 21, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर एक मिनट पर समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at One minute past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन

+
*91. श्री सीता राम केसरी : श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आये हैं ;

(ख) क्या सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान में चुनावों की समाप्ति तक भारी संख्या में शरणार्थी आते रहेंगे ;

(ग) यदि हां, तो इन शरणार्थियों के निवास की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(घ) विभिन्न राज्यों ने कितने शरणार्थियों को बसाया है और उस उद्देश्य के केन्द्र ने उनको कितनी धन राशि देने की मंजूरी दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) आने वाले शरणार्थियों का स्वागत करने और पश्चिम बंगाल से बाहर के नियमित

राहत शिविरों में भेजे जाने तक, उन्हें राहत देने के लिए आवश्यक व्यवस्था हसनाबाद, बसीरहाट और बौनगांव में खोले गए तीन स्वागत केन्द्रों में कर दी गई है। "बाशा" जैसे शैड, तम्बू, तिरपालों के शैड इत्यादि लगा कर आवास की व्यवस्था कर दी गई है। सिविल रक्षा विभाग के शैडों और हसनाबाद में बर्मा के शरणार्थियों के केन्द्र में उपलब्ध स्थान का भी प्रवासियों के आवास के लिये प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) 30 अक्तूबर, 1970 तक, 1,87,363 व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों के शिविरों/पुनर्वास स्थलों में, जिनमें माना और दण्डकारण्य के केन्द्रीय शिविर शामिल हैं, भेज दिया गया है। तात्कालिक राहत खर्चा करने के लिए, विभिन्न राज्यों को 211 लाख रुपये की धनराशि "आन एकाऊंट" पेशगी के रूप में दे दी गई है। इन प्रवासियों के राहत और पुनर्वास पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया सारा खर्च भारत सरकार देगी।

Shri Sita Ram Kesari ; The hon. Minister has admitted that one of the reasons of the influx of these refugees is the elections that are going to be held in Pakis'an in December next. Circumstances are created to compel them to leave the country. The hon. Minister made a statement on the 12th October 1970 at Patna that among the refugees coming over to India there are spies as well as those who are not loyal to India. Such undesirable persons are sorted out. The influx of refugees gives rise to a grave situation. Firstly the Hindus in India are led to believe that the Hindus are driven out of Pakistan this leads to communal tension and after this influx creates several other problems. May I know if the hon. Minister has given any warning to the Pakistan Government or has he inquired from the Government of Pakistan as to what arrangements they have made for the safety of such refugees. Pakistan has been often trumpetting that there is no communal tension in the country. If such is the situation why are the Hindus leaving Pakistan ? What steps have been taken to check the unflow of these refugees.

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : I would humbly state that I can only reply to the questions which concern the Rehabilitation Ministry. It should, therefore, be borne in mind that as far as political aspect of the present question is concerned, a separate question should be asked from the foreign Minister. Being a Minister in the Government all I can say is that we have been corresponding with Pakistan requesting them to check this influx.

Shri Sita Ram Kesari ; Sir, I invite your attention to part (a) and (b) of my question. I have specially asked as to what compels these refugees to leave their country. As the elections are going to be held there in December next such circumstances are being created to compel these refugees to leave their country. It includes the political aspect of the matter. I do hope that you will answer the question on political basic also. My question is clear. They are being removed in political atmosphere. So far as the relief work is concerned, you are doing it on humanitarian grounds. But you should answer the question whether they have been driven out for political reasons. I do not appreciate that the relief work is satisfactory but what steps have you taken to meet the political situation which has been created ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that one of the causes of their evacuation is the coming general elections to be held in Pakistan in December, as these refugees are supporters of some of the parties in the national movement in Pakistan. Those who are opposed to them want them to leave Pakistan before elections.

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि पहले वह सूची देख लें और फिर उसके बाद उठें। सूची में दो और नाम भी हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : वह दो माननीय सदस्य अनुपस्थित है। हमने सूची देख ली है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी मुझे उनके नाम बुला लेने दीजिए। श्री यादव, श्री कृष्णन् दोनों अनुपस्थित हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कितने और शरणार्थियों के आने की संभावना है। यह कोई नहीं जानता इस वर्ष ही के आंकड़े लाखों तक पहुँच गए हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन शरणार्थियों का भिखारियों की तरह देश में आना और हमारी सहायता पर आश्रित रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्या सरकार अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार करेगी कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी किसी भी मुआवजे के अधिकारी नहीं होंगे जैसाकि पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी नेहरू लियाकत समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान में छोड़ी गई अपनी चल व अचल सम्पत्ति के अधिकारी हैं। अतः क्या सरकार वास्तविकता को देखते हुए अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता। शरणार्थियों को उनकी सम्पत्ति मिलने की सम्भावना बिल्कुल नहीं है। अतः इन लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या सरकार देखेगी कि यदि समझौते की शर्तों का पूर्ण पालन नहीं किया जाता किन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि थोड़े बहुत मुआवजे से यह अपना कुछ व्यापार खोल सके और आत्म निर्भर बन सके न कि वे हमारी रोटियों या सहायता पर सदा के लिए पड़े रहे।

श्री भागवत झा आजाद : हम इन शरणार्थियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिए हर सम्भव उपाय कर रहे हैं। जैसाकि सब जानते हैं कि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को नेहरू लियाकत समझौते के अन्तर्गत उनको उनकी चल और अचल सम्पत्ति का मुआवजा दिया गया है किन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ ऐसा नहीं किया गया। वह पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के मालिक हैं और यह आशा की जाती थी कि वे लोग वापिस पाकिस्तान जाने में समर्थ होंगे किन्तु पाकिस्तान ने उनका लौटना असंभव कर दिया है और यही समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न समझौते के यंत्रवत पालन के सम्बन्ध से है।

श्री भागवत झा आजाद : समझौता अभी भी कायम है उन लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिये हम उनको अधिकतम सहायता दे रहे हैं तथा उनके पुनर्वास का भी प्रबन्ध कर रहे हैं और जब तक समझौता कायम है अन्य किसी विकल्प का सोचना सम्भव नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जब समझौते का पालन एक तरफ से नहीं होता तब भी क्या सरकार समझौते के अनुसार चलती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका ध्यान इस ओर आकर्षिक किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a matter of regret that hon. Minister is not giving any straight reply. Is Nehru Liyaqat Pact only on paper which is meant to decorate the shelves. The refugees from East Pakistan cannot go back nor they can oispose of their property there to get proper price. Nobody is prepared to purchase their property even for a song. They are being driven to India as paupers. Is it not the right time that the Government should ask the Pakistan Government for reconsideration of the Nehru-Liyaqat Pact and that the refugees from the East Pakistan should be treated at par with the refugees from West Pakistan.

Shri Bhagwat Jha Azad : As already stated by me the fact of the matter is that we are providing relief to these refugees as best as we can. Arrangements have been made to rehabilitate them with jobs and land. Nehru Liyaqat Pact is still in force. Provision has been made and is still being made for their rehabilitation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister can say that he is not in a position to answer my question but he should not evade the matter. Will the Government bring any pressure on Government of Pakistan for reconsideration of Nehru Liyaqat Pact ? He should answer it either in the affirmative or in the negative.

Shri Bhagwat Jha Azad : I do not evade. It is not my habit. I always give straight answer to questions. As Nehru-Liyaqat Pact is still in force we cannot pay any compensation to these refugees. Therefore, I am not in a position to reply this question.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : यह हमारा अनुभव है कि पाकिस्तान के साथ जो समझौते, सन्धियाँ अथवा घोषणाएं हमने की हैं पाकिस्तान उनके प्रति कभी निष्ठावान नहीं रहा और इन परिवर्तित परिस्थितियों में क्या सरकार उन समस्याओं को एक नये ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करेगी जिनका सामना हमें पाकिस्तान के साथ करना पड़ रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मैंने पहले भी कहा, माननीय सदस्य नाराज न हो। मैं केवल प्रश्न के पुनर्वास तथा राहत सम्बन्धी भाग का उत्तर दे सकता हूं और माननीय सदस्य भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों के विषय में एक महत्व पूर्ण राजनीतिक प्रश्न उठा रहे हैं। उचित उत्तर प्राप्त करने हेतु इसे अन्य मंत्रालयों को भेजा जाना चाहिये और यही इस अवस्था में बेहतर होगा तभी इस पर उचित चर्चा हो सकती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब मंत्री महोदय ने पहले ही अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि जहां तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की संपत्ति का प्रश्न हैं, नेहरू लियाकत समझौते पर वस्तुत: अमल नहीं हो रहा जिससे कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के साथ पूरी तरह से भेद-भाव बरता जा रहा है और उन्हें बिना उनकी किसी गलती के भारत सरकार के आश्वासनों के बावजूद कष्ट सहना पड़ रहा है। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए। वह केवल यह नहीं कह सकते कि वह तो राहत और पुनर्वास कार्य को देख रहे है, अत: बड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के मामले को ठीक तरह से क्यों नहीं सुलझाया जा रहा। इस प्रकार के मामले को सुलझाने के लिये ताशकन्द समझौते में की गई व्यवस्था का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इस मामले को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर क्यों नहीं लाया जाता। ऐसे लोगों के साथ, जो पाकिस्तान में नहीं रह सकते और जिनकी पूर्ण सम्पत्ति ही उनके हाथों से निकल गई है, यह भेद-भाव क्यों बरता जा रहा है। वह हमारे देश में क्यों दु:ख पा रहे हैं। हमें इस का उत्तर चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : मैं पुनः इसका उत्तर देता हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि

नए शरणार्थियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये प्रबन्ध किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार को उनका वापिस लौटना तथा उनकी सम्पत्ति को बेचना असंभव कर दिया है। जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है कि भारत सरकार के विरोध करने पर भी पाकिस्तान सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, इस विषय पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहा है। अतः इस प्रश्न को उस मंत्रालय के पास भेजना अधिक उचित होगा। मैं उसकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता।

श्री बाकर अली मिर्जा : महोदय, मुझे आपका निर्णय चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा है कि प्रश्न वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को भेजना चाहिए क्योंकि प्रश्न के (ख) भाग का सम्बन्ध पाकिस्तान में होने वाले चुनावों के विषय से है। यदि प्रश्न उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध नहीं था तो उन्होंने इसे स्वीकार ही क्यों किया और अब इसको स्वीकार करने के उपरान्त इससे उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने से वह इन्कार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का (ख) भाग शरणार्थियों के भारत में आने के सम्बन्ध में है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

श्री बाकर अली मिर्जा : शरणार्थी अभी भी पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। वह तो पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री हैं। उन्हें यह कैसे पता है कि शरणार्थियों का आना अभी तक जारी है।

अध्यक्ष महोनय : प्रश्न यह था कि "क्या सरकार को आशंका है"...और मेरे विचार में इस प्रश्न की मूल प्रश्न से संगति है किन्तु प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्म है अतः मन्त्री महोदय का कहना ठीक है कि इस प्रश्न को वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के पास भेजा जाये कि वह नेहरू लियाकत समझौते पर पुनर्विचार करना चाहते हैं अथवा नहीं। इनका सम्बन्ध तो केवल शरणार्थियों तथा उनके पुनर्वास से है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि सरलार ने पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को नेफा में बसाने का निर्णय किया है। यदि हां तो क्या सरकार ने इस कार्य के लिए नेफा प्रशासन को कोई वित्तीय सहायता दी है? क्या आसाम ने शरणार्थियों के 2000 परिवारों को बसाना स्वीकार किया है? यदि हां, तो क्या यह 2000 परिवार नये आये शरणार्थियों के हैं अथवा पुराने शरणार्थियों के?

श्री भागवत झा आजाद : 31 अक्तूबर तक आये व्यक्तियों की संख्या 2,34,000 थी और उसमें से 1,86,000 व्यक्तियों को अस्थाई शिविरों में बसाया जा सका है। वे राज्य के विभिन्न शिविरों तथा माना केन्द्र में है। देश के विभिन्न भागों में उनके पुनर्वास के लिए कई बातों पर विचार करना है और नेफा भी उनमें से एक है। हमने उनसे पूछा है कि वे अधिक से अधिक कितने परिवारों को बसा सकते हैं, किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया। आसाम सरकार ने हमें पहले से बता दिया है कि निर्धारित परिवारों की संख्या से अधिक को बसाना उनके लिए सम्भव नहीं। हमने इस विषय में उनसे तथा अन्य राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की है।

श्री प्र० रं० ठाकुर : परामर्शदात्री समिति की बैठक में माननीय मन्त्री ने कहा था कि हम शरणार्थियों को आश्रय देते हैं किन्तु उन्हें यह नहीं पता कि हम कहां तक उनका पुनर्वास करने में समर्थ होंगे क्योंकि अधिकांश राज्य उनको बसाने के लिए तैयार नहीं। 60,000 शरणार्थियों को अंदमान में बसाया जा रहा है और इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है किन्तु इस सरकार ने उन्हें बसाने के लिए क्या किया है ? सरकार कह चुकी है कि केवल शरणार्थियों को ही अंडमान भेजा जाना चाहिए। किन्तु अब हम देख रहे हैं कि श्रीलंका से आने वाले 60,000 अप्रवासियों को वहां बसाया जा रहा है। उन्हें वरीयता क्यों दी जा रही है। सरकार की योजना शरणार्थियों को अंडमान में बसाने की थी किन्तु अब श्रीलंका से आने वाले प्रवासियों को वहाँ भेजा जा रहा हैं। क्या यह सच है कि 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है तथा 60,000 अप्रवासियों को वहां बसाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं, हमें केवल पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के सम्बन्ध में विचार करना है आप कहीं अन्य बातों—श्रीलंका तथा अंडमान इत्यादि को बीच में ले आये हैं। मन्त्री महोदय कैसे उत्तर दे पायेंगें ?

श्री प्र० रं० ठाकुर : श्री लंका से आने वाले अप्रवासियों को वरीयता क्यों दी जाये ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से परामर्श कर सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यदि आप अनुमति दें, तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। हमने सभी राज्य सरकारों से जमीन देने के लिए अनुरोध किया है और जैसा कि मैंने पहले कहा है हमने उन्हें विभिन्न राहत शिविरों में, राज्य और केन्द्रीय शिविरों में भेज दिया है।

श्री प्र० रं० ठाकुर : राहत के लिए, पुनर्वास के लिए नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : जब तक राज्य सरकारों से जमीन नहीं उपलब्ध हो जाती ऐसा हो पाना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि जमीन की कितनी कमी है। भूमिहीन मजदूर भी राज्य सरकारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने यहां राहत शिविर आरम्भ कर दें। जहां तक इनके द्वारा उल्लिखित 3 करोड़ रुपये की राशि का सम्बन्ध है, मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमने केवल पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास और राहत कार्यों पर 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये हैं। हम जितना भी आवश्यक है खर्च कर रहे हैं। 60, 00 परिवारों को भेजने की बात भी ठीक नहीं है। हम 6,000 शरणार्थी परिवार भेज सकेंगे। अन्य लोगों को भी वहां बसाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न और उत्तर में अन्य कई बातों का उल्लेख भी किया गया है जबकि मूल प्रश्न केवल पूर्वी पाकिस्तान से सम्बन्धित है। अंडमान के बारे में मैं अपना निर्णय दे चुका हूँ और आप फिर अंडमान की बात कर रहे हैं।

श्री बसुमतारी : मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि उन्हें नेफा में बसाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। महोदय नेफा की एक भीतरी व्यवस्था है...

अध्यक्ष महोदय : फिर नेफा और अंडमान की बात शुरू हो गई।

श्री हेम बरुआ : नेफा और अंडमान दोनों भारत के भाग हैं।

श्री बसुमतारी : नेफा एक प्रतिबन्धित क्षेत्र है और वहां एक भीतरी लाइन है। बावजूद इसके भी क्या बात है कि मंत्री महोदय नेफा को उन स्थानों में से एक समझते हैं जहां शरणार्थियों का पुनर्वास किया जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि नेफा की जनता की राय इसके बारे में जानी गयी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम उक्त प्रतिबन्ध तथा उक्त भीतरी लाईन को हटाना चाहते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बात को मानता हूँ कि भीतरी लाईन का मुझे इतना अच्छा ज्ञान नहीं, जितना कि मेरे माननीय मित्र श्री बासुमतारी को है। मैंने केवल इतना ही कहा है कि हम देश के शरणार्थियों को बसाने के उपाय ढूंढ़ रहे हैं। नेफा भी हमारे देश में है और हम उपाय ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Refugee camps are being opened by the Government to rehabilitate the refugees coming from East Pakistan and for making the people to lead the life of a beggar. May I know whether any scheme for making the refugees self-reliant has been formulated so that they could carry on with their profession without depending on Government ?

Second thing which I would like to know is whether Prime Minister Indira Gandhi tried to solve this problem by meeting President of Pakistan ?

Thirdly, when Pakistan is not honouring the Nehru-Liyaqat Pact and Tashkent Agreement, then why should not India declare the violation of this agreement with a view to influence Pakistan and compel it to solve the refugees problem by meeting our leaders ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The refugees coming from there are mostly landless or small land-holders. Accordingly, attempts are being made to find out land for them in the country. Besides this, attempts are also being made to absorb them in Industries as for instance a training programme has been arranged with a view to absorb them in the Madan Industries, Hastinapur. Some of them are getting training there and some have already been rehabilitated after getting training. They are being rehabilitated in two ways *i.e.* on agricultural land and in industries.

So far as part of the question relating to Nehru-Liyaqat Pact is concerned, it is Prime Minister only who can give a reply.

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 233,000 शरणार्थियों में से 0.1 प्रतिशत को भी स्थायी पुनर्वास स्थानों को नहीं भेजा गया, जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है, तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न राज्यों के उत्तर अपर्याप्त ही नहीं बल्कि कई मामलों में शरणार्थियों को बसाने के लिये जमीन उपलब्ध करने सम्बन्धी उत्तर ही नहीं आये, अब दो ही रास्ते शेष हैं।

पहला रास्ता तो यह है कि शरणार्थियों का पुनर्वास अंडमान में किया जाये और दूसरा यह है कि सुन्दरबन क्षेत्र की जमीन को सुधारा जाये। श्री सतीशदास गुप्ता तथा अन्य नेताओं के अनुसार वहां 2 लाख शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। क्या यह सच है कि अंडमान में

शरणार्थियों के पुनर्वास की सम्भाव्यताएं खोजने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अन्तर्विभागीय अध्ययन दल ने यह सिफारिश की थी कि सन् 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के 1,50,000 शरणार्थियों को अंडमान में बसाया जाये, यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। दूसरे, सरकार ने शरणार्थियों को सुन्दरबन क्षेत्र में बसाने संबंधी सम्भावनाओं को खोजने की दिशा में भी क्या कदम उठाये हैं। और तीसरे यह कि जहां भूमि की समस्या नहीं है, उन स्थानों पर लघु उद्योगों तथा मध्यम स्तर के उद्योगों में शरणार्थियों को बसाने के लिये किन किन सम्भावनाओं पर सरकार विचार कर रही है।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में कहा है कि हम समझते हैं कि 6,000 परिवारों को अंडमान में बसाया जा सकता है। ऐसा करने से पहिले हमें, उसके लिये आधार तैयार करना है।

श्री समर गुह : छोटे से द्वीप अंडमान में भी 50,000 बसाये जा सकते हैं। मैं वहां गया था।

श्री भागवत झा आजाद : मैं केवल उसी प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जो हमारे पास आया है। यह उससे भी ज्यादा हो सकता है उस पर बाद में विचार किया जायेगा। इसमें लगभग 6,000 परिवार बसाये जा सकते हैं।

बात केवल यही है कि शरणार्थी भेजने से पहले हमें सड़कें बनाकर, पेड़ काटकर आधार तैयार करना है। यह तैयार किया जा रहा है। ज्यों ही यह आधार तैयार हो जायेगा, हम शरणार्थियों को भेजना शुरू कर देंगे।

सुन्दरबन के बारे में हमारे पास योजना थी जिसे हमने पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा। उन्होंने कहा कि वहां शरणार्थी बसाने की कोई सम्भावना नहीं। अभी हाल में प्रधानमंत्री इन शिविरों को देखने के लिये पश्चिम बंगाल गयीं। यह प्रश्न वहां पर भी किया गया था। हमने यह मामला दुबारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया है।

इन्हें मदन इण्डस्ट्रीज तथा अन्य उद्योगों में बसाने की दिशा में भी हम उचित कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 92, श्री रा० कृ० बिड़ला अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 93।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा सुझाव है कि उसी विषय पर प्रश्न संख्या 119 का उत्तर भी इसके साथ दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 93, 100, 112 तथा 119 अनेकों प्रश्न इससे जुड़े हैं। इनका उत्तर एक साथ दिया जावे। लेकिन पहले प्रश्न पर दो प्रश्न पूछे जाने चाहियें और शेष पर केवल एक। अन्यथा, इसमें काफी कठिनाई होगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : प्रश्न संख्या 93, 112 तथा 119 में लगभग सारे पहलू आ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 93, 100, 112 तथा 119।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से खराब ट्रैक्टरों की खरीद की जांच

+

***93. श्री हरदयाल देवगुण : श्री सामिनाथन :**
श्री धी० ना० देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से खराब ट्रैक्टरों की खरीद की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) जांच समिति के निष्कर्षों को देखते हुए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). शिकायत प्राप्त होते ही इनकी जांच के लिए तकनीकी दल आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात को भेज दिये गये थे और तकनीकी दलों के निष्कर्षों के फलस्वरूप पूर्वी जर्मनी के निर्माताओं के साथ शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया जिन्होंने भारत और पूर्वी जर्मनी में इन शिकायतों की कुछ जांच पड़ताल की थी । इस पड़ताल के फलस्वरूप वे कुछ संशोधन और सुधार करने के लिये सहमत हो गये । पांच ट्रैक्टरों के लिये संशोधित पुर्जे प्राप्त हो चुके हैं और जिन ट्रैक्टरों में ये पुर्जे फिट किये गये हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है । वे उन सभी ट्रैक्टरों में ऐसी ही अदल-बदल और सुधार करने के लिए भी सहमत हो गये हैं जो विभिन्न निगमों को सप्लाई किये जा चुके हैं और यह कार्य जारी है ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आयात किये गये आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के बारे में निरीक्षण प्रतिवेदन

***112. श्री समर गुह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मन सरकार (जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य) द्वारा सप्लाई किये गए ट्रैक्टर दोषपूर्ण पाये गए तथा इनमें से अधिकतर ट्रैक्टर 60 घण्टे से अधिक कार्य नहीं कर सके थे ;

(ख) क्या ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षा केन्द्र निदेशक, बुदनी, मध्य प्रदेश, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र निदेशक, हिसार तथा केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के कृषि उपकरण निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टरों में बहुत से दोषों तथा उनके खराब हो जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) आर० एस०-09 ट्रैक्टर के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें थीं ।

(ख) और (ग). निदेशक, ट्रैक्टर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण केन्द्र बुदनी, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार और निदेशक कृषि उपकरण, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता

मन्त्रालय (कृषि विभाग) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4249/70] रिपोर्ट में इन ट्रैक्टरों में कुछ त्रुटियां बताई गई हैं। जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के निर्माता इंजनों और कलब आदि में निर्माण और डिजाईन सम्बन्धी कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिये सहमत हो गये हैं और वितरित किये गये ट्रैक्टरों के पुर्जों की तबदीली के लिये कुछ संशोधित पुर्जों के जहाज भर कर भेजे हैं। उन्होंने 20 या उससे भी अधिक इन्जीनियर यह तबदीलियां करने के लिये भेजे हैं और अपेक्षित पुर्जों को भी काफी संख्या में सप्लाई किया है। ट्रैक्टरों का समाश्वासन (वारंटी) काल भी बढ़ा दिया गया है। ट्रैक्टरों में सुधार का कार्य चल रहा है।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से आयातित ट्रैक्टरों की मरम्मत और भारतीयों को उनकी मरम्मत का प्रशिक्षण देना

*119. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मन के ट्रैक्टर निर्माताओं के प्रतिनिधि किसानों को बेचे गये पूर्वी जर्मन के ट्रैक्टरों के बारे में की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए हाल ही में भारत आये ;

(ख) क्या उन्होंने खराब हुए ट्रैक्टरों को देख लिया है ;

(ग) यदि हां, तो ट्रैक्टर सम्बन्धी शिकायतों के बारे में उनके क्या विचार हैं ;

(घ) क्या बिगड़े हुए ट्रैक्टरों को इस बीच ठीक कर दिया गया है ; और

(ङ) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र के ट्रैक्टर निर्माताओं ने ट्रैक्टरों को ठीक से चलाने और उसका मरम्मत आदि के मामले में भारतीय तकनिशनों तथा इंजिनियरों को अपने यहां प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है। और क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). जी हां।

(ग) पूर्वी जर्मनी के संभरकों द्वारा इस विषय पर जारी किया गया एक प्रैस वक्तव्य संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4250/70]

(घ) पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ता किसानों को बेचे गये या राज्य कृषि उद्योग निगमों के स्टाक में पड़े हुए समस्त ट्रैक्टरों के खराब पुर्जों के स्थान पर नए संशोधित पुर्जे निःशुल्क बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। वे उपयुक्त रूप से वारंटी अवधि को बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। भारतीय परिस्थितियों में इन ट्रैक्टरों की कुल मिलाकर उपयोगिता का निर्धारण करने

के लिए विभिन्न स्थानों पर पांच संशोधित ट्रैक्टरों का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है। परीक्षण के लिए एक और ट्रेक्टर बुदनी केन्द्र में भी भेजा गया है। पूर्वी जर्मनी सम्भरणकर्ताओं ने राज्य कृषि-उद्योग निगमों की मांग पर तुरन्त सप्लाई के लिए अतिरिक्त पुर्जों और नए संशोधित पुर्जों से भरे हुए तीन वायुयान भी मंगा लिए हैं। उन्होंने अपने तकनीकी दल में 15 और योग्य व्यक्ति बढ़ा लिए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर तकनीशनों की संख्या लगभग 30 हो गई है। इसके अतिरिक्त मरम्मत के कार्य में तेजी लाने के लिए सम्बन्धित कृषि उद्योग निगमों के परामर्श से बड़ी संख्या में भारतीय तकनीशन भी लगाए गए हैं। आशा है दिसम्बर के अन्त तक किसानों के पास पड़े हुए अधिकांश ट्रैक्टर ठीक कर दिए जायेंगे। इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन पर गौर से ध्यान दिया जा रहा है और वर्तमान लक्षणों के आधार पर परीक्षणाधीन संशोधित ट्रैक्टरों का कार्य निष्पादन पर्याप्त उत्तम है।

(ङ) जी हां।

Shri Hardayal Devgun : I would like to know from the hon. Minister as to how many tractors, as agreed upon, were to be imported from GDR and how many have been imported ? Whether tractor purchases from Punjab, Andhra, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu and Agro-Industries Corporation, which is their official body have complained that the tractors received by them are unworkable and out of order and should be taken back ? What is the number of tractors about which such complaints were received ? Complaint regarding their being defective of these tractors was made when this question was raised through call attention notice. Whether the import of tractors was continued or suspended thereafter ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : राज्य व्यापार निगम ने जर्मन सरकार से मूलत: 7000 ट्रैक्टरों की सप्लाई का सौदा किया था लेकिन वास्तव में 1998 ट्रैक्टरों का आयात हुआ। केन्द्रीय सरकार ने शिकायतें प्राप्त होने के बाद आयात को रोक दिया तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, के बाद ट्रैक्टरों का कोई भी आयात नहीं हुआ। सरकार ने आयात बन्द करने का निर्णय कुछ पहले ही ले लिया था। हमें आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों से शिकायतें मिली हैं और जैसे कि मैंने कहा है इसकी छानबीन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी स्थापित की गयी और उनकी रिपोर्ट संसद सदस्यों को उपलब्ध की जा चुकी है।

Shri Hardayal Devgun : They said that these may be taken back.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ सप्लाई करने वालों ने यह विश्वास दिलाया है कि अपने खर्च पर ट्रैक्टरों की मुरम्मत तथा सभी पुर्जों को बदलने तथा गारंटी की अवधि बढ़ाने के लिये वे तैयार हैं। वे अपने देश से 20, 30 इन्जीनियर लाये हैं और इस बारे में नवीनतम सूचना यह है कि पंजाब में उन्होंने 207 ट्रैक्टरों की मरम्मत कर दी है और आशा है कि दिसम्बर के अन्त तक वे सभी ट्रैक्टरों की मुरम्मत कर देंगे।

श्री रंगा : आन्ध्र के बारे में क्या स्थिति है?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : आन्ध्र में भी उनके इन्जीनियर जा रहे हैं।

Shri Hardayal Devgun : These tractors proved defective during the course of test regarding their utility conducted at Badni and now the Engineers have come here to remove their defects. The Hon'ble Minister has said that they have done certain repairs but the complaints are stilll there. These tractors cannot prove workable even after repairs. Their representative have said that these tractors are very sophisticated and that is why the farmers do not know as to how they should be handled. An organisation of Punjab farmers have said that they purchased these tractors with their hard-earned money but they could not derive any benefit from them. They want that the tractors should be taken back and their money returned to them. I would like to know whether the Ministry is going to take back these tractors and return their money ? Whether the farmers will be compensated for the losses.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि इन ट्रैक्टरों के दोषों से अनेकों किसानों को असुविधा हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है इनकी मरम्मत की जा रही है। यह कहना जल्दबाजी है कि इन्हें ठीक तरह से चलाया नहीं जा सकता। बाद में, यह पता लगने पर कि ये ठीक तरह से नहीं चलाये जा सकते, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है तथा किसान की सहायता के लिए उपाय तथा साधन ढूंढे जा सकते हैं।

श्री घी० ना० देव : विशेषकर पंजाब में, दोषपूर्ण पुर्जों के स्थान पर नये पुर्जे लगाने पर भी ये उचित ढंग से काम नहीं करते। वास्तव में उन्होंने कई ट्रैक्टरों के तो इन्जन ही बदल दिये फिर भी पता चला कि ये काम नहीं कर सकते। क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है ? जब जर्मन इन्जिनियर श्री पोलिस यहां थे तो उन्हें इस बारे में सूचित किया गया था तथा उन्होंने यह उत्तर दिया था कि मरम्मत किये गये ट्रैक्टरों के दोष दूर नहीं हुए तथा इंजन से धुआं निकल ही रहा है। क्या सरकार को किसानों की समस्याओं के बारे में कोई सूचना मिल है ? किसानों द्वारा बैंकों तथा अन्य किसानों से धन लेकर खरीदे गये ट्रैक्टरों को बदले जाने की दिक्कतों तथा चूंकि इसका अन्न समस्या से भी सम्बन्ध है, आदि-आदि बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसानों की कठिनाईयां दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : अपने उत्तर के मुख्य भाग में मैंने कहा कि जिन ट्रैक्टरों के पुर्जे बदले गये है उन में से कुछ सरकार के विचाराधीन है और हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि यदि ये ठीक तरह से काम न करें तो क्या किया जाये। इस समय कोई निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी है।

श्री समर गुह : क्या मैं जान सकता हूँ कि :—

(1) जर्मनी से आयात किये गए ट्रैक्टरों में से अधिकांश औसत में साठ घंटों से अधिक काम नहीं कर सकते।

(2) क्या जर्मन सरकार ने ट्रैक्टरों के दोषों की जिम्मेदारी लेने को इनकार किया है ?

क्या चौथी योजना के अनुसार 3,85,000 ट्रैक्टर जरूरी होंगे, यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के दोषपूर्ण ट्रैक्टरों का आयात करेगी अथवा कोई और प्रबंध करेगी अथवा अपने देश में टैक्टर बनाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि इनमें से कुछ ट्रैक्टर सफलतापूर्वक नहीं चलाये

जा सके। लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि कोई भी ट्रैक्टर साठ घंटे से अधिक नहीं चलाया जा सकता। यह कहना भी ठीक नहीं कि जर्मनी से सप्लाई करने वालों ने ट्रैक्टरों की मरम्मत करने से इनकार किया है। फालतू पुर्जों का एक पूरा जहाज पूर्व जर्मनी से लाया गया तथा इन्जिनियर इन ट्रैक्टरों की मरम्मत कर रहे हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, चौथी योजना के अंत में देश में प्रति वर्ष 1,50,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। ऐसी आशा है कि इस मांग को इसी देश में ट्रैक्टर बनाकर पूरा किया जावेगा तथा कमी को आयात द्वारा पूरा करने की कोशिश की जावेगी।

श्री वासुदेवन नायर : इन ट्रैक्टरों के चलाये जाने सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने से सहमत होते हुए मैं चाहता हूँ कि सरकार राजनीतिज्ञों-किसानों अथवा किसानों-राजनीतिज्ञों और कुछ नौकरशाहों, जो सम्भवत: कृषि की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि रखते हैं, द्वारा खड़े किए गये आंदोलन के विरुद्ध जांच करे।

अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ। क्या यह सच है कि किसानों तथा विभिन्न राज्यों से शिकायतें अपने पर भी संसद तथा प्रेस में इस बारे में लगातार अभियान चल रहा है जैसे कि कल के टाइम्स आफ इन्डिया में इस विषय में एक लम्बा लेख छपा था जिसमें पंजाब का विशेष रूप से उल्लेख था? और क्या यह भी सच है कि उस अभियान को पंजाब एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के कुछ ऊंचे अधिकारियों ने चलाया था और क्या अमेरिकन शांति सेना के स्वयं सेवकों की उपस्थिति में ट्रैक्टर मालिकों का प्रदर्शन हुआ और जहां तथाकथित किसानों की बैठक में विकास खंड अधिकारियों ने भी भाषण दिये जिसमें ट्रैक्टरों के मालिकों की वास्तविक संख्या केवल पांच या छ: ही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट है? मैं इस प्रश्न को इस लिए पूछ रहा हूँ कि लगभग 300 ट्रैक्टर गुजरात तथा कुछ मैसूर और कुछ तमिलनाडु में भी बेचे गये। जैसे कि आपने विवरण में बताया इनमें कुछ खराबियां थीं और वे अपने खर्च पर इन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं जबकि कुछ ऐग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन सेवाएं करने सम्बन्धी इकरारनामें को पूरा नहीं कर सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उस विशेष पहलू पर विचार किया है और क्या सभी एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को इकरारनामें के अनुसार सर्विसिंग मशीनरी प्रदान की जा चुकी है। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरे, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली हैं और क्या पंजाब के इस अभियान का सम्बन्ध पश्चिमी देशों से लगभग 8000 ट्रैक्टर खरीदने के लिए विश्व बैंक के ऋण से है और यह है कि इस ट्रैक्टर के मामले में कितनी राजनीति घुसी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम सही रूप से ऐसे आर्थिक मामलों में राजनीति न घुसे।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : पंजाब में हुए प्रदर्शनों के बारे में हमारे पास कुछ रिपोर्टें हैं और हमारे पास वह रिपोर्टें भी हैं जिनके अनुसार यह आरोप लगाये गये हैं कि इन में से कुछ राजनैतिक कारणों से हुए। मैं सचमुच यह नहीं "जानता कि उनका कारण राजनैतिक था या नहीं।" लेकिन एक बात साफ है। वह यह है कि किसानों से इन ट्रैक्टरों के संतोषजनक ढंग से न चलने के बारे में रिपोर्टें आयी थीं।

मैं यह आश्वासन देता हूं कि राजनैतिक उद्देश्यों से चलाये जा रहे किसी अभियान का सरकार पर प्रभाव नही पड़ेगा । इन ट्रैक्टरों को सन्तोषजनक रूप से चलाने के विचार से हम जर्मन सप्लायरों के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : तमिलनाडु एग्रो-इस्डस्ट्रीज कारपोरेशन के अध्यक्ष होने के नाते इन ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में मुझे कुछ जानकारी है । अपने राज्य में हमने किसानों को 12 ट्रैक्टर बेचे जो कि सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं । परन्तु इनमें और अन्य आयातित ट्रैक्टरों में कुछ कठिनाइयां हैं । एक तो यह देखने में अच्छे नहीं लगते, दूसरे इनका मूल्य अधिक है । इसके आधुनिकतम होने के कारण ड्राईवर इसके पुर्जों से अनभिज्ञ हैं । यही शिकायत का कारण है इस प्रकार के ट्रैक्टरों का आयात बन्द करना तो अच्छा है पर क्या सरकार ट्रैक्टर आयात पद्धति पर फिर से विचार करेगी । इसके लिये निविदायें आंमत्रित होनी चाहियें जिससे कि अच्छे व सस्ते ट्रैक्टर प्राप्त हो सकें । एक ही गुट से इनका आयात नहीं होना चाहिये ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ट्रैक्टरों की जांच के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया की जांच करने के लिए हमने एक समिति बनाई है । एक विशेष गुट से इनके क्रय किये जाने के बारे में ऐसा है कि विदेशी मुद्रा कठिनाई और सस्ती दर के कारण ऐसा किया गया । इक्का-दुक्का शिकायतों को छोड़ कर पहले कभी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई । भविष्य में ट्रैक्टर पूर्वी तथा पश्चिमी, दोनों, गुटों से आयात किए जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत ही कम है । परन्तु कुछ सदस्यों को अगले प्रश्न में अभिरुचि है । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सभा को आप "विक्रय लाबी" के रूप में बदलना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह बहुत बुरी बात है । हमेशा आप खड़े हो जाते हैं और कार्यवाही में बाधा डालते हैं । (**अन्तर्बाधाएं**) कृपया ऐसा न करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले चार दिन में मैंने एक भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका यह अर्थ हैं कि आप कार्यवाही में बाधा डालें ।

श्री हेम बरुआ : शायद आप नहीं चाहते कि श्री बसु इस सदन से बाहर जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह बिना विरोध के बाहर जाते है, तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether any guarantee was obtained from G.D.R. Government for about 3 thousands tractors ? Whether Government is considering providing any relief to those farmers who purchased these defective tractors ? Whether any price reduction is also contemplated ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इनके लिए नियत गारन्टी अवधि है, जिसे बढ़ाया गया है। प्रश्न के बाकी भाग का मैं पहिले ही उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले मास एक खबर प्रकाशित हुई थी कि पंजाब में इन ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में शिकायतों का कारण अकुशल लोगों द्वारा इनका चलाया जाना है । क्या मंत्री महोदय

के ध्यान में यह बात आई है। दूसरे मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि इस सदन को "लाबी" के रूप में परिवर्तित न किया जाये।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा पहिले दिये गये उत्तरों में आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Sir, the question about sugar-cane is being neglected...You give chance to those who do not obey you.

Mr. Speaker : This does not behave you. और फिर यह एक ही प्रश्न नहीं है। एक साथ चार प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : Your predeceesor was very strict. Once having called next question he did not allow any questions on the previous one.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता और फिर सदस्य भी तो उस प्रकार के नहीं। और एक साथ चार प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इन ट्रैक्टरों के डिलिवरी के पूर्व एवं पश्चात निरीक्षण के सम्बन्ध में संविदा में क्या व्यवस्था है। कच्चे माल सम्बन्धी इन शिकायतों का पहले क्यों नहीं पता लगा? क्या संविदा में ऐसी व्यवस्था है कि इन रद्द ट्रैक्टरों के विषय में सारी राशि सरकार वापस मांग सकती हो?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : निरीक्षण के संबंध में संविदा में कुछ शर्तें हैं और इस ट्रैक्टर की जांच बुढनी में हुई तथा इसे ठीक पाया गया। बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण पूर्जे बदले गये और ट्रैक्टर के चलाने के पश्चात ही इन मुख्य दोषों का पता लग सके।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अदायगी के संबंध में स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

पूर्वी पाकिस्तान के विषय में आकाशवाणी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजनैतिक दलों को आमंत्रित करना

*92. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह तथ्य महसूस कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि इस निष्क्रमण के पीछे कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं अपितु राजनीतिक उद्देश्य हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये अथवा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रसारण हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को आमंत्रित करने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (इ० कु० गुजराल) : (क) पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की स्थिति की वास्तविकता महसूस कराने के लिए भारत सरकार ने प्रचारात्मक उपाय किये हैं ।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के वास्तविक कारणों को प्रकाश में लाने के दृष्टिकोण से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रचार विभागों ने निम्नलिखित प्रचारात्मक उपचार किये हैं :—

आकाशवाणी

आकाशवाणी के कलकत्ता, कुर्सियांग तथा अगरतला केन्द्र निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं :—

(1) जमीन प्राप्त करने की आशा से भारत में आने के इच्छुक लोगों को रोकने के लिए घोषणाएं ।

(2) उपयुक्त कमेंट्रियां ।

(3) नेताओं द्वारा वार्ताएं ।

यह भी निर्णय किया गया है कि सद्भावना, सूझबूझ तथा साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से आकाशवाणी के उन प्रसारणों में जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए निदेशित होते हैं, अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों के नेताओं की वार्ताओं की व्यवस्था की जाए ।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग के 1970-71 के निर्माण कार्यक्रम में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के निष्क्रमण पर विदेशों में दिखाने के लिए एक फिल्म बनाने का काम शामिल कर लिया गया है और यह दिसम्बर, 1970 तक पूरा हो जायेगा ।

प्रकाशन प्रभाग

अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में प्रकाशन वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की सलाह तथा उसकी मांग पर निकाले जाते हैं । विदेशों में वितरणार्थ पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण कर

आने वाले शरणार्थियों के बारे में एक चित्रमय पुस्तिका छापने के सुझाव पर उस मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की अल्पसंख्यक विरोधी नीति का पर्दाफाश किया जा सके।

महाराज त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने साम्प्रदायिक एकता तथा भारत-पाक मित्रता पर 6-९-70 की संसद सदस्यों की बैठक में जो भाषण दिया था उसको बड़े पैमाने पर जनता में परिचालित करने के लिये सभी भारतीय भाषाओं में छापने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पत्र सूचना कार्यालय

भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण कर आये अल्पसंख्यकों को स्वयं देखकर उनके बारे में रिपोर्ट दे सकें। प्रत्याशित पत्रकारों को तथ्यपूर्ण सूचना भी उपलब्ध की जाती है।

Views to State Governments for Fixing Minimum Price of Sugarcane

*94. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri D. Amat :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the various State Governments have been consulted in regard to the fixing of minimum price of sugarcane during the coming crushing season ;

(b) if so, the opinion of various State Governments ; and

(c) the decision taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) A summary of the recommendations made by the various State Governments is placed on the Table of the Sabha.

(c) Government have decided to continue the Minimum price of sugarcane for 1970-71 at Rs. 7.37 per quintal linked to a recovery of 9.4 percent or below. However, the premium for recoveries higher than 9.4% has been increased from 5.36 paise to 6.6 paise per quintal for every increase of 0.1 percent in recovery.

STATEMENT

Summary of Recommendations made by Various State Governments in Respect of Minimum Sugarcane Price for 1970-71

		Minimum Sugarcane Price per Quintal Suggested
1.	Andhra Pradesh	Rs. 9.00
2.	Assam	Rs. 7.37
3.	Bihar	Rs. 9.00
4.	Gujarat	No specific price suggested.
5.	Haryana	Rs 7.37 linked to 9.4% recovery.

6.	Maharashtra	Rs. 10.00 linked to a recovery of 8.4% or below with an addition of 10 paise per quintal for every 0.1 percent increase in recovery.
7.	Mysore	Rs. 7.60 linked to 9.4% recovery.
8.	Punjab	Rs. 10.00
9.	Rajasthan	Rs. 7.37 linked to 9.4% recovery.
10.	Tamil Nadu	Rs. 7.37 linked to 9.4% recovery.
11.	Uttar Pradesh	Rs. 9.00 linked to 9.4% recovery.

सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लिए नियत आयातित खाद्यान्नों का कोटा

*95. **श्री क० प० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का 995 लाख मीटरी टन रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद वर्ष 1970-71 के दौरान अमेरिका से लगभग 40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या खाद्यान्नों के आयात के परिणामस्वरूप देश के सूखा-पीड़ित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का कोई अतिरिक्त कोटा आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1970-71 वर्ष के लिए आयातित खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता लगभग 40 लाख मीटरी टन आंकी गई है जिसमें से केवल लगभग 25 लाख मीटरी टन खाद्यानों का संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया जा सकता है।

(ख) अभी भी कुछ मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना न केवल चालू खपत की आश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है बल्कि उपयुक्त मात्रा में "बफर स्टाक" तैयार करने के लिए भी आवश्यक है।

(ग) कमी वाले विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन पूरे राज्य के लिए किया जाता है जिसमें राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्र, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग, यदि कोई हो, पर भी उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

आस्ट्रेलिया के सहयोग से कृषिअनुसंधान

*96. श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर कृषि-अनुसंधान में और अधिक सहयोग करने हेतु विचार-विमर्श कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित प्रस्तावों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच कृषि अनुसंधान में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने तथा विचाराधीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत चल रही है सूक्ष्म पोषकतत्व अनुसंधान बारानी खेती अनुसंधान एवं भेड़ अनुसंधान को सशक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के आयात के भी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों की मोटी सी रूप रेखा प्रदर्शित करने वाला एक नोट सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उन प्रस्तावों की रूप-रेखा जिनके लिए कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आस्ट्रेलिया से सहायता प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए फाइटोट्रोन :

फाइटोट्रोन एक ऐसा जलवायु घर है जिस में कि प्रकाश तापमान, तथा नमी का पौधे की वृद्धि पर प्रभाव निश्चित करने के लिए प्रयोग होता है क्योंकि इसमें इन सभी को नियन्त्रण में रखा जा सकता है और स्वतन्त्र रूप से परिवर्तन करके उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। अतः आस्ट्रेलिया सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्य में सहायता के लिए फाइटोट्रीन सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

फाइटोट्रोन की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिकों को उलझी हुई समस्याओं का शीघ्र हल निकालने में सहायता मिलेगी। इससे विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के विशेषकर सूखाग्रस्त तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के अनुकूल किस्मों की फसलों के विकास तथा अध्ययन में सहायता मिलेगी। यदि ऐसा अनुसंधान उपकरण उपलब्ध हो जाए तो कुछेक महत्वपूर्ण समस्याओं को शीघ्रतया से भली प्रकार सुलझाया जा सकेगा।

(क) बरानी अवस्थाओं के अन्तर्गत बोए जाने वाली गेहूँ की किस्मों द्वारा रासायनिक तथा सूर्यऊर्जा का प्रयोग, उर्वरकों के प्रयोग की समस्या ;

(ख) कपास में बोल-शैडिंग ;

(ग) उत्तरी भारत में गन्ने का कम उत्पादन ;

(घ) चावल द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग ;

(ङ) आम की फसल का झड़ना तथा दूसरी फसल लगना ।

2. **सूक्ष्म पोषण तत्व अनुसन्धान के लिऐ समन्वित योजना के लिये सहायता**

सूक्ष्म पोषण तत्व अनुसन्धान के क्षेत्र में आस्ट्रेलिया अग्रगामी देशों में से एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक सूक्ष्म समन्वित पोषण तत्व अनुसंधान परियोजना तैयार की है जोकि नौ केन्द्रों में चल रही है। अधिक उपज देन वाली किस्मों तथा सघन खेती के कारण सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी अधिकाधिक सामने आती जा रही है। अनुसंधान कार्यक्रम को चलाने के लिए तांबे, मैंगानीज, जस्त, कोबाल्ट, लोहा, मोलिडेनम कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण के लिए आठ आणविक अवशोषण स्पैक्ट्रो-फोटो-मीटर यूनिटें तथा उनसे सबंद्ध सभी उपकरणों की आवश्यकता है। आस्ट्रेलिया से एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। सूक्ष्म पोषण तत्व में अनुसंधान के लिए पहला दल अप्रैल 1971 में प्रशिक्षण के लिए जाने वाला है। आस्ट्रेलिया से आणविक अवशोषण स्पैक्ट्रो-फोटो मीटर को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

3. **केन्द्रीय रुक्षक्षेत्र अनुसन्धान के लिए सुविधा**

केन्द्रीय रुक्षक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में मृदा विभाग, पौध तथा पानी सम्बन्धी विभाग तथा वायु शक्ति एवं सूर्यशक्ति प्रयोग विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थानों के विभिन्न विभागों को अपने विभागों के सफल कार्यक्रम के लिए आस्ट्रेलिया से निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता है। केन्द्रीय रुक्षक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के लिए निम्नलिखित यंत्रों की सप्लाई के बारे में बातचीत चल रही है।

(1) ग्लास स्टिल

(2) ओवर हैड स्प्रिंकलर सिस्टम

(3) आणविक अवशोषण स्पैक्ट्रो-फोटो मीटर

(4) बिजली से हिसाब करने की मशीनें

(5) मैटलर खुला पैन बेलेन्स

(6) अन्डे सेने की मशीन

(7) नकल करने वाली मशीन

(8) बैफल घास के लिए सीड-ड्रिल

4. **आस्ट्रेलिया से विदेशी नस्लों की भेड़ों का आयात**

मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत वड़े पैमाने पर देश की विभिन्न कृषि जलवायु अवस्थाओं में संकरण परीक्षण के लिए आस्ट्रेलिया से विभिन्न किस्मों की प्रत्येक की साढ़े तीन सौ भेड़ों के आयात का प्रस्ताव है जो नीचे दिया गया है। डोरेस्ट हार्न, तथा सफोक शुद्ध नस्लों का मूल भूत स्टाक केन्द्रीय भेड़ तथा

ऊन अनुसंधान संस्थान के उपकेन्द्र कोडिकनाल में रखा जाएगा तथा अनुसंधान के संकरण कार्यक्रम के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा।

नस्ल	मेढा	भेड़
सफलांक	15	100 (आस्ट्रेलिया के बारानी क्षेत्रों से)
डोरसेट हार्न	25	200 (दक्षिणी आस्ट्रेलिया से)
कोरियडेल	10	—
	50	300

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

*97. **श्री लखन लाल कपूर :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या की गहनता का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी विचार करेगी ;

(ग) क्या इस समिति को इस समस्या को हल करने के तरीकों का सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है ;

(घ) क्या इस समिति में कार्मिक संघ संगठनों को भी सम्बद्ध किया जायेगा ; और

(ङ) समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सरकार बहुत शीघ्र विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने वाली है जो देश में फैली बेरोजगारी और अपूर्ण नियोजन की स्थिति का सभी पहलुओं से अनुमान लगायेगी और उपचारी उपाय सुझायेगी।

(घ) और (ङ). इस समिति में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अलावा, संसद सदस्य अर्थशास्त्री और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष में देनी होगी।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन का कैन्बरा, आस्ट्रेलिया में सम्मेलन

*98. **श्री मयावन :**

श्री दण्डपाणि :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्बरा, आस्ट्रेलिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां। भारत ने 27 अगस्त से 8 सितम्बर, 1970 तक कैंबरा में हुए 10 वें खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में भाग लिया था।

(ख) सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था उनमें अधिक उत्पादन-शील किस्मों का धान्यों और पशुधन अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव, क्षेत्र की निर्यात की जाने वाली जिन्सों की सम्भाव्यतायें, विनिर्मित आदानों की मांग, कृषि विकास के लिए मानव संसाधनों को बढ़ाना, पौध रक्षा, पशु रक्षा, उन्नत रख-रखाव, खाद्य उत्पादों का भण्डारण तथा विधायन, भूमि तथा जल संसाधनों का संरक्षण, आदानों के विपणन तथा वितरण का दक्षतापूर्ण प्रबन्ध, क्षेत्र में कृषि विकास के लिए अनुसन्धान तथा कृषि विकास के लिए देशी और विदेशी संसाधनों को बढ़ाना शामिल है। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में विभिन्न देशों में कृषि की स्थिति तथा प्रवृत्ति और क्षेत्र में खाद्य तथा कृषि संगठन के भविष्य के कार्य का भी संक्षेप में जायजा लिया गया।

(ग) सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों पर विचार-विनियम करना और सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किए गए विषयों से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुझाव देना भी था। सम्मेलन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष तथा सिफारिशें निम्न थीं :—

(1) अधिक उत्पादनशील किस्मों की प्रगति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी रखे जाने चाहियें ;

(2) खाद्य तथा कृषि संगठन को "अनकटाड" के सहयोग से कृषि जिन्सों (जिनमें पौतवहन व्यवस्था, भाड़े की दरें, नीलाम पद्धति आदि शामिल हैं) के व्यापार तथा विपणन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि उनके व्यापार की सम्भाव्यताओं को बढ़ाने के लिए विकासोन्मुख देशों की सहायता की जा सके ;

(3) विकासोन्मुख देशों के लिए कृषि आदानों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ;

(4) कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थाओं के क्षेत्र में निकटतम सम्पर्क स्थापित किये जाने चाहियें, फार्म नेताओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए सहयोग की परियोजनायें शुरू की जानी चाहियें ;

(5) अधिक उत्पादनशील किस्मों के प्रसार, बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रम, कृषि विकास और भूमि सुधार से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित औद्योगिकी-करण के परिणामस्वरूप नौकरी की सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की जानी चाहियें ;

(6) विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता की व्यवस्था करने में काफी नम्यता होनी चाहिए ;

(7) इस क्षेत्र में पौध रक्षा उपायों के लिए अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ;

(8) भण्डारण तथा विधायन आदि में मध्य स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए ;

(9) कृषि विकास की गति को तेज करने के लिए देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयत्न किए जाने चाहियें ; और

(10) बैंकाक स्थित खाद्य तथा कृषि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ किया जाए ताकि यह कृषि उत्पादन और व्यापार के मामले में इस क्षेत्र की सहायता करने में अधिक से अधिक कार्य कर सकें ।

कीड़ों तथा पौधों के रोगों से फसलों को क्षति

*99. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में कीड़ों तथा पौधों के अन्य रोगों के कारण फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या रोगों से पौधों की सुरक्षा करने के लिए हाल ही में कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) हानिकारक कीटों आदि से होने वाली हानि की सीमा का मूल्यांकन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है और समस्त देश में होने वाली हानि का वैज्ञानिक आधार पर पता लगाना प्रायः असंभव है। रोगों के गम्भीर रूप से फैलने की राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी जाती है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्र का तदर्थ रूप से मूल्यांकन किया जाता है ।

(ख) धान की अधिकांश फसल की कटाई बाकी है किन्तु राज्यों से प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षणों की रिपोर्टों के आधार पर प्रभावित हुये क्षेत्र (खरीफ—70) का अनुमान संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में हवाई रासायनिक क्रिया-कलापों द्वारा किसानों को स्थानिक क्षेत्रों में कीटों तथा रोगों से अपनी फसलों को मुक्त कराने में सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

विवरण

विभिन्न राज्यों में 1970-71 में फसलों के कीडों और रोग से पीड़ित क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मारक कीट/रोग का नाम	पीड़ित प्रदेश
			(एकड़)
(1)	राजस्थान	खेत टिड्डी	85,000
(2)	महाराष्ट्र	जवार पर लगी इयरहेड कैटरपिल्लर	22,000
(3)	मैसूर	मूंगफली पर लगी लाल बालोंवाली कैटरपिल्लर	77,325
(4)	आन्ध्र प्रदेश	धान पर लगा हिस्पा	5,01,946
		धान पर लगी माजूमक्खी	20,000
(5)	जम्मू तथा कश्मीर	मक्के पर लगा डण्ठल-बेधक	16,000
(6)	मध्य प्रदेश	(1) धान पर लगी माजूमक्खी	3,765
		(2) रुई के पत्रों पर लगे जास्सिड़, बालवर्म, पत्र रॉफर तथा आंगुलर आदि	45,000
(7)	बिहार	(1) (क) गन्ने पर लगे वेधक कीटे	93,000
		(ख) मक्का पर लगे बेधक कीटे	55,000
		(2) धान की डण्ठल को वेधने वाला कीड़ा	55,000
		धान पर लगा जास्सिड़	15,000
		कुल	9,89,036

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के दोषपूर्ण ट्रैक्टरों का उसी देश के एक इंजीनियर द्वारा निरीक्षण

*100. **श्री यशपाल सिंह : श्री एम० नारायण रेड्डी :**
श्री म० र० कृष्णन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के एक इन्जीनियर उनके अपने देश से खरीदे गए दोषपूर्ण ट्रैक्टरों का निरीक्षण करने भारत आए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निरीक्षण के बाद यह पता चला कि ट्रैक्टरों में दोष भारतीय किसानों द्वारा उन्हें गलत ढंग से प्रयोग करने के कारण उत्पन्न हुए थे ;

(ग) क्या दोषपूर्ण ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में उक्त इन्जीनियरों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सरकार संतुष्ट है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से पुनः ट्रैक्टर खरीदने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आर०एस०-09 ट्रैक्टरों के घटिया कार्य-निष्पादन का एक कारण इन ट्रैक्टरों का किसानों द्वारा अच्छी तरह प्रयोग न करना भी था, क्योंकि उनकी मशीनें अन्य परंपरागत ट्रैक्टरों की मशीनों से भिन्न हैं। कुछ कृषि-उद्योग निगम पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था न कर सके।

(घ) इस समय संशोधित हुए आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी तथा देश के अन्य स्थानों में परीक्षण किया जा रहा है। इन ट्रैक्टरों की भारतीय परिस्थितियों में परीक्षण तथा जांच होने तक सरकार ने जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से और ट्रैक्टरों के आयात कार्य रोक दिया है।

आकाशवाणी मद्रास के नाम को बदलना

*101. **श्री श्रीचन्द गोयल** : **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मन्त्रियों ने आकाशवाणी से तब तक अपने सन्देश प्रसारित करना बन्द कर दिया है जब तक कि उस केन्द्र का नाम बदल नहीं दिया जाता ;

(ख) उक्त नाम में क्या परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) तमिलनाडु सरकार के विरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। तथापि, समाचार-पत्रों में छपी खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने इस आशय की एक घोषणा की है।

(ख) और (ग). तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने यह निवेदन किया था कि आकाशवाणी, मद्रास को अपने क्षेत्रीय प्रसारणों में "मद्रास बनोली" के स्थान पर "चैन्नै बनोली' नाम का प्रयोग करना चाहिए। यह सुझाव पहले ही माना जा चुका है।

राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के लिये प्रैस परिषद का क्षेत्राधिकार

*102. **श्री हुचे गौडा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायत पर प्रैस परिषद द्वारा विचार करने के लिए उसके क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) और (ख). "ट्रिब्यून" के मामले में प्रैस परिषद के निर्णय से केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के परिषद के क्षेत्राधिकार समेत कई बातें उठ खड़ी हुई हैं। मामले पर विचार किया जा रहा है ।

खाद्यान्नों का निर्यात

*103. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ खाद्यान्न निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1970 से 1973 तक सरकार का विचार कितना खाद्यान्न निर्यात करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) और (ख). यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पश्चिम एशिया को सीमित मात्रा में बढ़िया बासमती चावल तथा दालों का निर्यात किया जा रहा है ।

(ग) 1969-70 की फसल से 30,000 मी० टन बढ़िया बासमती चावल और 50,000 मी० टन दालें निर्यात करने की परिकल्पना की गई थी । 1970-71 में काफी अधिक मात्रा में बढ़िया किस्म के चावल और दालें निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि 1971-72 और 1972-73 के फसल वर्षों में चावल और दालों की कितनी मात्रा का निर्यात किया जा सकेगा ।

फिल्मों की सेंसर-सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशें

*104. **श्री हेम राज :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 30 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच-समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से इस संबंध में उत्तर मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्राप्त उत्तरों का सारांश सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) फिल्म सेंसर संबंधी जांच समिति की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). जिन अन्य सरकारों ने उत्तर दे दिया है वे हैं :—गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर, केरल तथा पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, दमन तथा दियु, लकादीव, मणिपुर, पांडिचेरी तथा नेफा।

(घ) समिति की विभिन्न सिफारिशों पर उनके उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—**4251/70]

Rehabilitation of Tibetan Refugees in Ladakh

*105. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :**

(a) the details of the steps taken by Government, to rehabilitate those Buddhists in Ladakh who have come from Tibet ; and

(b) the religious denominations of the persons for whose rehabilitation in Kashmir steps have been taken, the names of the countries from which they came and also the nature of steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government of Jammu and Kashmir have agreed to rehabilitate 1200 Tibetan refugees on land in the State. A scheme for the rehabilitation of these refugees has been prepared in consultation with the State Government and is expected to be implemented during the next working season.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received from the State Government.

फार्म सूचना कार्यक्रम

*106. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रभावी फार्म सूचना पद्धति की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये ;

(ख) क्या विदेशों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ;

(ग) क्या वर्तमान सूचना कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सामान्य रूप से किसानों में और विशेष रूप से क्षेत्र विस्तार कार्यकर्त्ताओं में कृषि सूचना का प्रसार करने के लिए फार्म सूचना एकक विस्तार निदेशालय में, जो केन्द्रीय कृषि विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, कार्य कर रहा है। राज्यों के कृषि विभागों में भी कृषि सूचना एकक है। ये एकक विस्तार निदेशालय के फार्म सूचना एकक के साथ निकट सम्पर्क रखते हुए कार्य करते हैं। ये एकक विभिन्न कृषि विकास और राज्यों में किसानों द्वारा अपनाये जाने के लिए उपयुक्त अनुसंधान परिणाम संबंधी जानकारी एकत्रित करते हैं और इन्हें प्रसार के विभिन्न तरीकों से किसानों तक पहुंचाते हैं।

केन्द्रीय तथा राज्य कृषि सूचना एकक कुछ प्रकाशन प्रकाशित करते हैं जैसे—पत्र-पत्रिकायें, इश्तहार आदि, बुलिटन, फार्म मैगजीन, पत्रिकायें और इश्तहार, चार्ट फिलिपबुक, फ्लैशकार्ड, उन्नत कृषि तकनीकी के संबंध में सूचना देने वाली फिल्म तथा फिल्मस्ट्रिपस आदि जैसे विभिन्न परियोजित तथा गैर-परियोजित दृष्टिक सहायताएं, प्रगतिशील किसानों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां, देश की विभिन्न कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं/संस्थानों में किये गये अनुसंधान के परिणाम।

(ख) जहां तक विस्तार निदेशालय का संबंध है, जानकारी सीधी विदेशों से एकत्र नहीं की जाती। फिर भी इंडो-जर्मन कृषि बिकास परियोजनायें तथा इंडो-जापानी विस्तार केन्द्रों जैसे कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसारण में सहायता देते हैं।

(ग) तथा (घ). फार्म सूचना एकक के अधिकतर प्रयत्न अधिक उत्पादनशील किस्मों और बहुद्देश्यीय फसल कार्यक्रमों, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न उत्पादन एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को अब सहायता प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों को पूरी सूचना सहायता देने के लिये फार्म सूचना एकक ने रेडियो, प्रैस, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, फिल्मों आदि सभी के माध्यम से जानकारी प्रसारण पर बल दिया है। जानकारी प्रसारण कार्यक्रमों की सहायता के लिये दृश्य-श्रव्य सहायताओं के उत्पादन तथा उपयोगिता पर विशेष बल दिया गया है। किसानों को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, विभिन्न अन्य सम्बद्ध संस्थाओं और क्षेत्र विस्तार कार्यकर्त्ताओं को सप्लाई करने के लिये केन्द्र में दोनों परियोजित और गैर-परियोजित दृश्य-श्रव्य सहायताएं तैयार की जाती हैं। खेतों में कार्मिकों द्वारा काम में लाने वाली दृश्य-श्रव्य सहायताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है। जानकारी प्रसारण के लिए फिल्मों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये कृषि सम्बन्धी निदेशात्मक तथा अनुसंधान फिल्मों के उत्पादन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 84 लाख रुपये की एक राशि प्रदान की गई है। कृषि विस्तार गति-

विधियों की सहायता के लिए स्थानीय जगहों में दिखाने के लिये प्रादेशिक भाषाओं में बनी ये फिल्में राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिल्म उत्पादन की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति स्थापित की गई है।

कलकत्ता में उचित अनुमति के बिना आटो टेलीफोन एक्सचेंज को बन्द किया जाना

*107. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में मंगलवार, 15 सितम्बर, 1970 को 440-वोल्ट सर्किट में खराबी का पता लग जाने के तुरन्त बाद, लगभग 200 मुख्य लाइनों को छोड़ कर, कलकत्ता टेलीफोन के टेलीफोन अधिकारी ने वहां के सभी 24 आटो एक्सचेन्ज को उच्च प्राधिकारियों को सूचित किये बिना बन्द कर दिया जिससे वहां व्यापार तथा वाणिज्य के लिए बहुत असुविधायें पैदा हो गई ;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) कलकत्ता के '24' टेलीफोन एक्सचेन्ज को 15-9-1970 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे हाई टेंशन विद्युत सप्लाई सर्किट में गम्भीर किस्म की खराबी होने के कारण 35 मिनट तक आंशिकरूप से बंद रखना पड़ था। उस समय ड्यूटी पर अधिकारी ने उच्च अधिकारियों की अनुमति लेने के बाद 6,300 में से लगभग 4,300 लाइनें बन्द कर दी थीं।

(ख) 15-9-1970 को प्रातः 10.00 बजे के करीब '24' टेलीफोन एक्सचेन्ज के मुख्य विद्युत सप्लाई सर्किट में खराबी पैदा हो गई। प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक एक्सचेन्ज में बैटरी का प्रयोग किया था। इस बीच गड़बड़ी की सर्किट ब्रेकर में सीमित कर दिया गया। चूंकि मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जा उस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए एक्सचेन्ज को आशिकरूप से बन्द करने का निश्चय किया गया। खराब हिस्से की मरम्मत की गई थी। इस खराबी को दूर करने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। खराबी को ठीक करने के बाद सभी बंद लाइनों को पुनः चालू कर दिया गया था।

पूरी विद्युत सप्लाई लाइन के साथ-साथ सम्बद्ध उपस्कर को भी पूरी तरह जांच की गई है। एक इन्जन आल्टरनेटर सेट की व्यवस्था करने का मामला हाथ में लिया गया है, ताकि यह जरूरत पड़ने पर काम आ सके।

शिक्षित बेरोजगार के लिए रोजगार

*108. **श्री शशि भूषण :**

श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष लगभग कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा तथा चौथी पंचवर्षीय के अन्त तक ऐसे कुल कितने लोगों को रोजगार दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) चालू योजना के अन्त तक लगभग कितने लोग फिर भी बेरोजगार रह जायेंगे तथा उन सबको रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार सिंचाई व बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर बेरोजगार लोगों को (जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल है) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गांवों में बिजली पहुँचाने के कार्य पर ज्यादा जोर देने, ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों में विविधता लाने और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए उच्च योग्यतायें प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचने की संभावना है। संगठित उद्योगों और खनन उद्योगों में इन्जीनियरों, तकनीशनों, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों की बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की सम्भावना है। सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं के क्षेत्र में अध्यापकों, डाक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की सम्भावना है।

इन्जीनियरों, तकनीशनों आदि जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ वर्ग के लोगों से सम्बन्धित स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय अपनाना आरम्भ कर दिया गया है।

चौथी योजना के अन्त में पढ़े लिखे लोगों को मिलने वाले नियुक्ति अवसरों की संख्या और इस श्रेणी के बेरोजगार रहने वालों के सम्बन्ध में यथातथ्य आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

सामुदायिक विकास खण्डों का कार्य

*109. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से सामुदायिक विकास खण्डों की सार्थकता समाप्त हो गई है क्योंकि वे उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और केवल मात्र व्यय के स्त्रोत प्रमाणित हो रहे हैं ;

(ख) क्या अधिकतर राज्य सरकारें देश में इन सामुदायिक विकास खण्डों को समाप्त किये जाने और विकास खण्डों को ग्राम निवासियों के लिए लाभप्रद बनाने के हेतु उनके वर्तमान ढांचे में आमूल परिवर्तन के पक्ष में है ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इन खण्डों के कार्य के विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० समीर) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फिल्म निदेशकों के लिए आचार संहिता

*110. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विदेशी फिल्म निर्देशकों के लिए ऐसी आचार संहिता तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिसके अनुसरण से ऐसी अवांछनीय घटना की पुनरावृत्ति न हो जिसका बी० बी० सी० को सामना करते हुए भारत में अपना कार्यालय बन्द करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो आचार संहिता की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या अभी भी कुछ विदेशी फिल्म निर्देशक भारत का अपमान करने वाली फिल्में बनाने में लगे हुए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक प्रक्रिया तैयार की जा रही है जिसमें वे शर्तें होंगी जिनके अनुसार विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अनुमति दी जायेगी । प्रक्रिया की मुख्य बाते एक विवरण में दर्शाई गई है जिसको सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) जहां तक सरकार की जानकारी है, कोई भी विदेशी फिल्म निर्देशक फिलहाल भारत का अपमान करने वाली फिल्मों के दर्शाने में नहीं लगा हुआ है । तथापि, सरकार उन विदेशी फिल्म यूमिटों पर बराबर बड़ी निगरानी रख रही है जिन्होंने भारत पर फिल्में बनाई हैं ।

विवरण

विदेशी फिल्म यूनिटों को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया की मुख्य बातें :—

1. फीचर फिल्मों की स्क्रिप्टों की जांच की जायेगी तथा डाकुमेंटरी फिल्मों के मामले में "कथासार" और "प्रतिपादन" की जांच की जायेगी ।

2. स्क्रिप्ट या "कथासार" और "प्रतिपादन" (जैसी भी स्थिति हो) के स्वीकृत होने पर भारत में फिल्मों की शूटिंग करने की निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी जायेगी :—

(क) विदेशी टीम को यह वचन देना होगा कि फिल्म की शूटिंग स्वीकृत स्क्रिप्ट या "कथासार" तथा ,'प्रतिपादन" (जैसी भी स्थिति हो) के अनुसार ही की जायेगी और कोई हेरफेर करने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ख) फिल्म की शूटिंग के काम में सहायता करने तथा उसकी देखरेख करने के लिए विदेशी टीम के साथ भारत सरकार का एक सम्पर्क अधिकारी लगाया जायेगा । यदि सम्पर्क अधिकारी यह रिपोर्ट करता है कि विदेशी टीम ने कोई आपत्तिजनक चित्र फिल्माया है तो एक्सपोज की गई सारी फिल्म जब्त की जा सकेगी ।

(ग) विदेशी टीम को यह भी वचन देना होगा कि फिल्म को रिलीज करने से पूर्व उसका अन्तिम प्रिन्ट भारत या विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधि को दिखाया जाएगा और यदि फिल्म में कोई आपत्तिजनक बात पाई जाएगी तो उसको उसमें से निकाल दिया जायेगा ।

एक उद्योग में एक संगठन

*111. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों ने, औद्योगिक शान्ति के व्यापक हित में, एक उद्योग में एक संघ की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर श्रम मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विधेयक लाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). इस प्रकार के कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग की, अन्य सिफारिशों के साथ-साथ, इस सिफारिश का, कि एक स्थानीय क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान या एक उद्योग में, प्रतिनिधि यूनियन के रूप में, बहुमत वाली यूनियन की मान्यता के लिये केंद्रीय विधान में सांविधिक व्यवस्था होनी चाहिये, जुलाई, 1970 में हुए स्थायी श्रम समिति के 29 वें अधिवेशन में अनुमोदन किया गया है । समिति की बहस को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभिन्न सरकारी समितियों से अपने मनोनीत सदस्यों को हटाने का निर्णय

*113. **श्री इसहाक सम्भली : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केन्द्रीय श्रम मंत्री को अपने इस निर्णय को बताते हुये पत्र लिखा है कि वह स्वचालित यंत्रों रोजगार, श्रमिक-शिक्षा आदि से सम्बद्ध विभिन्न सरकारी समितियों से अपने मनोनीत सदस्यों को हटाना चाहती है ;

(ख) यदि हाँ, तो आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किन-किन समितियों से अपने सदस्य हटा लिये हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आल इंडिया ट्रेडयूनियन कांग्रेस को इस बात के लिये मनाने के लिये उससे विचार-विमर्श करने हेतु कार्यवाही की गई है कि वह उक्त समितियों से अपने मनोनीत सदस्यों को न हटाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) ये स्वचालित यन्त्र, रोजगार, कार्यान्वियन और मूल्यांकन, श्रमिक शिक्षा और राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् सम्बन्धी समितियां हैं।

(ग) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पत्र के अनुसार मनोनीत सदस्यों को हटाने का कारण यह है कि विकासमान दिशा में सरकार की श्रम नीति पर पुनर्विचार करने और उसे नया रूप देने के लिये किसी भी निर्णायक और प्रभावशाली स्तर पर कोई लाभप्रद बातचीत नहीं हो रही है।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के निर्धारिण लक्ष्यों में संशोधन

*114. **श्री अ० दीपा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के खाद्यान्नों के लक्ष्यों में संशोधन करने के लिये विभिन्न पक्षों की ओर से दवाब डाला जा रहा है क्योंकि योजना के लक्ष्यों को अव्यावहारिक माना गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

मैसूर राज्य के मन्त्रियों के निजी निवास स्थानों पर लगी अनधिकृत टेलीफोन लाइनों का काटा जाना

*115. **श्री नम्बियार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के कुछ मन्त्रियों के निजी निवास स्थानों पर लगी अनधिकृत टेलीफोन लाइनों की बंगलौर के टेलीफोन अधिकारियों ने काटने के आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध मन्त्रियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सारे मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बंगलौर के टेलीफोन प्राधिकारियों की मैसूर राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के निज

टेलीफोनों के अनधिकृत प्रयोग का सन्देह हुआ था। इसे संबंधित टेलीफोन उपभोक्ताओं के ध्यान में लाया गया है।

कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली

*116. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में उप-भोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली लगभग अप्रचलित है और कलकत्ता के आसपास के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र में भी "टोल-काल" प्रणाली द्वारा जोड़े गये हैं ;

(ख) क्या सरकार की योजना कलकत्ता के आस पास के औद्योगिक क्षेत्रों को स्वाचालित डायलिंग प्रणाली से जोड़ने की है ;

(ग) क्या कलकत्ता, दुर्गापुर, वर्दवान तथा आसनसोल में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू करने की कोई योजना है ; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (घ). जी हां। फिर भी कलकत्ता टेलीफोन की संपूर्ण व्यवस्था में कलकत्ता और हावड़ा के 15 सीधे आटो-एक्सचेंज और अंदुल, आमतोला, बारासत, बरुईपुर, नरेन्द्रपुर, पानीहोटी, खरामपुर, उलूबेरिया के लघु-आटो-एक्सचेंज और बारकपुर, बजबज तथा उत्तर पारा की तीन करचल एक्सचेंज शामिल हैं। इन एक्सचेंजों का परस्पर सीधे संबंध जुड़ा हुआ है।

चिंसुराह की स्थानीय व्यवस्था में चिंसुराह, चन्द्रनगर, भाटहारा के करचल एक्सचेंज और कल्याणी तथा त्रिवणी के लघु आटो एक्सचेंज है। चिंसुराह की स्थानीय व्यवस्था से सम्बद्ध सभी एक्सचेंजों से कलकत्ता की स्थाननीय व्यवस्था को भेजे जाने वाले काल इस समय करचल आपरेटरों द्वारा टेलीफोन भवन, कलकत्ता में टोल के आधार पर निपटाए जाते हैं।

जी हां, आस-पास के औद्योगिक नगरों में आटो एक्सचेंज लगाने और उन्हें टैंडम एक्सचेंजों के जरिये कलकत्ता व्यवस्था से जोड़ कर कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था की सीधी डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत योजनायें तैयार की जा रही हैं और उनकी छानबीन की जा रही है।

(i) आसनसोल-दुर्गापुर और (ii) आसनसोल-धनबाद के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग की स्वीकृति दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त एक ट्रंक आटो एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है, जिसे लगाया जा रहा है। इससे पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य प्रमुख नगरों के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग चालू

हो जायेगी। इसके पहले चरण में कलकत्ता, खड़गपुर, आसनसोल और शिलांग के लोग परस्पर डायल कर सकेंगे।

आसनसोल में 800 लाइनों के एक ट्रंक आटो एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है। यह आसनसोल, दुर्गापुर, धनवाद और रांची को परस्पर जोड़ेगी। इस एक्सचेंज के पूरा होने पर आसनसोल दुर्गापुर, धनवाद, रांची, कलकत्ता, खड़गपुर, और शिलांग के टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए परस्पर सीधे डायल करना संभव हो सकेगा।

बर्दवान इस समय करचल एक्सचेंज है। इसे 1973-74 में 1500 लाइनों के आटो एक्सचेंज से बदलने का प्रस्ताव है। इस स्थान से सीधी ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने पर आटो एक्सचेंज लगाने के बाद विचार किया जायेगा।

(i) कलकत्ता और उसके आस-पास के नगरों जैसे कि चिंसुराह, चन्द्रनगर, भाटपारा, कल्याणी और त्रिवेणी के बीच सीधी डायलिंग के लिये स्वचलीकरण और टेंडम एक्सचेंजों की स्थापना पांचवी योजना के दौरान पूर्ण हो जायेगी।

(ii) आसनसोल-धनबाद और आसनसोल-दुर्गापुर के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग 1973 के दौरान पूर्ण हो जायेगी।

(iii) कलकत्ता में ट्रंक आटो एक्सचेंज 1973 के दौरान पूर्ण हो जायेगी।

(iv) आसनसोल में ट्रंक आटो एक्सचेंज 1974 के दौरान पूर्ण हो जायेगी।

पंजाबी रूपक चित्र तथा पंजाबी नाटक पर रोक लगाने की मांग

*117. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाली दल की दिल्ली शाखा की कार्यकारी समिति ने पंजाबी रूपक चित्र "नानक नाम जहाज हैं" तथा पंजाबी नाटक "गगन में थाल" पर रोक लगाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) सरकार को अकाली दल की दिल्ली शाखा से इस प्रकार की कोई माँग अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म वित्त निगम के अधीन सरकारी छविगृह भवन

*118. **श्री केदार नाथ सिंह :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म निदेशक संघ द्वारा 22 अगस्त, 1970 को,बम्बई में आयोजित

एक भोज में सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री ने यह कहा था कि सरकार का विचार फिल्म वित्त निगम के अन्तर्गत सरकारी छविगृह बना कर कम लागत वाली उत्तम फिल्मों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में बनाई गई योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का बम्बई, मद्रास कलकत्ता तथा दिल्ली में एक-एक सिनेमा घर लम्बी लीज पर लेने तथा इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1970-71 में 25 लाख रुपये अलग से रखने का प्रस्ताव है । यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो निगम अपने सिनेमा घर बनायेगा । आर्ट थियेटरों को प्रारम्भ करने की एक और योजना भी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय खाद्य नीति में परिवर्तन की मांग

*120. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा तिलहन व्यापार तथा उद्योग की अखिल भारतीय "कन्वेंशन" में जोकि अक्तूबर, 1970 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में हुई थी, सरकार से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए और तिलहनों को एक मुख्य कृषि फसल माना जाए ।

(ख) कन्वेंशन में अन्य क्या मांगे की गई ;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को देश में खाद्य तेल की बड़ी कमी के बारे में भी अवगत कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में सरकारी रूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ). समाचार पत्र की रिपोर्टों के आधार पर किसी मांग के विषय में जांच-पड़ताल करना उचित नहीं है । तेल मितव्ययिता के प्रश्न पर शासकीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कृषि सम्पत्ति पर नियन्त्रण करने का प्रस्ताव

601. **श्री न० ना० देवघरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि सम्पत्ति पर नियन्त्रण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). राज्य सरकारें मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति, पट्टेदारी के सुधार, अधिकतम भूमि सीमा, जोत भूमि आदि की चकबन्दी के लिये कानून बना कर कृषि सम्पत्ति पर नियन्त्रण रख रही हैं।

गौंडा के किसानों द्वारा पंजाब के किसानों को काले बाजार मूल्यों पर रूसी ट्रेक्टरों की कथित बिक्री

602. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौंडा जिले के बहुत से किसानों ने जिन्होंने "सहकारी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं" के रूप में नियन्त्रत मूल्यों पर रूसी ट्रेक्टर प्राप्त किये थे, उन ट्रेक्टरों को पंजाब के किसानों को 7000 रुपये प्रति ट्रेक्टर का लाभ उठाकर काले बाजार में दिया है ; यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की सरकार को जानकारी मिली है तथा उन दोषी व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त ट्रेक्टर बेचे हैं ;

(ख) इन चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन ट्रेक्टरों को तीन साल तक पुनः न बेचने संबंध प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण है तथा ट्रेक्टरों को पंजीकृत न करने तथा मोटर कारों के समान ही नम्बर-प्लेट न देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). राज्य कृषि उद्योग निगम से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा-रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विषय सरकार की सक्रिय विचाराधीन है।

चीनी का सुरक्षित भंडार

603. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान चीनी उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी मिलों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की चीनी जमा हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 में सेन आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि सरकार कमी के वर्षों में सप्लाई का सुनिश्चिय करने हेतु सुरक्षित भण्डारों का निर्माण करे ;

(ग) यदि हां, तो उक्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) दीप नारायण सिन्हा आयोग कब अपना प्रतिवेदन पेश करेगा तथा यदि यह प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) चालू वर्ष (1970-71) के उत्पादन के अलावा, 22 अक्तूबर, 1970 को कारखानों के पास 18.00 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था जिसकी अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये बैठती है।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि चीनी कारखानों से बिक्री के लिये चीनी की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है इसलिए कारखानों के पास पिछले वर्ष का बचा स्टाक जोकि सामान्य आवश्यकताओं से अपेक्षाकृत अधिक है, बफर स्टाक का काम करता है। चीनी का अपर्याप्त उत्पादन होने के कारण, 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान बफर स्टाक तैयार नहीं किया जा सका था। 1968-69 के अंत में 13.04 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक बचा था जबकि 1969-70 के अंत में यह स्टाक 20.89 लाख मीटरी टन था।

(घ) आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अगस्त, 1971 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

साबरमती चावल से बीमारी फैलने के कारण हानि

604. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के एक उच्च शोध वैज्ञानिक ने हाल ही में रहस्योदघाटन किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित और निकाले गये, अधिक उपज देने वाले "साबरमती" चावल नाम की एक किस्म इस प्रकार की है कि उस पर बीमारी का अति शीघ्र असर होता है और उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है और बीमारी से किन क्षेत्रों में फसलें बरबाद हो गई थी ;

(ग) किस्म को सुनिश्चित करने के लिये आई०ए०आर०आई० द्वारा पर्याप्त परीक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) "साबरमती" चावल द्वारा और अधिक बीमारी फैलने की रोक थाम करने के लिये आई०ए०आर०आई० द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) इस विषय में कुछ समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। परन्तु विश्वविद्यालय

प्राधिकारियों ने इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है । वास्तव में ऐसी गलत रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उन्होंने दुःख प्रकट किया है ।

(ख) उपरोक्त (क) और (ख) को दृष्टिगत रखते हुये इसका प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) अखिल-भारतीय समन्वित चावल परीक्षण के अन्तर्गत 3 वर्ष तक समस्त देश में काफी विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात ही चावल की "साबरमती" किस्म निर्मुक्त की गई थी । कटक में अप्रैल, 1970 में हुई अखिल भारतीय चावल अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं की बैठक में देश के विभिन्न भागों की बढ़ी हुई उपज और अन्य उपलब्ध दित्ते के आधार पर इस किस्म की निर्मुक्ति की सिफारिश की गई थी । यह सिफारिश भारत सरकार की किस्म निर्मुक्ति केन्द्रीय उप-समिति द्वारा मंजूर की गई थी । ये दोनों निकाय किसी किस्म की उपज, क्वालिटी तथा अन्य लक्षणों के बारे में उसके गुणों से पूर्णतया सन्तुष्ट होने पर ही उसे निर्मुक्त करने की मंजूरी देती है । "साबरमती" केवल दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के चावल उगाने वाले क्षेत्रों के लिये सरकारी तौर पर जारी की गई थी । इसकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लिए सिफारिश नहीं की गई थी । समाचार पत्र की रिपोर्ट का सम्बन्ध सम्भवतः तराई क्षेत्र में इस किस्म की कार्य निष्पति से है । इस क्षेत्र के लिये सरकारी तौर पर खेती करने की सिफारिश नहीं की गई थी । तराई क्षेत्र में अधिक आर्द्रता होने के कारण इसकी परिस्थिति में कुछ रोगों के उपयुक्त लक्षण पाये जाते हैं । अधिक या कम उपज देने वाली चावल की कोई भी किस्म समस्त रोगों और कीटों की प्रतिरोधी नहीं है । साबरमती में शीघ्र पकना तथा अच्छी किस्म के दाने आदि अनेक गुणात्मत बातें पाई जाती हैं । साबरमती इस वर्ष के जून के महीने में ही निर्मुक्त की गई थी और अब तक की उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि दिल्ली और हरियाणा में इसकी कार्य निष्पति काफी सन्तोषजनक रही है ।

(घ) उन क्षेत्रों में जिनके लिये साबरमती की सिफारिश की गई है, इसे प्रभावित करने वाला 'ब्लास्ट' रोग कोई समस्या नहीं है । अतः इन क्षेत्रों में यह किस्म बड़ी अच्छी रहती है । इसके दाने बढ़िया तथा खुशबुदार होते हैं जिसके कारण बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है । किसानों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई किस्में ही बोयें ।

आकाशवाणी द्वारा संगीतज्ञों आदि के शिष्ट मंडल का विदेशों में भेजा जाना

605. **श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी ने 1 जनवरी, 1968 से 30 सितम्बर, 1970 तक संगीतज्ञों, वाद्य-वादकों आदि के कुल कितने शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजा है ;

(ख) ये शिष्ट मंडलों के सदस्य-कलाकारों के नाम हैं, उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की तथा प्रत्येक शिष्टमंडल ने कितने-कितने कार्यक्रम पेश किये ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को विमान किराया तथा विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितना खर्च करना पड़ा ; और

(घ) उक्त शिष्ट-मंडलों से देश को वस्तुतः क्या लाभ हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) कोई नहीं। आकाशवाणी विदेशों में कार्यक्रम देने के लिए संगीतज्ञों आदि का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजता है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

डाबोड जिला पंचमहल में डाक व तार कार्यालय के नये भवन का निर्माण

606. **श्री मालजीभाई परमार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, स्थान की कमी को देखते हुए गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में डाबोड के स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय सहित डाक व तार कार्यालय के नये भवन के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अब तक क्या वित्त-व्यवस्था की गई है तथा उक्त भवन का निर्माण करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ। दोहद (न कि 'दाहोद', जैसा कि प्रश्न में दिया गया है) में डाक-तार कार्यालय भवन के विस्तार या पुन: निर्माण और टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय भवन के विस्तार का प्रश्न पहले ही विचाराधीन है।

(ख) कुछ आवश्यक प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद डाक-तार भवन के लिए वित्त-व्यवस्था की जायेगी और वास्तविक निर्माण-कार्य को हाथ में लेने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाने की संभावना है।

जहां तक टेलीफोन एक्सचेंज भवन के विस्तार का प्रश्न है, प्राथमिक प्राक्कलन तैयार कर लिए गये हैं। चूंकि यह एक लघुकार्य है, इसलिए इसके लिए बजट में अलग वित्त-व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य के कुछ महीने बाद शुरू किये जाने की सम्भावना है।

डाबोड, गुजरात के डाक व तार कर्मचारियों को आवास सुविधा

607. **श्री मालजीभाई परमार :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक व तार विभागों के कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि गुजरात के डाबोड नगर में इस विभाग के कर्मचारियों को अच्छे तथा स्वच्छ निवास स्थान प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया देने के प्रश्न पर भी विचार किया है क्योंकि डाबोड नगर तथा फ्रीलैंड गंज की जनसंख्या 50,000 से अधिक है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दोहद में कर्मचारियों की संख्या 64 है, जबकि विभाग के पास 4 क्वार्टर हैं। इनमें से तीन किराये के और एक विभागीय है।

सर्कल से दोहद में 31 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन यह अभी प्रारम्भिक चरण में है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी वर्गीकृत शहरों में पदस्थ हैं और जिन्हें कोई सरकारी आवास अलाट नहीं किया जाता, उन्हें केन्द्रीय सरकार ने वर्गीकृत शहरों के अनुसार विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी दी हैं। अवर्गीकृत शहरों में काम करने वाले कर्मचारी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए शहरों का 1961 की जनगणना में उनकी संख्या के आधार पर 'ए-1', 'बी०-1', 'बी०-2' और 'सी' श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद जनसंख्या मे हुई वृद्धि को नहीं लिया गया है। चूंकि गुजरात में दोहद और फ्रीलैंडगंज के मामले में उपर्युक्त शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए वहां काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं है।

बाढ़ के कारण गत तीन वर्षों में खरीफ की फसल को हुई क्षति

608. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1970 में प्रत्येक राज्य में आई बाढ़ों के कारण गत तीन वर्षों में, प्रतिवर्ष, खरीफ की फसल को कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में, प्रतिवर्ष, किसानों को सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) (क) और (ख). अपेक्षित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें एकत्रित किया जा रहा है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा उन पर व्यय

609. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के देहाती क्षेत्रों में कुल कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का कार्य पूरा किया गया है ;

(ख) इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई तथा उक्त अवधि में खर्च की गई कुल राशि का यह कितने प्रतिशत है ; और

(ग) इस अवधि में विभिन्न नगरों के बीच, अलग-अलग, कितने सीधे टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सुविधाओं का उपलब्ध होना

610. **श्री अब्दुल गनी डार :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों के नाम क्या है जिन्हें 30 सितम्बर, 1970 तक टेलीविजन सुविधायें उपलब्ध की जा चुकी हैं ;

(ख) उन नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें 31 मार्च, 1972 तक टेलीविजन सुविधायें उपलब्ध कर दी जायेंगी ; और

(ग) सितम्बर, 1970 तक कितने गांवों को उक्त सुविधायें उपलब्ध की गई हैं तथा कितने गावों को 31 मार्च, 1972 तक यह सुविधा प्राप्त हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली।

(ख) दिल्ली, बम्बई/पूना और श्रीनगर।

(ग) क्रमशः 1,530 और 11,850.

बाढ़ के कारण डाक व तार विभाग को हानि

611. **श्री अब्दुल गनी डार : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में और 30 सितम्बर, 1970 तक बाढ़ के कारण केवल खम्भों, उपकरणों आदि को कितनी क्षति हुई है ;

(ख) क्या सरकार सारी व्यवस्था को भूमिगत बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो इस परियोजना को पूरा करने में कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में संचार लाइनों और उपस्कर को क्षति और नुकसान पहुँचा है। उत्तर प्रदेश में अलकनंदा की बाढ़, गुजरात में नर्मदा में बाढ़, हैदराबाद में बाढ़ और आंध्र के तटीय क्षेत्रों आदि में ऐसा हुआ है। कुल क्षति का वास्तविक ब्यौरा क्षेत्र यूनिटों से एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सख्त बाढ़ की स्थिति में भूमिगत केबिल और उपस्कर भी क्षति से एकदम बचे नहीं रह सकते, लेकिन उनमें खुली तार लाइनों की अपेक्षा खराबी, क्षति और नुकसान की सम्भावना कम रहती है। देश में वित्त और सामग्री की उपलब्धि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और ट्रंक, तथा शहरी और देहाती सभी क्षेत्रों में सभी खुले तारों को बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं

में ट्रंक खुली तार लाइनों की जगह उत्तरोत्तर भूमिगत केबिलों या सूक्ष्मतरंग लाइनों की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यदि अधिक नहीं तो अगली दशाब्दी के दौरान तो यह काम लगातार चलता रहेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में सहधुरीय और सूक्ष्मतरंग प्रणालियों के लिए लगभग 88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगारी बीमा योजना

612. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना को आरम्भ करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, अन्य विषयों के साथ-साथ भविष्य निधि अंशदान की दर को वेतन के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि अतिरिक्त अंशदान की राशि को सीमांत समंजन सहित पेंशन और बेरोजगारी बीमा जैसे नये लाभों के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु प्रयुक्त किया जाये। केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा की एक योजना की पहले ही घोषणा कर दी है। यह निश्चित करने से पहले कि बेरोजगारी बीमा योजना के लिए किस प्रकार से धन की व्यवस्था की जाये और इसको कब लागू किया जाये, भविष्य निधि के अंशदान की दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर निर्णय की प्रतीक्षा करने का विचार है। अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण हुई मजूरी की हानि की क्षति पूर्ति करने का, बेरोजगारी बीमा का प्रयोजन और सामाजिक उद्देश्य, कुछ सीमा तक, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत पूरा हो जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों की आवास सुविधायें

613. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बेघर वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास आवंटन के लिये उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के मकान तथा बंगलों की संख्या कितनी है ; और ये निवास किस श्रेणी के अधिकारियों को आवंटित किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन हजारों कमचारियों के लिये आवास का प्रबन्ध करने के लिये कोई योजना तैयार की है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास 471 आवास उपलब्ध हैं, जबकि वर्तमान कर्मचारियों की संख्या लगभग 3,700 है इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास आवास की काफी कमी है और कर्मचारियों में असन्तोष उत्पन्न होना स्वभाविक है।

(ख) जानकारी नीचे दी गई है (टाइप वार) :

श्रेणी	वेतन मान	उपलब्ध आवास
ए	निदेशक के लिये आरक्षित (2000-2500 रुपये)	1
बी	1,000 रुपये तथा इससे ऊपर	19
सी	750 रुपये से 999 रुपये तक	16
डी	500 रुपये से 749 रुपये तक	19
ई	250 रुपये से 499 रुपये तक	43
एफ	110 रुपये से 249 रुपये तक	191
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर	110 रुपये से नीचे	182
	योग :	471

क्वार्टरों का आवंटन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आवास आवंटन) नियम, 1960 के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 42.4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चतुर्थ श्रेणी के 300 क्वार्टरों के निर्माण की एक योजना के लिये नवम्बर, 1969 में स्वीकृति दी गई थी। यह कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है और 1971 के मध्य तक पूरा होने की सम्भावना है। अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था का दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तैयारी के समय देश में आपातकालीन स्थिति के कारण भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध के शिथिल होने पर आवास के लिये धन की उपलब्धि की स्थिति को देखते हुए काफी धन-राशि की व्यवस्था की जा रही है।

राष्ट्रीय संस्थान द्वारा चावल तथा गेहूँ उत्पादन राज्यों में प्रायोगिक अध्ययन करना

614. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान ने ये चावल तथा गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्यों में एक प्रायोगिक अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतिवेदन में छोटे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में फसल ऋण योजना की असफलता पर प्रकाश डाला गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० अमीर) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य निष्कर्षों का संक्षेप करते हुए अध्ययन ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है।

"विश्लेषण से जो अन्तिम निष्कर्ष निकला वह यह है कि यद्यपि फसल ऋण प्रणाली खेती के सहकारी उत्पादन ऋण परम्परागत प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए एक नवीन प्रक्रिया के रूप में तैयार की गई है, तथापि अपेक्षित लाभ अभी तक बहुत अधिक देखने में नहीं आए हैं। इस समय जो प्रणाली लागू है उसके परिचालन पहलुओं में पाई जाने वाली स्पष्ट त्रुटियां, जिनमें अन्य के साथ-साथ मुजारों को ऋण न देना, ऋण सीमाओं का दोषपूर्ण निर्धारण, समयोचितता, ऋण की मात्रा और साथ के विस्तार मार्गदर्शन की अपर्याप्तता भी सम्मिलित हैं, के कारण सभी जगहों के और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के किसान दूसरे स्रोतों जिनमें वे कार्यकर पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, पर अधिक भरोसा रखते प्रतीत होते हैं। कार्यकर पूंजी का यह वह दूसरा भाग है जो कृषि उत्पादित बढ़ाने की दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावकारी है। यदि फसल ऋण प्रणाली को वास्तव में उन हितकारी उद्देश्यों को पूरा करना है जिनके लिए यह तैयार की गई थी तो पाई गई त्रुटियों को दूर करने और ऋण और उत्पादन प्रक्रिया व खेती के निवेशों के प्रबन्ध के बीच प्रभावी सम्बन्ध विकसित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।"

(ग) व (घ). अध्ययन में फसल ऋण प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाए जाने की असफलता पर प्रकाश डाला गया है, न कि फसल ऋण प्रणाली की त्रुटियों पर जो कि दी गई हैं।

(ङ) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे फसल ऋण प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करें और इस मामले के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें लिखना जारी है।

टेलीविजन कर्मचारियों को पूना स्थित चलचित्र तथा टेलीविजन संस्थान में प्रशिक्षण

615. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पूना स्थित भारत का चलचित्र तथा टेलीविजन संस्थान टेलीविजन कर्मचारियों को प्रक्षिक्षण देना आरम्भ करेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिये उक्त संस्थान उपकरणों तथा सामग्री के खर्च को किस प्रकार वहन करेगा ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में उक्त संस्थान के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र के विकास परियोजना विशेष निधि से भी सहायता मिल जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्भावित सहायता की राशि कितनी होगी तथा इस सहायता को किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवर्ष औसतन 200 व्यक्तियों को टेलीविजन निर्माण तथा तकनीकी प्रचालन का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस प्रायोजना पर लगभग 1,71,98,000 रुपए व्यय होने का अनुमान है । इसमें से 85,95,000 रुपए भारत सरकार द्वारा खर्च किए जायेंगे । प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अपेक्षित आयातित उपकरण तथा सामान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किया जायेगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इस सहायता की राशि 1,47,000 डालर (86,03,000 रुपये) है । यह आयातित उपकरणों तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में होगी ।

प्रत्याशित अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात

616. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा उक्त संस्था की 25वीं वर्षगांठ पर दिनांक 15 अक्तूबर, 1970 को जारी किए गए उस विशेष प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत भी शीघ्र ही उन देशों की श्रेणी में आ जायेगा जो पहले तो खाद्यान्नों के निरन्तर अभाव से पीड़ित थे और अब अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में प्रत्याशित अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात करने सम्बन्धी कोई योजनायें तैयार की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य तथा कृषि संगठन ने उन पत्रों में से एक पत्र में जो खाद्य तथा कृषि संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर तैयार किए गए थे, उल्लेख किया है कि "भारत भी शीघ्र ही उन 6 देशों की श्रेणी में आ जाएगा जो पहले तो खाद्यान्नों के निरन्तर अभाव से पीड़ित थे और अब अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं और उनकी समस्या नए बाजार ढूंढने की होगी" ।

(ग) और (घ). सरकार के सामने इस समय तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण समस्या नई तकनौलौजी की प्रगति को बनाए रखने की है ताकि खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस समय हम केवल बासमती चावल और दालों को ही सीमित मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। सरकार सप्लाई-मांग की स्थिति पर दृष्टि रख रही है और आवश्यकता पड़ने पर असंतुलन की किसी स्थिति का सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक किलो घी वाले डिब्बे की बिक्री

617. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने बचत के आधार पर एक किलो के डिब्बे की बिक्री बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बचत व्यवस्था के कारण निम्न मध्य श्रेणी के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना पर एक किलो के डिब्बे की भी फिर से बिक्री जारी करने के बारे में जोर डालने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने एक किलोग्राम के डिब्बों की अनुपलब्धि के कारण (न कि मितव्ययता के आधार पर) एक किलोग्राम के घी के डिब्बों की सप्लाई अस्थाई रूप से बन्द कर दी थी। गर्मी के महीनों में भी योजना थोड़ी मात्रा में घी बनाती है।

(ख) एक किलोग्राम के घी के डिब्बे न मिलने से निम्म और मध्यम आय वर्ग के लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 1 किलोग्राम के डिब्बों का प्रबन्ध किया जा रहा है। आशा है कि योजना एक किलोग्राम के घी के डिब्बों की सप्लाई दिसम्बर, 1970 से आरम्भ कर देगी ।

श्रीलंका से आने वाले आप्रवासियों का निकोबार द्वीप समूहों में बसाना

619. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका से ऐसे कितने आप्रवासी आये हैं जिन्हें निकोबार द्वीप समूह में बसाया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : श्रीलंका से स्वदेश लौटे हुये भारतीयों के किसी भी परिवार को अभी तक निकोबार द्वीप में नहीं बसाया गया है।

Deficiencies in Central Board of Film Censors

620. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri N. K. Somani :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating any steps to rectify those deficiencies of the Film Board of Censors about which comments were made by the Supreme Court in the case regarding the film "Tale of Four Cities" produced by Shri Khwaja Ahmad Abbas ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The Cinematograph Act, 1952, the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958 and the Directions issued by the Central Government are comprehensive and complete. The comments of the Supreme Court made in the case of the film "Tale of Four Cities" are under consideration.

फालतू भूमि की बिक्री पर रोक

621. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फालतू भूमि की बिक्री पर रोक लगाने के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों द्वारा विभिन्न राज्यों में निश्चित सीमा से अधिक भूमि के विक्रय और अन्य प्रकार के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि असम, महाराष्ट्र हरियाणा और पंजाब के भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण विषयक विधेयक के लागू होने या प्रकाशन के पश्चात घोषित की जाने वाली फालतू भूमि के क्षेत्र का निर्धारण करने के विषय में किए गए किसी भी हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी। गुजरात केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और माही में पूर्वव्याप्ति सहित हस्तांतरणों की अनुमति नहीं होगी। जबकि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में अधिकतम सीमा निर्धारण कानून बनाने की तारीख से हस्तांतरणों की अनुमति नहीं होगी ; मैसूर में अधिसूचित करने की तारीख

से और बिहार तथा मध्य प्रदेश में विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निर्धारित अवधि में हस्तांतरण की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल में 5 मई, 1952 के पश्चात हस्तांतरण के मामलों में जांच-पड़ताल करने की एक विशेष व्यवस्था की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

623. **श्री हुचे गोडा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के विषय में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यहि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से उक्त उपक्रमों का चयन किया गया है ; और

(ग) कारखानों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन अथवा चुनाव के लिए किस पद्धति का अनुसरण किया जाएगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (ग). प्रस्ताव के ब्यौरों पर सम्बन्धित मंत्रालयों का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के उपभोक्ताओं द्वारा नारियल के तेल का अपमिश्रित किस्म का प्रयोग

624. **श्री शंकर राव माने :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में हजारों उपभोक्ता नारियल के अपमिश्रित तेल का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). संबंधित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में केन्द्रीय निदेश

625. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**　　**श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री झारखण्डे राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई साधन युक्त और सिंचाई साधन रहित भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). भूमि सुधार के संबंध 26 सितम्बर, 1970 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की विचारार्थ कार्य-सूची की टिप्पणियों में यह सुझाव दिया गया था कि विशेषत: मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण में आने वाली भूमि के संदर्भ में कुछ समरूपता लाने की दृष्टि से जोत का भूमि की अधिकतम सीमा के स्तर में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह देखा गया कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 15 से 25 एकड़ से अधिक और राज्य सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण में आने वाली भूमि और 30 से 50 एकड़ से अधिक किसी अन्य भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा के स्तर को बनाये रखना उचित सिद्ध करना कठिन था।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतम सीमा के स्तर का पुनरीक्षण करने के मामलों पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावों पर और विचार किया जाना चाहिए।

सितम्बर, 1970 में आयोजित मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

626. **श्रीमती सुचेता कृपालानी : श्री हेम राज :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास सितम्बर, 1970 में नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन बातों पर विचार किया गया ;

(ग) क्या सरकार को मुख्य मंत्रियों के विचार-विमर्श का पूरा विवरण प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—4252/70]

(ग) और (घ). विचार-विमर्श के अनुरूप आगे कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1971 के भूमिहीनों को समूची बंजर भूमि का वितरण

627. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री सरजू पांडे :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 तक देश में सारी बंजर भूमि को भूमिहीनों में वितरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). उपलब्ध समस्त सरकारी बंजर भूमि के यथा संभव शीघ्र वितरण के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत निर्यात के लिए चीनी का कोटा

628. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य की दृष्टि से कि 1969-70 के मौसम में चीनी का लगभग 43.0 लाख मीटरी टन रिकार्ड उत्पादन हुआ था और 1969-70 के मौसम की 13.0 लाख मीटरी टन चीनी शेष रह गई थी क्या भारत के लिये "संकट राहत निधि" (हार्डशिप रिलीफ फण्ड), जो अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का अंग है, को निर्यात के अतिरिक्त कोटे के लिये अनुरोध करने का पूर्ण औचित्य था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निधि से चीनी के निर्यात के हेतु अतिरिक्त कोटे की भारत द्वारा मांग न किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो उक्त कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). संकट निधि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार 1968 के अनुच्छेद 44 के पैरा (2) के अनुसार करार की बात-चीत के समय काफी स्टाक वाले कुछ सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना है। अतः देश के मौजूदा चीनी स्टाक का संकट निधि से आवंटन करने के बारे में कोई सुसंगति नहीं है। करार पर बात-चीत संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन के सितम्बर/अक्तूबर, 1968 अधिवेशन में हुई थी और पहली जनवरी, 1969 से इसे लागू किया गया था। देश में पहली अक्तूबर, 1968 और पहली जनवरी, 1969 को क्रमशः 4.34 लाख मीटरी टन और 5.76 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक मौजूद था। इन स्टाकों के आधार पर 1970 में संकट निधि से आवंटन करने हेतु कोई भी मांग नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, अनुच्छेद 44 के उप-पैरा (2) के अनुसार निधि के आवंटन में छोटे विकासशील सदस्यों जिनकी निर्यात संबंधी कमाई चीनी के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर करती है, को अग्रता देनी है। यह प्रमुख बात थी जिसे संकट राहत समिति ने निधि के अंतर्गत अगस्त, 1970 में विभिन्न देशों को 70,000 मीटरी टन का आवंटन करते समय ध्यान में रखा था कि इस आधार पर भी भारत के लिये कोई वैध दावा करना संभव नहीं था क्योंकि भारत का चीनी निर्यात मूल्य उसके कुल निर्यात मूल्य का अंशमात्र होता है।

Reclamation of Chambal Valley

629. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the problem of the dacoit-infested areas of Chambel Revines in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh ;

(b) if so, the steps taken to tackle the problem and whether any scheme has been proposed for inclusion in the Plan for reclamation of land in Chambal Ravines, setting the people in that area especially in view of the offer from an international organisation for economic assistance in this direction ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministy of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The Government of India is aware of the existence of ravines along the Chambal River in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh and of the fact that these are dacoit infested.

(b) and (c). Suitable action is being taken by way of intensifying coordinated anti-dacoit measures and improvement of communications. A Centrally Sponsored Scheme of Pilot Projects for ravine reclamation has been initiated with an outlay of Rs. 2.00 crores for an area of . ,000 hectares each in the State of Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Gujarat. Further programme expansion will be considered after the technical and economic feasibility for reclamation Projects has been established in the Pilot areas. Although some World Bank officials have paid a preliminary visit to the ravine areas, no sizeable assistance programme can be framed because of lack of adequate allocations in the 4th Plan for the subject within which the World Bank assistance has got to be necessarily confined.

Tightness of Money Market due to Nationalisation of Sugar Industry

630. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister **of Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Prime Minister gave an assurance to the former Chief Minister of Uttar Pradesh for ordering an enquiry, through the C. B. I., in order to remove the fear of tightness of the money market arising out of the nationalisation of sugar mills ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चीनी का संचित भंडार

631. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार के उपबन्धों के अंतर्गत चीनी के निर्यात पर लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों के कारण देश की मंडियों और मिलों में भारी मात्रा में चीनी का स्टाक जमा हो गया है ; और

(ख) क्या चीनी के वर्तमान स्टाक को ध्यान में रखते हुए चीनी के मूल्य कम करने का विचार है जिससे भारत में साधारण जनता इसका लाभ उठा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। स्टाक में वृद्धि होने का मूल कारण चीनी का उत्पादन 1967-68 के 22.48 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1968-69 और 1969-70 में क्रमश: 35.59 और 42.7 होना है।

(ख) चीनी की आंशिक विनियंत्रण की मौजूदा नीति के अनुसार उत्पादन का एक भाग मुख्यत: घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए निश्चित मूल्यों पर अधिग्रहण किया जाता है और उसका एक भाग कारखानों को खुले बाजार में बिक्री हेतु दिया जाता है लेकिन उसकी निर्मुक्ति का विनियमन सरकार करती है। लेवी चीनी के मूल्य टैरिफ कमीशन द्वारा अभिस्तावित अनुसूचियों और क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और स्टाक स्थिति को देखते हुए इन्हें कम करने का कोई विचार नहीं है।

रूस से आयातित ट्रैक्टरों की कथित खराब किस्म के बारे में जांच

632. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समचार पढ़ा है कि रूस द्वारा सप्लाई किये गये ट्रैक्टर बहुत ही खराब किस्म के हैं और उनमें से अधिकांश ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं किया जा सकता तथा वे बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ; और

(ग) क्या रूसी सरकार को कोई शिकायत भेजी गई है और इस सम्बन्ध में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते।

हमारे लाखों लोगों के लिए नौकरियां

633. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 20 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रपति द्वारा अपनी पुस्तक "जॉब फॉर आॅवर मिलियन्स" में देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने सम्बन्धी दिये गये सुझावों पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). "जॉब फॉर ऑवर मिलियन्स" पुस्तक के अध्ययन 9, 10 और 11 के अंश को छोड़कर शेष भाग के प्रमुख विचार किसी न किसी रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। अध्याय 9, 10 और 11 के अंश में दिये प्रस्तावों की, जिन पर बहुत ऊंचे स्तर का विचार-विमर्श आवश्यक है, जांच हो रही है।

भूमि हथियाओ आंदोलन में हथियाई गई भूमि

634. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में हाल के भूमि हथियाओ आंदोलन में कुल कितनी एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया था ;

(ख) भूमि के मालिकों को कितनी भूमि वापिस दिलाई गई है ; और

(ग) शेष भूमि को उसके मालिकों को वापिस दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Scheme to Provide Employment Yielding Rs. 100 per Family

635. **Shri Valmiki Chowdhary :**
Shri Lobo Prabhu :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister declared in the course of a speech that it has been decided to provide employment yielding at least Rs. 100 per month per head for each family ; and

(b) if so, the time by which this scheme is expected to be implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The Hon'ble Members are presumably referring to the speech of the Prime Minister at the Session of the All-India Congress Committee held at Patna. The All-India Congress Committee had passed a resolution in the course of which it suggested that within the next five years, there should be at least one earning member in every family providing at least an income of Rs. 100/- per month for each family. In the course of a speech, the Prime Minister made a reference to the question of unemployment and observed that even the implementation of the modest programme outlined in the resolution was not easy because of shortage of resources.

नई हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

636. श्री शशि भूषण : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 12 अक्तूबर, 1970 में

प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति न तो क्रियाशील है और न ही निष्क्रिय ;

(ख) क्या इस 27 सदस्यीय समिति का कार्यकाल लगभग पांच महीने पूर्व समाप्त हो गया था परन्तु इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा अभी तक नहीं की गई है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नई "हिन्दी सलाहकार समिति" गठित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) इस समिति पर गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मामला गृह मन्त्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

राजस्थान में भूमिगत जल स्रोतों का सर्वेक्षण

637. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषकर जालौर जिले में, भूमिगत जल स्रोतों के लिये हाल ही में किये गए सर्वेक्षण का अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले तथा क्या जालौर जिले में किसी भूमिगत जलस्रोत का पता लगा है ;

(ग) जालौर जिले में 200 नलकूप लगाने के लिए परियोजना को लागू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन जांच की गई थी ; और

(घ) यह परियोजना संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) अब तक केवल जालौर क्षेत्र के बारे में ही अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लाठी क्षेत्र (जिला जैसलमेर) के बारे में रिपोर्ट तैयार हो रही है आशा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लाठी क्षेत्र के बारे में दिसम्बर, 1970 के अन्त तक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

बरुन्डा क्षेत्र में प्राथमिक कार्य पूरा हो चुका है और आशा है कि इस क्षेत्र के बारे में जांच के परिणामों सहित तकनीकी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 1971 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ;

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार जालौर क्षेत्र में जल का अत्याधिक प्रयोग किया प्रतीत होता

है। अगले चार या पांच वर्षों में आंकड़े इकट्ठे किए जायेंगे और उनका मूल्यांकन किया जायेगा। अनुपात लगाया गया है कि जालौर क्षेत्र में इतना भूमिगत जल मौजूद है जिससे लम्बी अवधि तक रिचार्ज हो सकता है। मृदा की परिस्थितियों, जल क्वालिटी की सीमाओं और जल में लवणता के कारण सिंचाई के लिए भविष्य में बड़े पैमाने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता। पीने के लिए जल सप्लाई हेतु कुएं खोदने का काम, अपरिरुध जल, जिसमें पानी के साथ कम से कम टी० डी० एस० 2000 पी० पी० एम० तत्व हों, सीमित किया जाना चाहिये।

(ग) और (घ). जालौर क्षेत्र में जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया है। सिफारिश की गई है कि निकट भविष्य में सिंचाई के और कुएं न बनाये जायें और अगले 5 या अधिक वर्षों में क्रमबद्ध फील्ड हाइड्रालोजिक कार्य जारी रखा जाये। अतः अतिरिक्त 200 कुएं बनाने के प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है।

भारत कामर्स एन्ड इंडस्ट्री, बिडलाग्राम, बिहार में कर्मचारियों के मध्य झगड़ा

638. **श्री जी० मो० बिस्वास :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, जो बिहार के बिड़लाग्राम में बिड़ला का एक उपक्रम है, कर्मचारियों के दल में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में झगड़ा हुआ था ;

(ख) क्या बिड़ला बन्धुओं ने इन घटनाओं के उपरान्त उस कारखाने को बन्द करने का निश्चय किया है ;

(ग) इस झगड़े के क्या कारण थे ; और

(घ) वहां पर सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

महाराष्ट्र में चौथी योजना में नये रेडियो स्टेशनों की स्थापना

639. **श्री शंकर राव माने :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में महाराष्ट्र राज्य में कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किये जाने वाले रेडियो स्टेशनों की संख्या चार है ?

सरकारी उपक्रमों द्वारा भारतीय, विदेशी तथा अर्द्ध विदेशी विज्ञापन एजेन्सियों को सरकारी विज्ञापन देना

640. **श्री शंकर देव माने :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों द्वारा गत वर्ष से जून, 1970 तक भारतीय, विदेशी तथा अर्द्ध विदेशी विज्ञापन एजेन्सियों को सरकारी विज्ञापन किस आधार पर दिया गया था ; और

(ख) ऐसी एजेन्सियों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश में केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए किसी भी विज्ञापन एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता। सरकारी उपक्रमों को अपने विज्ञापनों के लिये एजेन्सियों का चयन एजेन्सियों की उस सूची में से करना होता है, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय निम्नलिखित सिद्धान्त के आधार पर तैयार करना है :—

(1) एजेन्सी के मालिक पूर्णरूप से भारतीय होने चाहिए तथा वह भारतीयों द्वारा नियंत्रित हो।

(2) इसको विज्ञापन के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूनतम एक वर्ष हो गया हो और इसको राष्ट्रीय विज्ञापन लेखों के सम्भालने में पर्यापत व्यायसायिक योग्यता हो।

(3) इसके उचित आर्थिक स्रोत अर्थात यदि वह लिमिटेड कम्पनी है तो उसकी एक लाख रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी हो और यदि मालिकाना या साझेदारी फर्म हो तो कम से कम 50,000 रुपये व्यापार में लगे हुए हों।

(4) इसका एक वर्ष में 3 लाख से कम का व्यापार न हो।

(5) इसका विज्ञापन ही एक मात्र व्यवसाय हो।

(6) इसकी आय विभिन्न माध्यम मालिकों द्वारा दिये जाने वाले कमीशन के रूप में हो तथा इस प्रकार अर्जित सारा कमीशन बिना हिस्सा किये या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ग्राहक को रिबेट दिए बिना अपने पास रखे।

एजेन्सी को यह भी वचन देना होता है कि वह एजेन्सी कमीशन या ऋण सुविधाओं के मामले में इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी के सदस्यों और जो इसके सदस्य न हो, उनके बीच भेदभाव नहीं बरतेगी तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के परामर्श से छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को यथासम्भव कार्यान्वित करेगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Grant of Ownership to Landless under Land Grab Movement

641. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of landless persons conferred actual ownership rights of land on permanent basis in the country in the wake of the land grab movement and the total acreage of land for which such rights were conferred ; and

(b) the acreage of land in respect of which ownership rights were conferred on the people on the said basis by the Delhi Administration and in the other States and Union Territories ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Press Council Opinion on Daily "Tribune"

642. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Rabi Ray :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether the Press Council has expressed its opinion about the daily 'Tribune'; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The findings of the Press Council on the various allegations made by the Editor of the Tribune against the Government of Haryana are given in the statement laid herewith on the Table of the House. [*Placed on the Library. See* No. LT—4253/70].

Payment to Madhya Pradesh Roadways for Carriage of Mail of P and T Department

643. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Posts and Telegraphs still have to pay a large sum as arrears to the Madhya Pradesh Roadways for transportation of mail in their lorries ;

(b) if so, the total amount outstanding against the P and T at present ; and

(c) the action proposed to be taken by Government for payment of these arears to the Madhya Pradesh Roadways ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). The amount payable to M. P. Road Transport Corporation for conveyance of mails since 1964 is under dispute but certain *ad hoc* payments have been made.

(c) A meeting was held between the P and T and Corporation representatives on 11-4-69 and a further meeting is proposed to be held shortly to settle the issue.

सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म का राजस्थान सरकार को हस्तान्तरण

644. **श्री सीताराम केसरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरतगढ़ में यंत्रीकृत फार्म का राजस्थान सरकार को हस्तांतरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह हस्तांतरण किन शर्तों पर किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

645. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु योजनायें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है और इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें बर्मा और श्रीलंका से वापस लौटे भारतीयों के लिये उठाये गये कदम बताये गये हैं, संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी०—4254/70]

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 7 करोड़ रुपये की बर्मा के प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये और 20 करोड़ रुपये की श्रीलंका के प्रत्यावासियों के लिये व्यवस्था की गई है ।

गोवा के मुख्य मन्त्री द्वारा आकाशवाणी का बहिष्कार

646. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्री वि० नरसिम्हा राव** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के मुख्य मन्त्री ने आकाशवाणी का बहिष्कार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इसमें कोई दोष है तो उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस आशय के कुछ समाचार छपे हैं ।

(ख) गोवा के मुख्य मन्त्री इस विचार के बताये जाते हैं कि गोवा के सम्बन्ध में आकाशवाणी के समाचार पक्षपातपूर्ण होते हैं ।

(ग) आकाशवाणी समाचारपत्रों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है । अतएव, कमियों को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगारी को समस्या हल करने की योजना

647. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : **श्री चेंगलराया नायडु** :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बेरोज़गार युवकों को 1971 तक अधिकतम रोजगार देने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और गैर सरकारी क्षेत्र के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, जिनके लिए निश्चित लागत की राशि में रुपये 24,882 करोड़ की वृद्धि कर दी गई है, देहाती और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति अवसर जुटाने का लक्ष्य है। विकास कार्यक्रमों के निर्धारण के पूर्व, योजना आयोग सम्बन्धित अलग-अलग क्षेत्रों से (जिनमें निजी क्षेत्र भी शामिल है) सलाह मशाविरा करता है। योजना को अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति अवसर जुटाने योग्य बनाने के लिए सन् 1970-71 के बजट में विशेष प्रयत्न किये गये हैं। इस बजट में सन् 1969-70 की तुलना में रु० 400 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। योजना की लागत में की गई इस उल्लेखनीय वृद्धि के साथ नियुक्ति अवसरों की वृद्धि के लिए बनी कई नई योजनाओं का पुनर्निर्धारण भी किया गया है। सड़क निर्माण छोटी सिंचाई योजनाओं के अलावा छोटे किसानों के लिए कार्यक्रम अजल खेती, डेयरी विकास, क्षेत्रीय और देहाती इलाकों में निर्माण कार्य, लघु उद्योगों की स्थापना आदि द्वारा नियुक्ति अवसरों में वृद्धि होगी। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण "समाजिक न्याय के साथ विकास की ओर" शीर्षक से प्रस्तुत रिपोर्ट में दिया गया है जो सन् 1970-71 के बजट पत्रों के साथ संसद में रखी गई थी।

जुलाई 1970 की वर्षा के उपरान्त राजस्थान के रेगिस्तान में उग्र भू-कम्पों का अध्ययन

648. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन नेशनल साइंस अकादमी का विचार एक अध्ययन दल राजस्थान के रेगिस्तान में भेजने का है जो कि गत जुलाई में व्यापक वर्षा के उपरान्त हुए उठन भू-कम्पनों का अध्ययन करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा किए जाने वाले अध्ययन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में राजस्थान के रेगिस्तान का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बारे में भी विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में रेगिस्तान के स्थान बदलने के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के लिये, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने जुलाई 1970 में विभिन्न वैज्ञानिकों के एक अध्ययन दल का गठन किया है। राजस्थान के रेगिस्तान तथा समीपस्थ शुष्क क्षेत्र के कुछ पहलुओं के बहु-क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिये इस दल ने सितम्बर, 19 0 में राजस्थान का दौरा किया था।

(ग) निकट भविष्य में राजस्थान के रेगिस्तान के विस्तृत सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

समाचार पत्रों के मालिकों और कर्मचारियों के मध्य मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में विवाद के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण

649. **श्री प० गोपालन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के मालिकों और कर्मचारियों के मध्य मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में विवाद पर निर्णय करने के लिये नियुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण ने इस बीच सरकार को अपना पंचाट दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या कर्मचारियों का विचार पंचाट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). गैर-पत्रकार कर्मचारियों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्विति के बारे में कतिपय समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों और उनके श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता का पंचाट सरकार को 22 जुलाई, 1970 को प्राप्त हुआ और वह 3 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हो चुका है।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केशोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

650. **श्री जि० मो० बिस्वास** :

श्री कं० हाल्दर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के केशोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स जो कि बन्द है, नाम के बिड़ला उद्योग के कर्मचारियों ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों ने मांगें प्रस्तुत की है ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

रूई के प्रति एकड़ उत्पादन का कम होना तथा रूई के फर्मों को आधुनिक बनाना

651. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूई का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार रूई की खेती को आधुनिक रूप देने का कार्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए समस्त मुख्य रूई उत्पादक राज्यों में राज्य तथा केन्द्रीय दोनों क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कपास की खेती की उन्नत तकनीकों के विषय में किसानों को केवल तकनीकी मार्ग दर्शन ही नहीं दिया जाता बल्कि पौद रक्षा रसायनों पर राज सहायता आदि प्रोत्साहन तथा उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कपास की खेती की उन्नत तकनीकों के विषय में किसानों को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सामूहिक पैमाने पर पौद रक्षा उपाय—जिनमें हवाई छिड़काव भी सम्मिलित है—आयोजित किए जा रहे हैं।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

653. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे आशुलिपिकों ने रोजगार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली को लगभग 2-3 महीने पूर्व अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है तथा वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) यदि विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि उनके कार्य का पर्यवेक्षण औद्योगिक प्रशिक्षिण संस्थान के पर्यवेक्षक प्रशिक्षिक तथा फोरमैन प्रशिक्षिक करते हैं जिनको कि उनके आशुलिपिक विषय की कोई जानकारी नहीं होती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन अर्हताप्राप्त तथा सक्षम अधिकारियों को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं जिनको कि आशुलिपि संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये आशुलिपि का पर्याप्त ज्ञान है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). तीन अनुदेशकों ने, निदेशक, नियोजन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, नई दिल्ली को अभ्यावेदन दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी हां। फिर भी पर्यवेक्षक अनुदेशक/फोरमैन अनुदेशक केवल प्रशासनिक और लेखा-प्रबन्ध को ही देखते हैं, जब कि प्रशिक्षण कार्य आशुलिपि के अनुदेशक चलाते हैं।

(ङ) नीचे दिये कारणों से दिल्ली के किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अभी तक अनुदेशक पर्यवेक्षक अथवा फोरमैन अनुदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है।

(एक) पर्यवक्षी अनूदेशक के पद का संस्वीकृत वेतन-मान रु० 250-380 है जब कि आशुलिपि अनुदेशक का वेतन मान 210-425 है। इसलिए उक्त वेतन मान में नियुक्त पर्यवक्षी अनुदेशक, आशुलिपि अनुदेशक के काम का पर्यवेक्षण नहीं कर पायेगा।

(दो) फोरमैन अनुदेशक की नियुक्ति 192 प्रशिक्षण स्थानों के लिये स्वीकृत किया जाता है। दिल्ली के किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिये 192 या इससे अधिक प्रशिक्षण स्थान नहीं है।

दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का स्थानान्तरण

654. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे कुछ प्रशिक्षकों ने अपने निवास स्थानों से निकटतम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानान्तरण के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली को आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ऐसे कर्मचारियों की अलग अलग कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस प्रकार के स्थानान्तरण के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ग) इस विभाग ने उनकी नियुक्ति उनके निवास स्थानों से निकटतम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करने के लिये क्या कार्यवाही की हैं ; और

(घ) ऐसे स्थानान्तरण कब किये जायेंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

अरब की सराय, पूसा और शाहदरा के एक एक अनुदेशक ने अपने निवास स्थान के निकट स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्थानान्तर के लिए अर्जी दी थी और इन तीनों अनुदेशकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

Stoppage of Government Advertisements to Certain Newspapers

655. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have of late stopped giving advertisements to certain newspapers because of the communal character of some of the materials published therein ;

(b) whether the Press Council was consulted about the communal character of the published material ;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(d) the names of those newspapers, which have been awarded punishment by the courts on the charge of spreading communalism ; and

(e) the names of those black listed newspapers which have been given representation in its standing committee by the All India Newspapers Editors Conference held in Simla recently ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Government advertisements are withheld from newspapers and periodicals which indulge in virulent propaganda inciting communal passions or preach violence or offend socially accepted conventions of public decency and morals underminning the basic national interests. Action in such cases is taken on the basis of a careful assessment in consultation with the State Governments and/or the Press Information Bureau.

(d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

(e) 1. Organiser, English weekly, New Delhi.
2. Pratap, Urdu daily, New Delhi.
3. Tarun Bharat, Marathi, Nagpur.
4. Yugadharma, Hindi daily, Jabalpur.

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के श्रमिकों को बोनस की अदायगी

656. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोनस की अदायगी के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल के पटसन मिलों के श्रमिकों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सभी श्रमिक संगठनों ने 4 प्रतिशत वार्षिक की पुरानी दर वाली बोनस की अदायगी को बहिष्कृत करने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें क्या हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचित किया जाता है कि कि यूनियनों ने बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत देय बोनस से अधिक बोनस की मांग की है। राज्य सरकार सौहार्दपूर्ण समझौता कराने की कोशिश कर रही है।

सामुदायिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश को अनुदान

657. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) उत्तर प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (स० चु० जमीर) : (क) उत्तर प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में सामुदायिक विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय अनुदान दिया गया है :

केन्द्रीय सहायता

वर्ष	अनुदान	ऋण	योग
1967-68	126.22 (जिसमें पिछले वर्षों के बकाया भुगतान के रूप में दी गई 5.95 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है)	89.54	215.76
1968-69	117.37	88.19	205.56

1969-70 के बारे में सामुदायिक विकास के लिये दिये गये अनुदानों के आंकड़े अलग से नहीं दिये जा सकते हैं, क्योंकि 1.4.69 से राज्यों को उनकी योजना स्कीमों, जिनमें सामुदायिक विकास भी सम्मिलित है, के लिये केन्द्रीय सहायता 'ब्लाक' अनुदानों तथा 'ब्लाक' ऋणों के रूप में दी जाती है।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है।

भारत में फालतू खाद्यान्न

658. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० आर्थर बन्टिग ने एक वक्तव्य में यह कहा है कि पांच वर्षों में भारत के पास इतना अधिक खाद्यान्न होगा कि उसका संभालना मुश्किल हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) देश के सामने तत्काल और महत्वपूर्ण समस्या उत्पादन के उन्नत तरीकों को अपना कर आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। सरकार पूर्ति-मांग की स्थिति पर निगरानी रखती है और जब कभी पूर्ति मांग से बढ़ेगी तब उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

देश में सूखे की समस्या का समाधान

659. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री शंकर राव माने :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे राज्य कौन से हैं जहां प्रायः सूखे की स्थिति बनी रहती है ; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं और प्रत्येक राज्य के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4255/70]

Allotment of Defective Tractors Imported from East Germany

660. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 416 RS-09 tractor imported from East Germany were allotted to Andhra Pradesh and 90 per cent of the tractors sold out of them went out of order very soon ;

(b) the names of other States to whom the said tractors were allotted ; and

(c) the action taken by Government to withdraw the tractors and to recover the damages and the price from the manufacturers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Andhra Pradesh State Agro-Industries Corporation had sold 164 RS-09 tractors to the farmers in the State. The Corporation has complained against the performance of these tractors.

(b) These tractors were also allotted to the Punjab, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Mysore State Agro-Industries Corporations.

(c) A series of discussions have been held by the Ministry of FACD and C (Department of Agriculture) with the GDR Delegation and the State Trading Corporation. The GDR Suppliers have agreed to replace free of cost defective components by new/modified components in all the tractors sold to the farmers or held in stocks by the State Agro-Industries Corporations. They have also agreed to extend the warranty period suitably. Five modified tractors are already under field tests at different places with a view to assessing the overall utility of these tractors for Indian conditions. One more tractor has also been sent to the Budni Station for test. The GDR Suppliers have also brought in three

plane loads of spare parts and new modified components for immediate supply on demand to the State Agro-Industries Corporation. They have also augmented the team of their technicians by another 15 qualified persons, thus raising the total number of technicians to about 30. Besides a large number of Indian technicians are employed with the approval of Agro-Industries Corporations concerned in order to expedite the process of modifications. It is expected that a majority of tractors in the hands of the farmers will be modified by December end. The performance is being closely watched and-a judgement can be reached some months later.

चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में लघु कृषि विकास कार्यक्रम

661. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु कृषि विकास कार्यक्रम के बारे में अपनी अन्तिम परियोजना केन्द्रीय सरकार को पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उक्त योजना को शामिल करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन में कितना वित्तीय परिव्यय होगा और उसके क्रियान्वयन में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) उड़ीसा को तीन लघु कृषि विकास एजेन्सी परियोजनायें प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार ने धेनकानल तथा बालेनगिर के लिये छोटे कृषकों की दो योजनायें प्रस्तुत की हैं। इन्हें क्रियान्विति के लिये स्वीकार किया गया था। राज्य सरकार से फूलबानी/गंजम जिलों की संशोधित रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजनां के अन्तर्गत 2.5 एकड़ से 7.5 एकड़ के मध्य की जोत वाले छोटे कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा, छोटे कृषकों के खेतों में 3,000 खुदाई के कुंओं के निर्माण का प्रस्ताव है। कुछ सामुदायिक कुंओं तथा हैंड पम्पों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा, छोटे कृषकों को दुधारु पशु, कुक्कुट, बकरी तथा भेड़ पालन के लिये भी प्रोत्साहित किया जायेगा, सहकारी समितियों को जोखिम निधि से अंशदान देकर सहायता की जायेगी तथा प्रबन्धकीय कर्मचारियों के लिये भी सहायता दी जायेगी। चतुर्थ योजना की शेष अवधि में चुनींदा छोटे कृषकों को अल्पावधि ऋणों के लिये 272 लाख रुपये, मध्यावधि ऋणों के लिये 57 लाख रुपये तथा दीर्घावधि ऋणों के लिये 292 लाख रुपये दिये जाने की आशा है। जिले का कलक्टर एजेन्सी का अध्यक्ष होगा तथा जिले स्तर के अधिकारी, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और दो गैर-सरकारी व्यक्ति इसके सदस्य होंगे।

बोलनगिर में इसी श्रेणी के लगभग 50,000 कृषकों को सहायता प्रदान की जायेगी। 4000 खुदाई के कुएं निर्मित किये जायेंगे तथा 2000 हैंड-पम्प वितरित किये जायेंगे। दुधारु पशुओं, कुक्कुट तथा बकरियां रखने के लिये, धेनकानल के समान ही, सहायता दी जायेगी।

मछली पालन को गौण धन्धे के रूप में अपनाने वाले छोटे कृषकों की फिंगरलिंगों तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिये पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत उपदान की सहायता दी जायेगी। सहकारी संस्थाओं को, धेनकानल के समान ही, जोखिम निधि अंशदान तथा प्रबन्धकीय उपदान से सहायता की जायेगी। चतुर्थ योजना की अवधि में चुनींदा छोटे कृषकों को अल्पावधि ऋणों के रूप में 264 लाख रुपये, मध्यावधि ऋणों के रूप में 140 लाख रुपये तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में 263 लाख रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है। इस मामले में भी कलक्टर एजेंसी का अध्यक्ष होगा।

(ग) जी हां।

(घ) चतुर्थ योजना की अवधि में केंद्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक परियोजना पर 1.50 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी। चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

वर्ष 1970-71 के दौरान रबी तथा खरीफ की फसल का अनुमान

662. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में खरीफ फसल के विभिन्न पोषकों की खपत का राज्यवार अनुमान क्या है ;

(ख) इस वर्ष प्रमुख खरीफ-फसलों के उत्पादन का क्या सामान्य अनुमान है ; और

(ग) 1970-71 की रबी फसल की उपज के बारे में अनुमान क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1970-71 के खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न पोषकों की अनुमानित खपत को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान खरीफ की फसलों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार कुल मिला कर देखा जाये तो खरीफ की फसलों की सम्भावनायें काफी अच्छी है।

(ग) मौजूदा मौसम के दौरान विभिन्न भागों में रबी की फसलों की बुवाई की जा रही है। वर्ष 1970-71 के दौरान रबी की फसलों की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

विवरण

राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1970-71 के खरीफ मौसम के दौरान नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी$_2$ ओ$_5$) तथा पोटास (के$_2$ ओ) की अनुमानित खपत।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ, 1970-71 के दौरान खपत		
		एन	पी2 ओ5 (टनों में)	के2 ओ
1	2	3	4	5
1	आण्ध्र प्रदेश	120,000	33,000	9,300
2	केरल	11,600	8,300	15,000
3	मैसूर	68,000	21,000	8,500
4	तमिलनाडु	73,000	23,000	20,000
5	पांडिचेरी	1,850	1,270	690
6	हरियाणा	19,000	1,320	330
7	जम्मू तथा कश्मीर	2,903	654	230
8	पंजाब	47,535	3,306	916
9	हिमाचल प्रदेश	1,708	525	27
10	दिल्ली	529	36	18
11	मध्य प्रदेश	28,330	14,745	1,415
12	राजस्थान	15,000	2,400	700
13	उत्तर प्रदेश	110,000	20,000	12,000
14	असम	2,000	500	500
15	बिहार	40,590	18,000	6,580
16	उड़ीसा	8,000	4,000	1,200
17	पश्चिम बंगाल	22,480	4,340	4,072
18	मणिपुर	422	45	8
19	त्रिपुरा	307	70	79
20	गुजरात	40,000	25,000	2,600
21	महाराष्ट्र	53,500	33,000	16,000
22	गोवा	478	285	114
	योग :	667,232	214,796	100,279

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के त्याग पत्र से सम्बन्धित 28 सितम्बर, 1970 का आकाशवाणी बुलेटिन

663. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 सितम्बर, 1970 को रात्रि साढ़े दस बजे के बुलेटिन में आकाशवाणी ने यह समाचार प्रसारित किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री चरण सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया है ;

(ख) क्या बाद में इस समाचार का स्वयं श्री चरण सिंह और विभिन्न पार्टियों के उनके समर्थकों ने खण्डन किया था, क्योंकि उन्होंने मुख्य मन्त्री पद से त्याग पत्र नहीं दिया था ;

(ग) क्या इस बात की जाँच पड़ताल की गई है कि इस प्रकार के प्रसारण के क्या कारण थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी ने 28 सितम्बर, 1970 की रात्रि 10-30 बजे अपने बुलेटिन में इस आशय का समाचार प्रसारित किया था जो प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, जिनको विश्वास सूत्र से यह समाचार मिला था, से प्राप्त हुआ था।

(ख) इस आशय का समाचार अखबारों में छपा था।

(ग) तथा (घ). आकाशवाणी ने समाचार इस लिये स्वीकार कर लिया था क्योंकि यह बताया गया था कि सूचना विश्वस्त सूत्र से मिली है। आगे जांच इसलिये नहीं की गई क्योंकि बाद में समाचार गलत पाये जाने पर समाचार एजेन्सी ने उसे वांपिस ले लिया था। सही समाचार 29 तारीख के प्रात: कालीन बुलेटिनों में प्रसारित कर दिया गया था।

पूर्वी जर्मनी से ट्रैक्टरों का आयात

66 . श्री श्रद्धाकर सूपकार :

श्री शिव चरण लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व जर्मनी से कितने आर० एस० 09 ट्रैक्टरों का आयात किया गया और उनकी कीमत क्या है ;

(ख) क्या ट्रैक्टरों की जांच करने पर उन्हें त्रुटिपूर्ण पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसी प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये नये क्रयादेश देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) : (क) पूर्वी जर्मनी से 1998 आर० एस० 09 ट्रैक्टर आयात किए गए थे। एक ट्रैक्टर का मूल्य 10,000 (लागत तथा भाड़े सहित) रुपये था।

(ख) इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के बारे में कुछ शिकायतें सामने आई थीं।

(ग) 7000 आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के आयात के लिये दूसरा करार 24 सितम्बर, 1969 को राज्य व्यापार निगम तथा विदेशी सम्भरण के बीच हुआ था। फिर भी इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के बारे में शिकायतों को दिसम्बर, 1969 में इस मंत्रालय के नोटिस में लाया गया था। इन शिकायतों के मिलते ही शीघ्र ही आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के और आयात को बन्द कर दिया गया। इस करार के अन्तर्गत अब तक कोई सप्लाई नहीं हुई है।

चीनी के मूल्य तथा उत्पादन की समस्याओं की जांच करने हेतु आयोग

665. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के मूल्य और उसके उत्पादन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की है ; और

(ख) आयोग के निदेश पद क्या हैं और उसके द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) : (क) सरकार ने चीनी उद्योग के कार्यचालन तथा उक्त उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है।

(ख) आयोग के गठन तथा उसके विचारार्थ विषय को बताने वाली अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4256/70] आयोग से 31 अगस्त, 1971 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है और यदि वह उपयुक्त समझे, किसी विशिष्ट समस्या (समस्याओं) पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की रिपोर्ट

666. **श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधारों की समस्याओं से निपटने के लिये केन्द्रीय भूमि से सुधार समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). एक केन्द्रीय भूमि सुधार समिति बनाई गई जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री	अध्यक्ष
2.	विधि और समाज कल्याण मंत्री	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
4.	खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री	सदस्य
5.	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
6.	सदस्य (कृषि), योजना आयोग	सदस्य

(ग) यह समिति भूमि सुधार की समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करने ; राज्य सरकारों को भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम बनाने, उन्हें लागू करने के लिए सहायता देने ; राज्य सरकारों को प्रस्ताव तैयार करने, उपयुक्त कानून बनाने और उन्हें तेजी से लागू करने के बारे में सहायता देने और समय-समय पर भूमि सुधार कार्यों और उनकी प्रगति आदि के बारे में प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिये बनाई गई है राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये आवश्यकतानुसार समिति की बैठकें होंगी । यह एक स्थायी समिति है और यह कोई विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है ।

Request for Ceylon for Supply of Sugar

667. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 10,000 tonnes of sugar have since been supplied to Ceylon if so, at what rate ; and

(b) if not, the time by which the supply of sugar to Ceylon is likely to start ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Yes, Sir. We have sold in all 30,000 tonnes of sugar to Ceylon. Out of this about 15,000 tonnes has already been shipped. It would not be in public interest to disclose the price as it is a Government to Government deal.

Disposal of Accumulated Stocks of Sugar

668. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Raj Deo Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar production has gone up as compared to the previous years ;

(b) the measures being adopted by Government to meet this crisis ; and

(c) the present stock of sugar lying with the sugar mills and the steps being taken by Government to dispose it of ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The sugar production has gone up from 22 49 lakh tonnes in 1967-68 and 35.59 lakh tonnes in 19 8 69 to 42.6 lakh tonnes in 1969-70.

(b) There is no crisis as such. The following steps have been taken to increase consumption :—

(i) State Governments have been asked to increase the scales of distribution of sugar in urban areas where these are low and to liberlise distribution in rural areas ;

(ii) The monthly quotas of levy sugar to States for distribution to domestic consumers have been increased from 17.32 lakh tonnes in 1968-69 to 28.18 lakh tonnes during 1969-70 ;

(iii) The release of free sale sugar has been increased from 9.83 lakh tonnes during 1968-69 to 14 37 lakh tonnes during 1969-70 ;

(iv) Efforts are being made to export as much sugar as possible under the provisions of the international Sugar Agreement, 1968 ;

(v) Restrictions on inter-State movement of free sale sugar have been removed.

(c) The closing stock of sugar with the factories on the 22nd October, 1970 was 18 32 lakh tonnes. This includes quantity already released for sale but not yet despatched. The balance quantity will be released for internal consumption and for export during the coming months.

सांविधिक वेतन बोर्ड

669. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**　　**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति ने यह सिफारिश की है कि वेतन बोर्डों को सांविधिक बना दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). स्थायी श्रम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कानूनन लागू किया जाना चाहिये। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द होना

670. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बाद से उस राज्य में कितने कारखाने बन्द हो गये हैं ;

(ख) इन कारखानों के बन्द होने का कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इन कारखानों को पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Dry Farming Scheme for Ghazipur, U. P.

671. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sanctioned a dry farming scheme for Ghazipur district in U. P. ; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred in connection therewith and the name of the place selected in Ghazipur district for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A centrally Sponsored pilot project for Integrated Dry Land Agricultural Development is proposed for Ghazipur district in U. P. for implementation durring 1971-72.

(b) The provisional cost of the project is estimated at about Rs. 20.00 lakhs. The selection of actual place of the project within the district will be done by the State Government.

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में बारानी भूमि उपज जलपान-गृह

672. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक बारानी भूमि उपज जलपान-गृह की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) फसल कैफेटेरिया तात्पर्य बारानी भूमि की परिस्थितियों में उगाई जा सकने वाली वैकल्पिक फसलों अथवा फसलों के वर्ग से है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थापित फसल कैफेटेरिया का खाका संलग्न है । कैफेटेरिया में सम्मिलित फसल प्रतिमान प्रयोगों के परिणामों के आधार पर हैं ।

इस प्रणाली की मुख्य बात यह है कि इसमें वैकल्पिक फसलों की व्यवस्था है, जिससे कि खरीफ के मौसम में वर्षा के पानी तथा रवि के मौसम में परिरक्षित मृदा आर्द्रता का कुशलतम उपयोग होता है । यह भी देखने में आयेगा कि अनाज खाद्यों (गेहूं, जौ, बाजरा तथा सोर्धम) दालों की फसलों (अरहर, मूंग, उड़द तथा चना) चारा फसलों (सोर्धम), तिलहनों की नकदी फसलों (सोयाबीन, सरसों, आरंडी की फलियां) तथा औद्योगिक फसलों (गवार) को उगाने का प्रयत्न किया गया है । सम्मिलित फसल प्रतिमानों में खरीफ की फसलों, रवि की फसलों के मध्य तथा खरीफ क्रापिंग और रवि क्रापिंग के मध्य तुलना सम्भव है ।

बारानी भूमि कृषि की परिस्थितियों में किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि आय में बढ़ोतरी के लिए खरीफ की फसलों में बाजरा, अरहर तथा रवी की फसलों की अवधि में सरसों और जौ जैसे कुशलतम जल उपयोगकर्ताओं के उगाने में विशेषता प्राप्त की जानी चाहिए। अरहर की अधिक उत्पादनशील तथा शीघ्र पकने वाली किस्मों के विकास तथा उन्हें उड़द के साथ उत्पादन करने से देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि की आशा बढ़ी है, इसी प्रकार अरंडी की फलियों, गवार तथा सोयावीन की कृषि भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषकों के लिये आय की स्रोतसिद्ध होगी क्योंकि अब ये औद्योगिक फसलों के रूप में महत्व प्राप्त करती जा रही है।

अत: उत्पादन आदानों के अभाव में भी फसल कैफेटेरिया के विकास से कृषकों को किसी भी कृषि क्षेत्र में वहां की जलवायु की परिस्थितियों के अनुरूप लाभदायक फसल प्रतिमानों को अपनाने के सम्बन्ध में पर्याप्त विकल्प प्राप्त है।

विवरण

बारानी भूमि फसल कैफेटेरिया, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली

(वर्षा 5 0-1000 मिलीमीटर)

	1	2	3	4	5	6	7	8
खरीफ	बाजरा (एच बी 3) (प्रतिरोपित)	पड़ती (फैलों)	ज्वार चारा (हरा)	मूंग (वैशाखी)	लोविया (चारा)	सोर्घम (सी०एस०-एच०-1)	पड़ती	पड़ती
रवी	सरसों (वी०एस०-एच० संख्या 1)	जौ (आई०-वी०-226)	पड़ती	पड़ती	पड़ती	पड़ती/ करड़ी (सफफ्लावर)	गेहूं (कल्याण सोना)	सरसों (वी०एस० एच० संख्या-1)

	16	15	14	13	12	11	10	9
खरीफ	अरंडी की फलियां (अरुणा)	सोयावीन (ब्रैग)	अरहर उड़द (बी०-9)	अरहर लोविया (ई०सी० 4216	गवार (एफ०एस० 277)	ज्वार चारा (सूखा)	बाजरा (एच० वी०-3)	अरहर (ए० एस-5)
रवी	पड़ती	पड़ती	पड़ती	पड़ती	पड़ती	चना (जी 24)	पड़ती	पड़ती

वर्ष 1971 के दौरान कृषि-जनगणना

673. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के दौरान कृषि-जनगणना करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उक्त जनगणना के लिये नियत धनराशि कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित विश्व कृषि-गणना में भाग लेने का निर्णय किया है । खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रस्तावित आवश्यक पदों जोतवार आंकड़े, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के (जहां अधिकार सम्बन्धी अभिलेख तथा फसल के आंकड़े उपलब्ध हैं) भूलेखों में सन्निहित जानकारी को पुनः सारणीबद्ध करके एकत्रित किया जायेगा । यह कार्य नमूना सर्वेक्षण द्वारा पूरा किया जायेगा । जिन राज्यों में केवल अधिकारों के आलेख रखे जाते हैं, वहां केवल नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाये जायेंगे ।

(ग) गणना के सम्बन्धित सारा कार्य सितम्बर, 1973 तक पूरा होने की संभावना है । अनुमान है कि इस कार्य पर .3 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी । अब तक 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों की प्रति परिवार व्यय के स्तर को बढ़ाने की मांग

675. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों ने प्रति परिवार-व्यय के स्तर को बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों ने काम न करने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों की मांगे पूरी करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख का प्रशासन, दिल्ली के संघीय क्षेत्र को छोड़कर, राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है । दिल्ली के संघीय क्षेत्र में डाक्टरी देख-रेख का प्रशासन सीधे, कर्मचारी

राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

(क) दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों से प्राप्त कुछ पत्रों में इस बात का उल्लेख था, परन्तु यह उनकी मांगों का एक भाग नहीं था।

(ख) दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा डाक्टरों ने काम बन्द करने की धमकी दी, परन्तु उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में नहीं।

(ग) डाक्टरों से मत-भेद प्रशासकीय मामलों के बारे में थे, जो विचार-विमर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो गये।

अनिवार्य न्याय निर्णय व्यवस्था का परित्याग

676. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मजदूर संघ संगठनों ने अनिवार्य न्याय-निर्णय की व्यवस्था का परित्याग किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्वेच्छिक मध्यस्थ निर्णय को कानूनी रूप देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 ए के अन्तर्गत स्वैच्छिक पंच फैसले की पहले से ही व्यवस्था की गई है।

चौथी योजना के दौरान आन्तरस्थलीय तथा सामुद्रिक मत्स्य-पालन के विकास के लिये आवंटन

677. **श्री लताफत अली खान :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आन्तरस्थलीय तथा सामुद्रिक मत्स्य-पालन के संसाधनों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इन संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ङ) चौथी योजना के दौरान आन्तरस्थलीय तथा सामुद्रिक मत्स्य-पालन के विकास के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां। विभिन्न तरीकों से अनुमान लगाया गया है कि भारतीय महाद्वीप की समुद्री सीमा के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 25 तथा 45 लाख मीटरी टन तक समुद्री मछली उपलब्ध होती है। आन्तरिक मछली उत्पादन की सम्भाव्यता अनुमानतः प्रतिवर्ष 30 से 40 लाख मीटरी टन तक की है। यदि मछली पालन की सघन पद्धतियां अपनाई जायें तो इस मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है।

(ग) और (घ). अन्तदर्शीय तथा समुद्रीय मछलियों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनावधि में कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। चौथी योजना की अवधि में इस प्रयत्न को गतिमान किया जा रहा है। जहां तक अन्तर्देशीय मात्स्यकी का सम्बन्ध है, चौथी योजना में बीज उत्पादन में वृद्धि करना, संयुक्त मछली फार्मिंग की तकनीकों को अपनाने और जलाशयों तथा खारी पानी वाले मीन क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जायेगा।

समुद्र तटीय मीन क्षेत्रों से लाभ उठाने के लिए पिछली योजनाओं के समय से काम में लाई जा रही लगभग 8,000 यंत्रीकृत नावों के बेड़े में 5,500 यंत्रीकृत नावों के बेड़े में 5,500 यंत्रीकृत नाव और बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, तट से दूर और गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए 300 मध्यम तथा बड़े आकार के जलयानों से काम लेने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम की सहायता के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से बन्दरगाह सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा रही है। तट से दूर तथा गहरे समुद्र में संसाधनों के सर्वेक्षण के कार्य को गतिमान किया जा रहा है और सर्वेक्षण करने वाले बेड़े में 24 जलयान बढ़ा दिए गए हैं।

देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले इस्पात के जलयानों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इन जलयानों के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से देशीय निर्मित जलयानों के लिए राज सहायता देने की एक योजना शुरू की है और इसके लिए पांच करोड़ की प्लान व्यवस्था की गई है। मछली मात्स्यकी परियोजनाओं की मुख्य आवश्यकताओं के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के चालकों को प्रशिक्षित करने हेतु संस्थान स्थापित कर दिये गये हैं।

(ङ) 83.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है जिसमें आन्तरिक मीन क्षेत्रों हेतु 17.05 करोड़ रुपये और समुद्री-मीन-क्षेत्रों हेतु 66.55 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है।

इन्डो-सोवियत समाचार विनिमय करार का नवीकरण

678. **श्री मयावन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत एजेंसी ए० पी० एन० (नोवोस्ती) तथा भारत सरकार के प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के बीच 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले विवादास्पद समाचार विनिमय करार का नवीकरण कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने करार में प्रतिपादित दायित्वों को कार्यान्वित न किये जाने के बारे में सोवियत रूस को बताया था ;

(ग) क्या सोवियत एजेंसी ने रूसी पत्रिकाओं में प्रकाशित भारतीय सामग्री की कुछ 'कतरनें' भेजी थी ; और

(घ) यदि हां, तो करार में क्या नये विचार जोड़ दिये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). ए० पी० एन० तथा पत्र सूचना कार्यालय के बीच करार में समाचारों का आदान-प्रदान नहीं है यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों से सम्बन्धित फोटो फीचरों और पृष्ठ-भूमि सामग्री के आदान-प्रदान तक ही सीमित है। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष लिखित में दूसरे को यह न बताए कि वह करार में संशोधन या उसको समाप्त करना चाहता है, तो वह करार, जो सितम्बर, 1967 में दो वर्ष के लिए हुआ था वर्षनुवर्ष स्वतः ही बढ़ जाता है। फिलहाल, यह करार सितम्बर, 1971 तक वैध है।

करार के अन्तर्गत पत्र सूचना कार्यालय ए० पी० एन० से संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल किये जाने के लिए फीचर लेख, पृष्ठभूमि सामग्री तथा फोटो प्राप्त करता है। पत्र सूचना कार्यालय सामग्री वितरित नहीं करता। यह सामग्री अन्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त इसी प्रकार की सामग्री के साथ पुस्तकालय में रख दी जाती है और वहां सन्दर्भ के लिए उपलब्ध रहती है। दूसरी ओर करार के अनुसार ए० पी० एन० के लिए यह जरूरी है कि वह उस सामग्री का, जो उनको पत्र सूचना कार्यालय से मिलती है, अनुवाद करे, उसकी कापियां निकाले तथा सोवियत समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को वितरित करे।

सोवियत समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से समय-समय पर कतरनें मिलती रहती हैं जिनसे पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री के इस्तेमाल किये जाने का पता लगता है।

कृषि-आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन

679. **श्री मयावन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि आयोग ने सरकार को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ; और

(ग) किन विषयों के सम्बन्ध में आयोग अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को सहमत हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) कुछ अन्तरिम रिपोर्टें 6 मास में प्रस्तुत होने की संभावना है ।

(ग) अभी तक आयोग ने निम्न अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निर्णय किया है :—

(1) कृषि के लिए विज्ञान और तकनौलोजी का प्रयोग।

(2) बीजों का गुणन और वितरण।

(3) उर्वरक और रासायण ।

(4) कृषि ऋण ।

(5) रोजगार संसाधन के लिए आदर्श परियोजनायें ।

(6) भूमि सुधार ।

स्टेट कोओपरेटिव बैंकों के कार्य-करण में सुधार करना

680. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय बैंकों की बढ़ती हुई ऋण देने सम्बन्धी सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में कोआपरेटिव बैंकों के कार्य विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं रही है ;

(ख) क्या स्टेट कोआपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष वित्त मंत्री से मिले थे ; और

(ग) इस बैठक का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं । कृषि विकास के लिए नई नीति और कृषि ऋण के लिए बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों तथा (वाणिज्य) बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के लिए अवसर हैं । उनसे आशा की जाती है कि वे पूरक के रूप में कार्य करेंगे ।

(ख) जी हां । वित्त मन्त्री ने 27 अक्तूबर, 1970 को सहकारी बैंकों और सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के बीच के समन्वय से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई थी ।

(ग) बैठक में सामान्यतः यह स्वीकार किया गया कि सहकारी और वाणिज्य बैंकों के लिए जमा-राशियां जुटाने, ऋण देने और समाजार्थिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में कार्य करने के लिए अवसर हैं । इन दो संस्थात्मक अभिकरणों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है ।

आकाशवाणी को एक निगम के रूप में परिवर्तित करना

681. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडु :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी सरकारी निगम के रूप में

परिवर्तित करने सम्बन्धी चन्दा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जनता की एक स्वर तथा जोरदार राय यह है कि आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी सरकारी निगम बनाया जाये ; और

(ग) क्या सरकार ने आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी सरकारी निगम के रूप में परिवर्तित करने के लिए कोई सम्बद्ध योजना बनाई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। सरकार ने फिलहाल आकाशवाणी की एक स्वायत्तशासी निगम के न बदलने का निर्णय किया है।

(ख) यह सही नहीं है कि आकाशवाणी को निगम में बदलने के पक्ष में देश व्यापी शक्तिशाली जनमत है। यह मत कुछ पत्रों द्वारा प्रकट किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

682. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में सितम्बर, 1970 तक कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

दिल्ली में 30-9-70 को विभिन्न एक्सचेंजों में टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति।

	अपना टेलीफोन योजना	अपना टेलीफोन योजना से भिन्न
शाहदरा	149	3385
तीसहजारी	2395	10171
दिल्ली गेट	कोई नहीं	16292
सेक्रेटेरिएट	कोई नहीं	कोई नहीं
राजपथ	कोई नहीं	कोई नहीं
कैंट	30	1538
कनाट प्लेस	कोई नहीं	2200
करौल बाग	57	15117

जोरबाग़) श्रोखला)	कोई नहीं	11017
फरीदाबाद	कोई नहीं	1072
गाजियाबाद	18	1191
बदर पुर	कोई नहीं	288
बहादुरगढ़	कोई नहीं	199
नजफगढ़	कोई नहीं	85
नांगलोई	कोई नहीं	126
बल्लभगढ़	16	235
नरेला	कोई नहीं	147
बादली	1	100

त्यागराज नगर, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के एक दुग्ध केन्द्र का खोला जाना

684. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना त्यागराज नगर (प्रेम नगर) नई दिल्ली में एक दुग्ध केन्द्र खोलने में किसी न किसी बहाने से विलम्ब कर रही है ;

(ख) क्या अन्य स्थानों में 1969-70 में दुग्ध केन्द्र खोले गये हैं परन्तु त्यागराज नगर के कम आय वाले सरकारी कर्मचारी उपेक्षा के कारण कष्ट उठा रहे हैं ; और

(ग) त्यागराज नगर में दुग्ध केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना ने सेवा नगर में 2 दुग्ध केन्द्र स्थापित किये हैं जिनमें से एक केन्द्र त्याग राज नगर (प्रेम नगर) की आवश्यकता को पूरा करता है। इस दुग्ध केन्द्र से बेची गई दुग्ध बोतलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस समय इस क्षेत्र में एक अतिरिक्त दुग्ध केन्द्र खोलना न्यायसंगत नहीं है।

(ख) सन् 1969-70 में कुछ नये दुग्ध केन्द्रों का निर्माण शुरू किया गया है। सेवानगर के दुग्ध डिपो की तुलना में अधिक भीड़ वाले कार्डधारी दुग्ध डिपुओं की मांग को पूरा करने के लिए नये केन्द्रों के स्थानों का चुनाव कर लिया गया है।

(ग) आमतौर पर एक दुग्ध डिपो लगभग 600-650 दुग्ध बोतलों को सम्भाल सकता है। जुलाई, 1970 में त्यागराज नगर क्षेत्र के मौजूदा कार्डधारियों के विषय में किये गये एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि उनकी मांग 100 बोतलों से कम है। क्षेत्र में बेचे जाने वाले दूध की मात्रा में काफी वृद्धि होने पर ही त्यागराज नगर क्षेत्र में एक नया दुग्ध डिपो स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

स्वर्गीय डा० आनन्द कुमार स्वामी की स्मृति में डाक टिकट

685. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय डा० आनन्द कुमार स्वामी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) स्वर्गीय डा० आनन्द कुमार स्वामी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट निकालने के प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति की 23-7-1966 की बैठक में विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की ।

यह प्रस्ताव डाक-टिकट सलाहकार समिति की अगली बैठक में फिर विचारार्थ रखा जायेगा ।

भारत तथा सोवियत रूस के बीच टेलेक्स सेवा

686. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 22 सितम्बर, 1970 को अपने तथा सोवियत रूस के मंत्री के बीच बधाई सन्देशों के औपचारिक आदान-प्रदान से नई दिल्ली-मास्को के बीच सीधी टेलेक्स सेवा का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के चालू करने का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलेक्स सेवा प्रतिदिन चालू रहेगी; और यदि हां, तो उसका समय क्या होगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जनता को अच्छी किस्म की टेलेक्स संचार सुविधायें प्रदान करने के लिए, नई दिल्ली और मास्को के बीच, वाणिज्यिक सेवा के रूप में, सीधी टेलेक्स सेवा चालू की गयी है ।

(ग) जी हां । सेवा का समय भारतीय मानक समय के अनुसार 1030 से 03:0 तक है ।

प्रेस परिषद का संशोधन

687. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़ के दैनिक समाचारपत्र 'ट्रिब्यून' के मामले में प्रेस परिषद के पंचाट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार इस सन्दर्भ में प्रैस परिषद अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रैस परिषद अधिनियम के अन्तर्गत प्रैस परिषद की यथा स्थिति समाचार पत्र, समाचार एजेन्सी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी देने, तम्बीह करने या उसकी निन्दा करने का अधिकार है। अधिनियम के अनुसार, सरकार के लिये परिषद, जो आवश्यक रूप से स्वयं विनियमित संगठन है, के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कोई विशिष्ट पग उठाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत हथियायी गई मंत्रियों की भूमि

688. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अगस्त में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चलाये गए भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत कुछ मन्त्रियों की भूमि पर कब्जा किया गया है ; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री की भी कुछ भूमि पर कब्जा किया गया है ; यदि नहीं तो, क्या इसके लिए कोई प्रयत्न किया गया था ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चंडीगढ़ के लिए टेलिफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन

689. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है, यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ;

(ख) कर्मचारियों का चयन करने में क्या मापदंड अपनाये गये हैं ; और

(ग) चंडीगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति की गत बैठक कब हुई थी ; और आगामी बैठक कब होगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। चंडीगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(ख) समिति में जिन हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उनके संगठनों और राज्य

सरकार से सुझाव मांगने के बाद नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है उसके बाद संचार मंत्री स्वविवेक से नामांकन करते हैं। संसद-सदस्यों का नामांकन संसद-कार्य मंत्री करते हैं।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति की अन्तिम बैठक 22-8-1969 को हुई थी। आगामी बैठक नवम्बर, 1970 के अन्तिम सप्ताह में करने का प्रस्ताव है।

विवरण

चंडीगढ़ की टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन (इसका पुनर्गठन अगस्त, 1970 में दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया था, जो ?1-8-1972 को समाप्त होगी)

	जिन हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है	नाम
1.	चंडीगढ़ प्रशासन	श्री डा० एस० बैंस, सहायक सचिव (गृह विभाग)
2.	विधान सभा सदस्य	1. श्री रविन्दर सिंह, सदस्य विधान सभा (पंजाब)।
		2. श्रीमती प्रसन्ना देवी, सदस्य विधान सभा (हरियाणा)।
3.	संसद-सदस्य	श्री श्रीचन्द गोयल
4.	व्यापार और वाणिज्य	श्री दलीप सिंह
5.	चिकित्सा व्यवसाय	डा० ए० डी० ग्रोवर
6.	समाचार-पत्र	श्री पी० सी टंडन
7.	प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता	1. श्री श्याम लाल गुप्ता
		2. श्री हंस राज शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा।
8.	जिन हितों को ऊपर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका	श्री नरिन्दर कुमार दुग्गल

उपर्युक्त के अतिरिक्त दो सरकारी प्रतिनिधि भी हैं। इस समिति के अध्यक्ष पंजाब सर्कल के तार निदेशक हैं और सचिव चंडीगढ़ के मंडल इन्जीनियर (तार) हैं।

T. V. Centre by Private Firms

690. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the salient feature of the scheme formulated by Government for giving more time for television programme in Delhi ;

(b) whether permission will be given by Government to any private firm also for setting up a television centre ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The duration of general television programmes in Delhi has been increased to 3 hours on week days and 4 hours on Sundays with effect from 15th July, 1970. A scheme for further expansion of facilities at Delhi television station is under preparation.

(b) No, Sir.

(c) Broadcasting, including television, is a Government responsibility.

शेर के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाना

691. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शेर के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पड़ी ;

(ग) क्या सरकार को प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार ने देश में पांच वर्ष के लिये बाघ के मारटारियम की सिफारिश की है।

(ख) देश में बाघ की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। प्रकृति-वैज्ञानिकों के मतानुसार इस जानवर की नसल इस उप महाद्वीप में शीघ्र ही लुप्त हो सकती है।

नई दिल्ली में नवम्बर-दिसम्बर, 1969 में हुई प्रकृति परिरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन की बैठक ने भी बाघ की घटती हुई संख्या के बारे में आशंका प्रकट की है और उचित गणना तथा पारिस्थितिक अध्ययनों से बाघ की संख्या का पता लगने तक इस जानवर के शिकार पर प्रतिबन्ध की सिफारिश की है।

तदनतर इस समस्या पर जंगली जीव-जन्तुओं के भारतीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में भी विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय किया गया कि 1 जुलाई 1970 से 5 वर्ष के लिये इस जानवर के वध पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(ग) जी हां। शिकार सम्बन्धी सामान बेचने वालों से।

(घ) गणना तथा पारिस्थितिक सर्वेक्षण होने तक प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता के बारे में शिकार सम्बन्धी सामान बेचने वालों को सूचित कर दिया गया है।

शेरों की संख्या तथा उनके द्वारा पशुओं का उठाया जाना

692. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः शेरों की संख्या कितनी है ;

(ख) किन क्षेत्रों में शेर अधिक संख्या में पाये जाते है ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि देश में प्रतिवर्ष शेरों के द्वारा कितने पशु उठाये जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अतेक्षित जानकारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वे क्षेत्र जिनमें शेर अधिक संख्या में पाये जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैसूर, तमिलनाडू, राजस्थान और केरल के वन क्षेत्र हैं।

(ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से एकत्रित की जा जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिजनौर, उत्तर प्रदेश के हरगुनपुर के डाकखाने में बचत बैंक डिपोजिट से गबन की जांच

693. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 20 अगस्त, 1970 के बिजनौर, उत्तर प्रदेश के हरगुनपुर डाकखाने में गबन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिश्मेंट ने बचत बैंक जमा राशि के गबन के बारे में जांच कार्य पूरा कर लिया है, यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला है ;

(ख) क्या लखनऊ के बड़े डाकखाने के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) यह नहीं पाया गया कि सतर्कता अधिकारी ने कोई अनियमितता की है।

(घ) ऊपर भाग (ग) में दिए गए निष्कर्षों को मद्देनजर रखते हुए आगे और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायत राज संस्थान का अध्ययन करने सम्बन्धी आयोग का गठन

694. **श्री हेम राज :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायत राज कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्थापित किए गये उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के निदेश पदों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) संभाव्यतः, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के अध्ययन के लिए उच्चाधिकार आयोग की प्रस्तावित स्थापना के बारे में पूछा गया है। यह आयोग अभी स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1970-71 में ट्रांसमिटरों की स्थापना

695. **श्री हेम राज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 27 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के उत्तरार्ध में जिन ट्रांसमिटरों की स्थापना की जानी थी उनमें से अब तक कौन से ट्रांसमिटरों की स्थापना की जा चुकी है तथा शेष ट्रांसमिटरों की स्थापना कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : इन सभी ट्रांसमिटरों की 1970-71 तक सेवा के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

बचत बैंक तथा पेंशन भुगतान की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

696. **श्री हेम राज :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 30 जुलाई 1970 के बचत बैंक तथा पेंशन भुगतान की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के बचत बैंक तथा पेंशन भुगतान की सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है, यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ; और

(ख) उनमें से कितने अतिरिक्त विभागीय डाकघर अस्थाई हैं तथा उन्हें स्थाई बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) बचत बैंक और पेंशन के भुगतान आदि की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा और उप

डाकघरों की संख्या संबंधी सूचना प्राप्त कर ली गई है और यह आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए 31 अक्तूबर, 1970 को संसद-कार्य विभाग को भेज दी गई है। इसकी एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4257/70]

(ख) 1 जुलाई, 1970 को देशभर में ऐसे अस्थाई अतिरिक्त विभागीय शाखा और उप-डाकघरों की संख्या, जिनमें बचत बैंक और पेंशन के भुगतान की सुविधाएं हैं, इस प्रकार है :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर	
बचत बैंक की सुविधा वाले	पेंशन भुगतान की सुविधा वाले	बचत बैंक की सुविधा वाले	पेंशन के भुगतान की सुविधा वाले
14,321	589	165	31

प्रायोगिक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को उस स्थिति में भी खोला जाता है और उन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए बने रहना दिया जाता है, यदि उन्हें चलाने पर होने वाला कुछ सीमाओं के भीतर हों। ये सीमाएं 500 रुपये से लेकर 2 500 रुपये तक की होती हैं।

यदि दस वर्ष के प्रायोगिक काल के दौरान इन डाकघरों की लगातार दो वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं से यह पता चले कि उनके चलाने पर होने वाला घाटा 240/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक का नहीं है, तो इन्हें स्थाई कर दिया जाता है। ऐसे डाकघरों को उनकी प्रायोगिक अवधि के बीत जाने के बाद उस स्थिति में भी स्थायी बनाया जा सकता है यदि उन्हें चलाने में होने वाला घाटा स्वीकार्य सीमाओं अर्थात 240/- रुपये से 500/- रुपये के बीच हो। ऐसा उस स्थान की निकटतम डाकघर से दूरी पर विचार करके किया जाता है।

जिन डाकघरों के संबंध में यह पाया जाता है कि उनमें प्रतिदिन 3 घंटे से कम का काम नहीं है और वे आत्म निर्भर भी हैं, तो उन्हें अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर के रूप में खोला जाता है। अगर लगातार दो वर्षों की समीक्षा से यह पता चल जाए कि वे ऊपर बताई गई बातों पर पूरे उतरते हैं तो उन्हें स्थायी बना दिया जाता है।

Report Bungling of wheat in Foodgrains Godowns in Punjab

697. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints regarding misappropriation involving lakhs of rupees worth of wheat from the foodgrains godowns set up in Ludhiana and Jagraon (Punjab) have been received ; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Import of Sheep from Australia

698. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to import sheep from Australia ; and

(b) the types of sheep to be imported and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Government has never been adverse to import of sheep from Australia. The restrictions imposed by the Australian Government of export of merino sheep from Australia, however, came in the way of imports from that country. Legal restrictions have recently been removed and a private party purchased some sheep in an auction held in Australia a few months back. Permission to import these sheep was given. The sheep however have not been lifted so far on account of opposition from the sheep farmers there. Sheep of other breads have been received from Austraila from time to time.

Goverment of Australia is to supply 5,000 ewes and 110 rams, in all 5110 sheep, of Corriedable breed over a period of 6 years for the Central Sheep Breeding Farm, Hissar. This farm is being developed with the help of the Australian Government to provide a regular supply of pure bred stock for cross-breeding programmes with the object of upgrading local stock. 1030 sheep are to be received this year. The first consignment of 300 sheep arrived on 5th November, 1970 and has been taken to the Central Sheep Farm, Hissar. The rest of the 730 sheep are expected to arrive later this month.

वासभूमिहीन व्यक्तियों को भूमि पट्टे का अधिकार देना

699. **श्री राज देव सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे सभी भूमिहीन व्यक्तियों को जिनके पास वासभूमि नहीं है किन्तु उनका ऐसी भूमि पर कब्जा है भूमि-पट्टे का अधिकार देने के बारे में कानून पारित कर दिया गया है ; और

(ख) इस स्वामित्व अधिकार को देने की क्या शर्तें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी०—4258/70]

टाइम्स आफ इन्डिया को रूसी दूतावास द्वारा दिया गया ऋण के रूप में अखबारी कागज

700. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित रूसी दूतावास द्वारा 'टाइम्स आफ इन्डिया' को ऋण के रूप में भारी मात्रा में अखबारी कागज दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो दिया गया कागज कितना है ;

(ग) क्या दिया गया कागज आयातित कागज में से दिया गया था, अथवा स्वदेशी उत्पादन से दिया गया था ; और

(घ) क्या आयातित अखबारी कागज के इस ऋण का सरकार ने अनुमोदन किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग के राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (ग). जी, हां। टाइम्स आफ इन्डिया, बम्बई, जो सोवियत लैंड (अंग्रेजी) का मुद्रण कर रहा है, ने अगस्त, 1970 में सोवियत संघ के बम्बई स्थित कान्सुलेट जनरल से 29.339 टन आयातित चमकदार अखबारी कागज लिया गया सितम्बर, 1970 में वापिस कर दिया था।

(घ) जैसा कि अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की धारा 7 (ख) के अन्तर्गत आपेक्षित है, प्रकाशिकों द्वारा इसकी सूचना आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली तथा भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को विधिवत दे दी गई थी।

जे० के० नगर (पश्चिम बंगाल) की एल्यूमिनियम मजदूर यूनियन की मांगें

701. **श्री भगवान दास :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० नगर (पश्चिम बंगाल) की एल्यूमिनियम मजदूर यूनियन ने प्रबंधकों के समक्ष अपना मांग-पत्र रखा था ;

(ख) यदि हां, तो यूनियन की मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने जे० के० नगर एल्यूमिनियम उद्योग के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

खारे पानी से प्रयोगात्मक सिंचाई

702. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खारे पानी से सिंचाई करने के बारे में प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में "यूनेस्को" से उसके टुनिशिया में सफल प्रयोग के आधार पर सहायता मांगी जायेगी ; और

(ग) आई०एम०आर० द्वारा भूमि सुधार के लिये क्या प्रयोगात्मक कार्य किये गये हैं तथा उसे कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सिंचाई के लिए क्षारीय जल के उपयोग, मृदा लवणीयता तथा अमलीयता के बारे में प्रयोग शुरू किये गये हैं। इस विषय के महत्व को देखते हुये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मृदा लवणीयता, अमलीयता तथा जल प्रबन्ध की समस्त समस्याओं पर अधिक व्यवस्थित तथा सघन अनुसंधान करने के लिये हाल ही में करनाल में एक केन्द्रीय मृदा-क्षारीयता

अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाये जाने वाले कदमों में और वृद्धि के लिये इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना को 13 चुनींदा केन्द्रों में लागू किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता, फिर भी, यदि यूनेस्को से कोई सहायता प्राप्त हुई तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(ग) कुछ समय पूर्व हरी खाद कार्बनिक संशोधनों तथा जिप्सम, गंधक, आदि अकार्बनिक संशोधनों और सीरे का प्रयोग करते हुए निक्षालन तथा जल निकास सहित भूमि सुधार अध्ययन प्रारम्भ किये गये हैं और इस संबंध में समुचित सिफारिशें की गई हैं। केन्द्रीय मृदा क्षारीयता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा अत्यधिक क्षारीय तथा विक्षारीय मृदा पर कई अनुसंधान किये गये हैं। अत्यधिक विक्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग अनिवार्य पाया गया है तथा विभिन्न फसलों के उत्पादन में इसके प्रयोग की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है। लवणता को सट सकने वाली फसलों की किस्मों का पता लगाने, निक्षालन विधियों, जल निकासी की आवश्यकताओं तथा भूमि सुधार के लिये औद्योगिक उच्छिष्ट मुद्रणालयों की कीच, शराब की भट्टी के कूडे आदि की उपयोगिता के संबंध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान की दर में वृद्धि

703. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में पहली अप्रैल, 1970 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान की दर को बढ़ा कर 4 प्रतिशत क्यों कर दिया गया जबकि इस भुगतान से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने पड़ते ;

(ख) कर्मचारियों के वर्तमान अंशदान की कुल राशि क्या है और कितनी राशि खर्च की गई है तथा भारी राशि शेष रखने का औचित्य क्या है ;

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत उन अन्य कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा गया जिसकी औसत आय कारखानों में काम कर रहे मजदूरों से बहुत कम है और सामाजिक राहत के उपाय के रूप में नियोक्ता अंशदान को स्वयं सरकार ही अदा क्यों न करे ; और

(घ) क्या सरकार को कारखानों के मजदूरों और अन्य मजदूरों में भेदभाव रखने से उत्पन्न असंतोष के बारे में पता है तथा सभी मजदूरों के लिए समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 73(क) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को वेतन बिल की कुल राशि के 5 प्रतिशत तक निर्धारित करने का अधिकार है। अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश मजदूरों तक अधिनियम के लाभ संबंधी उपबन्ध लागू करने से तथा नकद और चिकित्सा लाभों और उनपर होने वाले व्यय की मात्रा में वृद्धि के कारण, बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति के लिये नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को 1-4-1970 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत

करना आवश्यक हो गया। यह वृद्धि अकेले मैसूर राज्य के लिए ही नहीं, किन्तु समस्त भारत के ऐसे क्षेत्रों में स्थित कारखानों के लिए की गई है जहां अधिनियम के लाभ सम्बन्धी उपबन्ध लागू हैं।

(ख) **कर्मचारियों का कुल अंशदान।**

24-2-1952 से 30-9-1970 तक 122.26 करोड़ रुपये।

खर्च किया गया धन :

30-9-1970 तक कुल राजस्व व्यय 236.05 करोड़ रुपये तक किया गया।

31-3-1970 को व्यय के मुकाबले में आय कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों के अंशदान) के सचित के अधिशेष में से उपलब्ध राशि केवल 2501 करोड़ थी, जोकि लगभग 24 करोड़ रुपये के दायित्वों की तुलना में नगन्य है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इस समय पावर का प्रयोग करने वाले उन बारह-मासी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। चूंकि ऐसे कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को चोट तथा बीमारी का अधिक खतरा होता है, अतएव अधिनियम के अन्तर्गत लाभों को पहले उनपर लागू किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनरीक्षण समिति ने, जिसने योजना के कार्य संचालन का सविस्तार पुनरीक्षण किया था, श्रमिकों के अन्य वर्गों पर इस योजना के लागू करने के प्रश्न पर विचार किया था और इस संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है और धन उप-लब्ध होने तथा पर्याप्त व्यवस्था किए जाने पर, योजना को उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों पर आधारित है और राज्य सरकारें भी चिकित्सा लाभों की लागत का अंश वहन करती हैं। किसी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लाभ के उपबन्धों के लागू होने पर उस क्षेत्र के नियोजक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। नियोजकों को स्वस्थ तथा संतुष्ट श्रमिकों के रूप में भी लाभ प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों में यह उचित ही है कि नियोजक इस योजना के अन्तर्गत अंशदान दें।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रयोजना के संबंध में कारखाने के श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों में भेदभाव रखने से उत्पन्न किसी असंतोष की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, जैसे ही धन उपलब्ध होने और पर्याप्त व्यवस्था किये जाने पर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कर्मचारियों के अन्य वर्गों पर लागू किया जायेगा।

कुर्ग में संतरों को "डाई बैक" नामक बीमारी

704. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुर्ग के किन क्षेत्रों में संतरों में "डाई बैक" नामक बीमारी फैली हुई है ;

(ख) क्या पड़ौसी राज्य केरल को इस बारे में सचेत कर दिया गया है कि एहतियाती उपाय कर लिये जायें ;

(ग) इस बीमारी को रोकने के लिये वैज्ञानिक तरीकों पर प्रति एकड़ कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन छोटे किसानों को राज सहायता प्रदान करने का है जो इस बीमारी के इलाज पर अधिक लागत नहीं लगा सकते ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कुर्ग में मेनड़ेरिन संतरों के 30,000 एकड़ क्षेत्र में से 5000 एकड़ क्षेत्र में पश्चमारी रोग हैं। साइट्रस पश्चमारी योजना के अन्तर्गत किये गये अनुसंधान कार्य ने इस रोग का मुकाबला करने और संक्रमण की गम्भीरता को काफी कम करने में सहायता प्रदान की है।

(ख) जी हां।

(ग) इस रोग को वैज्ञानिक पद्धति से रोकने के लिये प्रति एकड़ 900 रुपये लागत आती है। इस से विभिन्न अन्य रोगों तथा महामारियों को रोकने में भी सहायता मिलती है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी कृषि पुनर्वित्त निगम नये बागान लगाने के लिये ऋण दे रहा है।

लकड़ी का उत्पादन तथा ईन्धन के लिए इसका प्रयोग

705. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फाइबर" के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा इससे लकड़ी तथा ईन्धन के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या वन विभाग की योजनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या "फाइबर" के लिए अपेक्षित वृक्षों, विशेषकर बांसों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए जोरदार योजना बनाई जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) उपलब्ध होने वाली कुल इमारती लकड़ी और ईन्धन की लकड़ी का दो प्रतिशत भाग रेशों की तैयारी के काम आता है। इस थोड़ी सी प्रतिशतता का देश में इमारती लकड़ी तथा ईन्धन की लकड़ी के कुल मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता !

(ख) जी हां, योजना के परिव्यय में वनों के किये अधिक धन की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय मछली पालन निगम को समाप्त किया जाना

706. **श्रीमती इला पालचोधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मछलीपालन निगम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; तथा इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सैंट्रल फिशरीज कारपोरेशन एम्प्लाईज एसोसिएशन ने इस बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि यदि निगम को बन्द करने का निर्णय किया गया तो उसके 300 कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उत्तर है ; और

(ङ) केन्द्रीय मछलीपालन निगम तथा उसके कर्मचारियों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). निगम के कार्य की संवीक्षा से पता चला है कि कलकत्ता के लिये मछली सप्लाई में वृद्धि करने के विषय में इस की क्षमता सीमित है और निगम के भविष्य का प्रश्न विचार-आधीन है। इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम कर्मचारी संस्था ने 1-10-1970 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 277 कर्मचारियों के नामों की सूची दी गई है और अनुरोध किया गया है कि निगम के सब कर्मचारियों को वैकल्पित रोजगार का प्रबन्ध किया जाये।

(घ) और (ङ). प्रतिवेदन विचार-अधीन है। यदि निगम को समाप्त करने का निर्णय किया गया तो कर्मचारियों को दूसरे संस्थानों में उचित रिक्त-स्थानों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। संस्था द्वारा भेजी सूची में 132 नियमित कर्मचारियों के नाम हैं। शेष नाम आकस्मिक आधार पर रखे गये कमचारियों के हैं। आकस्मिक आधार पर रखे गये व्यक्तियों का मामला विचार-अधीन है।

बाढ़ के कारण राज्यों में फसलों को क्षति तथा इसका खाद्य उत्पादन पर प्रभाव

707. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में हाल की वर्षा और बाढ़ के परिणामस्वरूप राज्यवार फसलों को, एकड़, टन और मूल्य के हिसाब से कितनी क्षति हुई ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर इसका समग्र रूप से कितना प्रभाव पड़ने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सन् 1970-71 में खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1971 में उपलब्ध होंगे । परन्तु चालू वर्ष के दौरान अब तक की मौसमी परिस्थितियों तथा फसल की स्थिति के अनुसार कुल मिला कर देखा जाये तो 1970-71 के दौरान गत वर्ष (1969-70) की तुलना में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की अच्छी सम्भावनायें दिखाई देती हैं । परन्तु शेष मौसम के दौरान मौसमी परिस्थितियों पर काफी कुछ निर्भर करता है ।

राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए तराई इन्डियन प्लांटर्स एसोशिएशनों द्वारा अनुरोध

708. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तराई इण्डियन पलांटर्स एसोसिएशन ने राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने तराई इण्डियन पलांटर्स एसोशिएशन की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). तराई इंडियन प्लांटर्स एसोशिएशन से ऊंचे मूल्य वाली अम्बर किस्म की गेहूं के बजाय कम मूल्य वाली आयातित देसी गेहूं सप्लाई करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से चाय-बागान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सिलीगुड़ी डिपों में कम मूल्य वाली गेहूं का पर्याप्त स्टाक रखने को कहा है ।

रूस से जेब में रखा जा सकने वाला वायरलैस टेलीफोन "रिको-60" का आयात

709. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूस के स्पेशल डिजाइन ब्यूरो आफ लिथआनिया ने "रिको-60" नामक जेब में रखे जा सकने वाला वायरलैस टेलीफोन बनाया है जो कारखानों और निर्माण स्थलों पर दुकानों तथा उत्पादन क्षेत्रों के साथ संचार के लिये भू-विज्ञानीय पार्टियों के लिये तथा खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान स्टेडियमों में उपयोगी होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में प्रयोग के लिये इसका आयात करने के लिये कोई पूछताछ की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्न के भाग (क) में जिन स्थितियों का उल्लेख किया गया है उनमें प्रयोग में लाये जाने वाले 'वाकी-टाकी' रेडियो टेलीफोन सेट पहले ही भारत में बनाये जा रहे हैं ।

आकाशवाणी का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही

711. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि राज्य सरकारों के कुछ मंत्रियों ने हाल ही में आकाशवाणी से इसलिए प्रसारण देने बन्द कर दिये हैं कि आकाशवाणी के प्रसारण निष्पक्ष नहीं हैं और उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और आकाशवाणी को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस आशय के कुछ समाचार थे ।

(ख) गोआ के सूचनानिदेशक ने आकाशवाणी पणजी से 7 सितम्बर को प्रसारित एक समाचार जिसको वे परिकल्पित समझते थे, की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(ग) मामले की जांच की गई । कोई भी उपचारात्मक कार्रवाही जरूरी नहीं समझी गई क्योंकि शिकायत में कोई औचित्य नहीं था ।

पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं

712. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता और पुनर्वास की प्रर्याप्त सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिये कोई कोटा निश्चित किया गया है और उन शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए, केन्द्र द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान दिया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को राहत सहायता देने के लिये विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों और माना और दण्डकारण्य के केन्द्रीय शिविरों में उचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं। जहाँ तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, उनको कृषि में बसाने के लिये किसी भी राज्य सरकार ने अतिरिक्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं की है। परन्तु मामले का राज्य सरकारों के साथ अनुसरण किया जा रहा है। प्रवासियों का लघु व्यापार में या उद्योगों में काम देकर पुनर्वास करने की योजनाएं भी राज्य सरकारों के परामर्श से बनाई जा रही हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये कोई "कोटा" निश्चित नहीं किया गया है न ही राज्य सरकारों को कोई विशेष अनुदान दिया गया है। तथापि, पुनर्वास सहायता का प्रति रूप पहले ही निर्धारित किया जा चुका है और राहत और पुनर्वास का सारा खर्च भारत सरकार देती है।

Strikes in West Bengal under President's Rule

713. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of strikes that took place in West Bengal during the President's Rule ;

(b) the effect of these strikes on production ; and

(c) the number of employees who were involved in these strikes ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The information is being collected and would be laid on the Table of the House after it is received.

Supply of Sub-Standard Seeds by National Seeds Corporation to Farmers of Delhi Region

714. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of sub-standard seeds by the National Seeds Corporation has deprived the farmers belonging to the areas adjoining Delhi of their crops worth lakhs of rupees ; and

(b) whether Government will agree to pay any compensation to these farmers, keeping in view the heavy losses sustained by them in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. The National Seeds Corporation supplies seeds conforming to the requisite standards of germination and purityas prescribed in the Indian Seeds Act, 1966 and the rules framed thereunder. No sub-standard seed has been supplied to farmers around Delhi. This year Bajra crop in the areas adjoining Delhi is reported to have been damaged on account of 'Green Ear' disease which is not seed-borne.

(b) Does not arise.

Film on Shrimati Indira Gandhi

715. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of places in the country and abroad where the film "At the Home" made on the life of our Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, has been released ; and

(b) the cost of this film and the earnings from it ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The title of the Film is 'At the Helm'. This is a T. V. film produced by the Film Division for showing in Japan in connection with the Prime Minister's visit to Japan in 1969. It was telecast by the Japan Broadcasting Corporation in June, 1969. This was not shown in India.

(b) The cost of the film was Rs. 11,525.15. So far only 3 prints have been sold for Rs. 702/-.

Funds for Improving Irrigation Facilities in Drought-Affected, Areas in States

716. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Union Government have set up some fund for improving irrigation facilities in the drought-affected areas in the country ;

(b) if so, whether any share out of this fund has been sanctioned to Rajasthan State ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. There is no fund set up by the Centre only for improving irrigation facilities in the drought affected areas in the country. However, creation of irrigation facilities is one of the schemes that can be taken up under the Rural Works Programme for chronically drought affected districts of the country.

(b) and (c). Do not arise.

आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुरोध

717. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों ने एक ज्ञापन द्वारा सरकार से आग्रह किया है कि वर्ष 1970-71 की फसल के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य 100 रु० प्रति टन निर्धारित किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल के मूल न्यूनतम मूल्य को बनाए रखने का निर्णय किया है । तथापि, उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत

से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अधिमूल्य (प्रीमियम) की राशि 5.36 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6.6 पैसे प्रति क्विंटल कर दी गई है ।

श्रमिक-शिक्षा कार्यक्रम

718. **डा० रानेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक-शिक्षा कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार करने तथा उसमें सुधार लाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम का व्यापक पुनरीक्षण किया है। आयोग की सिफारिशों पर सरकार सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर विचार कर रही है ।

(ग) चौथी योजना की समयावधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग छः लाख श्रमिक प्रशिक्षित करने का विचार है, जबकि तीसरी योजना की समयावधि के दौरान 3.09 लाख श्रमिक प्रशिक्षित किए गए । शिक्षण के स्तर में सुधार करने और यूनियनों का अधिकाधिक योग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी न करने पर इंदौर-मालवा युनाइटिड मिल्स के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

719. **डा० रानेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भविष्य निधि अधिकारियों से इन्दौर-मालवा युनाइटिड मिल्स के चेयरमैन तथा निदेशकों के विरुद्ध भविष्य निधि का धन जमा न कराने के कारण की जा रही कानूनी कार्यवाही को वापिस लेने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जोकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार का इससे मूलत: सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) से (ग). 31-7-1970 तक मिलों ने भविष्य निधि की लगभग 60 लाख की देय-राशि अदा नहीं की थी। बकाया राशि की वसूली के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी

कार्यवाही शुरु की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मिलों की वास्तविक वित्तीय कठिनाइयां हैं और यह कि भविष्य निधि की बकाया राशि अदा करने के लिए उन पर डाले गये किसी प्रकार के दबाव से मिलें बन्द हो सकती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि मिलों को बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति दी जाय और यह कि अभियोजन वापिस लिए जायं। भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के कुछ सुझाव विचाराधीन हैं।

श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन तथा बीमा

720. **डा० रानेन सेन :**
श्री विनकर देसाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन एवं बीमा योजना लागू करने के बारे में 9 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के कब कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन एवं बीमा योजना की व्यवस्था करने हेतु संसद के चालू सत्र के दौरान विधान पेश करने का विचार है। आशा की जाती है कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले लागू हो जायगी।

वर्ष 1970-71 की फसल के बारे में खाद्य नीति

721. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसली वर्ष 1970-71 की खाद्य नीति से दो उद्देश्यों, अर्थात 1971 तक खाद्य के रियायती आयातों की समाप्ति तथा मूल्यों की स्थिरता बनाए रखना, की पूर्ति होगी ;

(ख) क्या इस बारे में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार की नीति 1971 के अन्त तक सभी रियायती आयातों को समाप्त करने और साथ ही मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने की है।

(ख) कृषि मूल्य आयोग आवश्यक खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य अभिस्तावित करते समय खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रश्न को ध्यान में रखता है।

(ग) आयोग का प्रतिवेदन संसद-पुस्तकालय में रखा गया है।

चीनी उद्योग के कार्य संचालन की जांच करने के लिए आयोग

722. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री मोल्हू प्रसाद :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग में कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित किए गए हैं ; और उसके निर्देशपद क्या हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी के राष्ट्रीयकरण का निश्चय उक्त आयोग प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग के गठन और उसके विचारार्थ विषय के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4259/70]

(ग) और (घ). केवल उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सर्वप्रथम राज्य सरकार को विचार करना है । आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न के अखिल भारतीय पहलुओं पर विचार करेगी ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से चावल की फसल की क्षति और उसके उत्पादन मूल्य में गिरावट को रोकने के हेतु किये गये उपाय

723. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष की भारी बाढ़ से पश्चिम बंगाल की आगामी फसल की बहुत क्षति होगी ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी क्षति होगी और उस राज्य के चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी होगी ; और

(ग) राज्य के चावल के उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां । योजना आयोग के केन्द्रीय अध्ययन दल को पश्चिम बंगाल

सरकार द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार, खरीफ चावल के 57.00 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन में से, बाढ़ों से इस वर्ष खरीफ चावल को अनुमानित 6.2 लाख मीटरी टन की हानि हुई ।

(ग) चावल के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का निम्न कदम उठाने का प्रस्ताव था :

(क) 28,000 एकड़ में स्पलिटस (पौद लगाने) से खरीफ चावल उत्पादन करना ।

(ख) 3.5 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र में और 0.5 लाख एकड़ असिंचित क्षेत्र में गेहूँ उत्पादन करना ।

(ग) 4 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचित बोरो धान का उत्पादन करना ।

(घ) आंशित हानिकृत धान के 3.32 लाख क्षेत्र में उर्वरक डालना ।

(ङ) 3 लाख एकड़ के असिंचित क्षेत्र में दालों का उत्पादन करना ।

Irrigated Areas in Delhi and Loans Therefor

725. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :**

(a) the total irrigated area in Delhi State 1967 ;

(b) the total area of land brought under irrigation upto 1969 ; and

(c) the loan extended for irrigation purposes from 1967 to 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The gross area irrigated during 1966-67 was 43 thousand hectares.

(b) the gross area irrigated during 1968-69 was 54 thousand hectares.

(c) Delhi Administration had advanced an amount of Rs. 35.69 lakhs as loan for irrigation works during 1967-68 and 1968-69.

बम्बई में लेटर बाक्स को कूड़े दान के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही

726. **श्री दिनकर देसाई :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल में बहुत बड़ी संख्या में लेटर बाक्सों का प्रयोग कूड़ेदान के रूप में किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें बदलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं । केवल एक लेटर-बक्स का ऊपरी हिस्सा कुछ शरारती व्यक्तियों ने निकाल लिया था । बम्बई के पोस्टमास्टर जनरल ने इसे बदलवा दिया है ।

Scheme for Collection of Agricultural Information

727. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Commission for Agricultural Statistics of the Government after holding consultations with the various State Governments has prepared a scheme to collect information about agricultural programme which will be introduced in 13 States and 2 Union Territories, as mentioned in the news published in the Daily 'Aj' on the 29th September, 1970 ; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Government has not set up any Commission for Agricultural Statistics. Consultations with various State Governments have, however, taken place with regard to the carrying out of Agricultural Census on the lines suggested by the F. A. O. A tentative scheme for carrying out the Agricultural Census has also been prepared.

(b) Agricultural Census when completed is expected to provide material for better agricultural planning.

Problem of Share Croppers

728. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing on the front page of "Sewagram" (Weekly) of the 24th August, 1970 under the caption "Bhumi Sudhar Ka Agla Kadam, Batai Daron Ki Samasya Hal Ho" (Next step for land reform, the problem of the share croppers be sloved) ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government is aware of the urgency of protecting the rights and interests of share-croppers and recommendations have been made in the successive Five Year Plans for conforment of full tenancy rights on such share-croppers, ensuring security of tenure, regulating the share of the crop to be delivered to the owner and eventually bringing such share-croppers into direct contact with the State.

Problems of Land Reforms

729. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article under the caption 'Bhumi Sudhar Ki Samasyaen' (Problems of land reform) appearing in the weekly "Arjak" of 26th September, 1970 published from Lucknow ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The article contains certain suggestions for effecting improvement in the existing land reforms legislation in Uttar Pradesh. This is essentially a matter within the purview of the State Government. The attention of the State Government is, however, being drawn to the article for such action as it may consider appropriate.

जंगली ढोरों को पकड़ने के लिए केरल को सहायता

730. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री वन्य पशुओं को पकड़ने सम्बन्धी योजना के बारे में 30 जुलाई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना को आरम्भ करने के बाद कितने लावारिस किन्तु उपयोगी ढोरों को अब तक केरल भेजा गया है ;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत केरल कें किसी दल को जंगली ढोर पकड़ने में कोई सहायता दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) योजना के आरम्भ से 31 मार्च 1970 तक केरल के वास्तविक प्रजनकों को उत्पादन योग्य 165 आवारा पशु दिये गये हैं ।

(ख) जी नहीं । केरल राज्य ने केन्द्र से ऐसी कोई सहायता नही मांगी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब गेहूँ या चावल का स्टाक

731. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अभी भी बड़ी मात्रा में खराब गेहूँ और चावल का स्टाक है ;

(ख) यदि हां, तो भारी मात्रा में जमा उक्त स्टाक को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों को बड़ी मात्रा में खराब गेहूं का स्टाक देने में कुछ राज्य सरकारों द्वारा डाली जाने वाली विभिन्न रुकावटों को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षतिग्रस्त गेहूँ/चावल का कोई बहुत अधिक स्टाक नहीं है । वहां जो स्टाक पड़ा है उसमें अधिकांशतः जहाज में क्षतिग्रस्त स्टाक शामिल है । ऐसा स्टाक इकट्ठा होता रहता है और उसकी निकासी होती रहती है । प्रयोगशाला में इस बात का परीक्षण करने के बाद कि यह स्टाक किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो सकता है, उस स्टाक का बन्दरगाहों के गोदामों में भन्डारण स्थान को खाली करने के लिए, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, यथाशीघ्र निपटान किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त स्टाक का निपटान

करने में राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार की बाधा पहुँचाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वन अधिकारियों के वेतन-मानों में असमानता

732. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वन विभाग के विभिन्न सर्किलों/डिवीजनों में वन अधिकारियों के वेतन-मानों में बड़ी असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वन अधिकारी संघ ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके वेतनमानों को अखिल भारतीय सेवाओं के समान करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिये अर्थशास्त्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (पैनल) की बैठक

733. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए अर्थशास्त्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (पैनल) की एक बैठक हाल ही में वाशिंगटन में हुई थी ;

(ख) क्या उक्त बैठक में भारत ने भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

बिहार कोयला खान कामगार संघ की मांगें

734. **श्री के० रमानी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कोयला खान कामगार संघ ने 'भागदेय मुरलीदेह' कोयला खान कर्मचारियों की ओर से सरकार को दस सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मुरलीदेह कोयला खान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अन्त में भूख-हड़ताल भी की ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने, अन्यों के साथ-साथ, प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद को भट्डी मुरलीदेह कोयला खानों, न कि भागदेय मुरलीदेह कोयला खान, के श्रमिकों की ओर से एक छपी हुई पुस्तिका बांटी है जिसमें दस सूत्री मांग-पत्र दिया गया है।

(ख) मांग-पत्र में निम्नलिखित के लिए मांगें शामिल हैं : (1) 1-4-70 से 1.53 रु० प्रतिदिन की दर से परिवर्ती महगाई भत्ते की अदायगी, (2) 15-8-67 से परवर्ती मंहगाई भत्ते की परिशेष की अदायगी, (3) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार बोनस, (4) स्तम्भ काटने में लगे हुए खनिकों को मशीन द्वारा कोयला काटने वाले खनिकों के बराबर भुगतान किया जाय, (5) श्रमिकों के लिए धोरे, पानी, प्रकाश और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, (6) कोयला खान अवैध रूप से बन्द किये जाने पर श्रमिकों को मंजूरी दी जाय, (7) बीमारी छुट्टी की मंजूरी का भुगतान तत्काल किया जाय, (8) श्रमिकों को परेशान करना बन्द किया जाए, (9) स्थायी आदेश छापे जाय और प्रत्येक श्रमिक को सप्लाई किये जाय, और (10) वैगन लीडरों को रेजिंग के आधार पर स्थायी किया जाय।

(ग) और (घ). दो श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 27 जुलाई, 1970 से भूख हड़ताल की। यूनियन के उपाध्यक्ष ने प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद को लिखित आश्वासन दिया कि वह भूख हड़ताल करके जल्दीबाजी की कार्यवाही नहीं करेंगे। सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद ने 27-7-1970 को प्रबन्धकों और यूनियन के अध्यक्ष के साथ संयुक्त विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान यूनियन के उपाध्यक्ष इस मामले में औद्योगिक विवाद खड़ा करने के लिए सहमत हो गये, जो अभी तक नहीं किया गया है।

औद्योगिक कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के बारे में कानून बनाने के लिये तामिल नाडु राज्य का अनुरोध

735. **श्री के० रमानी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि औद्योगिक कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के बारे में एक कानून बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार उक्त कानून कब तक बनायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). इस मामले की जांच की गई है। इस मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले, भविष्य निधि के अंशदान की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने और अतिरिक्त अंशदान को इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर निर्णय की प्रतीक्षा करने का विचार है।

ग्रामीण ऋण ग्रस्तता

736. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, किसान और खेतिहर मजदूर कहां तक ऋणग्रस्त हैं और सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट बैंकों और अत्यधिक ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये ऋण का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के लगभग सभी गांवों में अत्यधिक ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों द्वारा 25 से 200 प्रतिशत तक ब्याज की गैर-कानूनी दरें प्राप्त की जाती है और यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) ग्रामीण निर्धन लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकिंग नीति को कहां तक प्रभावी बनाया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4260/70]

दरभंगा के लिए आकाशवाणी केंद्र

737. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा में आकाशवाणी के मिथला प्रसारण केन्द्र का निर्माण इस समय किस व्यवस्था में है ; और

(ख) उक्त केन्द्र प्रसारण कार्य कब से आरम्भ कर रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ट्रांसमीटर तथा स्टूडियों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है और उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, निर्माण की योजनायें विचाराधीन हैं।

(ख) 1973-74।

प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता

738. **श्री अदिचन :**

श्री केदार नाथ सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों (1968 और 1969) में देश में उपलब्ध साधनों से प्रति व्यक्ति राज्यवार तथा अखिल भारतीय आधार पर अनाज की उपलब्धता कितनी थी ;

(ख) क्या उक्त वर्षों में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 1965 की तुलना में कम थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1970 में प्रति व्यक्ति अनुमानतः कितना अनाज उपलब्ध होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1968 तथा 1969 में देशी उत्पादन से अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धि क्रमशः 158.7 तथा 153.1 किलोग्राम थी। देशी स्रोतों से राज्यवार उपलब्धि की मात्रा का हिसाब लगाने के लिए उत्पादन के अलावा, व्यापार खाते में संचलन, केन्द्र द्वारा अधिप्राप्ति तथा केन्द्रीय पूल से आवंटनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। व्यापारियों द्वारा भेजी गयी मात्रा का पूर्ण विवरण उपलब्ध न होने, और क्योंकि केन्द्रीय पूल के आवटनों में आन्तरिक अधिप्राप्ति से प्राप्त तथा आयातित दोनों प्रकार के खाद्यान्न शामिल होते हैं और क्योंकि केन्द्रीय आवंटनों में आयातित तथा देशी खाद्यान्नों का अलग अलग ब्यौरा हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, इस लिये केवल देशी स्रोतों से राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धि बताना सम्भव नहीं है।

(ख) इन वर्षों में देश भर में देशी स्रोतों से कुल मिला कर प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1965 की उपलब्धि से अपेक्षाकृत कम थी। हांलाकि 1968 तथा 1969 में उत्पादन 1965 के उत्पादन से अपेक्षाकृत अधिक था, लेकिन 1965 से जनसंख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उपलब्धि कम थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से 1965 (1964-65) असाधारण रूप से अच्छा वर्ष था।

(ग) अनुमान है कि 1970 के दौरान खाद्यान्नों के देशी उत्पादन से अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निबल उपलब्धि 158.1 किलोग्राम होगी।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आयातित दोषपूर्ण ट्रैक्टरों से किसानों को हुई क्षति की पूर्ति

739. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान लोग दोषपूर्ण जर्मन ट्रैक्टरों को वापिस कर रहे हैं और ट्रैक्टरों की कीमत लौटाने या किसी अन्य किस्म के ट्रैक्टर देने की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के ट्रैक्टरों के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सामान्यतः कुछ राज्यों में किसान अपने रुपयों की वापसी या इन ट्रैक्टरों को अन्य मेक के ट्रैक्टरों के साथ बदलवाने की मांग कर रहे हैं।

(ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल तथा राजकीय व्यापार निगम के साथ विचार-विमर्श हुआ है। किसानों को बेचे गये या राजकीय कृषि-उद्योग निगमों के भंडारों में पड़े हुए सब ट्रैक्टरों के दोषयुक्त कल-पुर्जों की बिना मूल्य के नये आशोधित कल-पुर्जों द्वारा बदलने के

लिये जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के संभरणकर्ताओं ने सहमति प्रकट की है। उन्होंने वारंटी अवधि को भी उचित सीमा तक बढ़ाना स्वीकार कर लिया है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इन ट्रैक्टरों की कुल उपयोगिता को आंकने के लिए 5 आशोधित ट्रैक्टर पहले ही विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र परीक्षणों के अन्तर्गत हैं। एक और ट्रैक्टर भी बुदनी केन्द्र में परीक्षण के लिये भेज दिया गया है। राजकीय कृषि-उद्योग निगमों की मांग पर शीघ्र सप्लाई करने के लिये जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के सम्भरणकर्ता अतिरिक्त पुर्जों तथा नये आशोधित कल-पुर्जों तीन जहाज भी लाये। उन्होंने अपने तकनिशयन बढ़ा दिये हैं, इस प्रकार कुल तकनिशयनों की संख्या लगभग 30 तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त आशोधन, की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिये सम्बन्धित कृषि-उद्योग निगमों की स्वीकृति से काफी भारतीय तकनिशयन लगाये गए हैं। आशा है कि किसानों के पास पड़े हुये काफी ट्रैक्टर दिसम्बर के अन्त तक ठीक कर दिये जायेंगे। कार्य-निष्पादन पर पूर्ण निगाह रखी जा रही है और वर्तमान संकेतों के अनुसार परीक्षाधीन सुधरे हुए ट्रैक्टरों का कार्य-निष्पादन अच्छा है।

वर्ष 1970 में पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल से हानि

740. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में जनवरी से सितम्बर, 1970 के बीच हुई हड़ताल में कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) उक्त हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जनवरी से अगस्त, 1970 की समयावधि में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विवादों की संख्या (जनवरी-अगस्त, 1970)	अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या	हानि हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)	उत्पादन में हानि (करोड़ रुपयों में)
229	229,109	5,100	†7.50

† यह सूचना 122 विवादों में हुई उत्पादन में हानि के सम्बन्ध में है, शेष के सम्बन्ध में नहीं।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्यवार प्रतीक्षावधि

741. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्यवार कितने आवेदक प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे कितनी कितनी अवधि से प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता-बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली

742. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली आरम्भ करने की कोई योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधायें उपभोक्ताओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1975 तक।

पंजाब और तमिलनाडु के किसानों द्वारा आर० एस० 09 ट्रैक्टरों को स्वीकार न करना

743. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री दे० अमात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1970 के 'हिन्दू' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मद्रास (तमिलनाडु) और पंजाब की सरकारों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि उनको स्थानीय किसानों को बेचने के लिए दिए गए आर० एस० 09 ट्रैक्टरों को वापिस ले लिया जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय किसानों ने आर० एस० 09 ट्रैक्टरों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि उनका काम पूर्ण रूप से असन्तोषजनक पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और किसान इन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्त्ता किसानों को बेचे गये या राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा स्टाक में रक्खे हुए सभी ट्रैक्टरों में खराब भागों के स्थान पर निशुल्क नए/ठीक किए हुए पुर्जे बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। वे उपयुक्तरूप से जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। भारतीय परिस्थितियों के लिए इन ट्रैक्टरों को पूर्णतः उपयोग में लाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पांच संशोधित ट्रैक्टरों

का खेतों में परीक्षण हो रहा है। एक और ट्रैक्टर को परीक्षण के लिए बुदनी केंद्र में भेज दिया गया है। पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्त्ता राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा मांग करने पर शीघ्र सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त पुर्जे और नए संशोधित पुर्जे भर कर तीन जहाज भी लाये हैं। उन्होंने 15 योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल करके अपने तकनीशनों के दल को भी बड़ा कर दिया है और इस प्रकार तकनीशनों की कुल संख्या लगभग 30 हो गई है। इसके अतिरिक्त, ठीक करने के कार्य को गतिमान करने के लिए सम्बन्धित कृषि-उद्योग निगमों की स्वीकृति से बड़ी संख्या में भारतीय तकनीशनों को नियुक्त किया गया है। आशा है किसानों के पास पड़े हुये अधिकांश ट्रैक्टर दिसम्बर के अन्त तक ठीक कर दिए जायेंगे। ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के बारे में पूरा ध्यान दिया जा रहा है और परिशोधित ट्रैक्टरों का क्षेत्र परिस्थितियों में कार्य निष्पादन देखने के बाद कुछ मास पश्चात ही अन्तिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

बढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने के लिये पश्चिम बंगाल द्वारा ऋणों के लिए अनुरोध

744. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दूसरी फसल उगाने के लिये बड़ी मात्रा में ऋण की मांग की है जिन क्षेत्रों में खरीफ की फसल बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त मांग के बारे में जांच की है और यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनासहेब शिंदे) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने उन क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने तथा सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये जहां बाढ़ों के कारण खरीफ की फसलें तबाह हो गई हैं, लगभग 20 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।

(ख) एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर 1970 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण किया और सिंचाई कार्यों के लिए 810.5 लाख की सिफारिश की थी। राज्य में सिंचाई कार्यों सहित राहत व्यय के लिए राज्य सरकार को चालू वर्ष के लिये 3 करोड़ रुपये की रकम दे दी गई है। दल की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत सीमा के आधार पर हुये व्यय की प्रगति के अनुसार और सहायता के बारे में विचार किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में बर्मा से वापिस लौटे भारतीयों की कठिनाइयां

745. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बर्मा से वापिस लौटे भारतीयों को, जिन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीन कैम्पों में रखा गया है, होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए आंध्र प्रदेश में ऐसा शिविर केवल एक ही है । अप्रैल 1970 में, बर्मा, आंध्र प्रत्यावासी संस्था, विशाखापटनम का एक ज्ञापन मिला था जिसमें उन कठिनाईयों की ओर निर्देश किया गया था जिनका इस शिविर के लोग सामना कर रहे थे ।

(ग) और (घ). ज्ञापन में उठाये गये मामलों पर आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से विचार किया गया है और जहां भी आवश्यकता थी, प्रत्युपाय कार्य कर लिया गया है ।

संगीत तथा नाटक विभाग में कलाकारों की भर्ती

746. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, उनके मंत्रालय के संगीत और नाटक प्रभाग में कुछ कलाकारों की हाल ही में नियुक्ति की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो चुने गए कलाकारों के नाम क्या हैं और उनकी अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों ने कथकली और शास्त्रीय नृत्य जानने वाले कुछ कलाकारों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया था जबकि वे केवल लोकनृत्य जानने वाले कलाकार लेना चाहते थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनका इन्टरव्यू करने का क्या फायदा हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गीत तथा नाटक प्रभाग में स्टाफ आर्टिस्टों के पदों की भर्ती के लिये सितम्बर, 1970 में इन्टरव्यू तथा व्यावहारिक परीक्षायें हुई थीं ।

(ख) अभी तक परिणाम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) कथकली तथा शास्त्रीय नृत्य में अर्हताप्राप्त कलाकारों समेत सभी कलाकारों से दिल्ली में इन्टरव्यू तथा परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था ।

(घ) परीक्षा इसलिये ली गई थी ताकि आवेदित पदों के लिए कलाकारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की ओवरहालिंग

747. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सितम्बर, 1970 में कोई

चेतावनी दी थी कि वे अपनी मशीनों की ओवरहालिंग करवायें और मिलों को गन्ने की पिराई के लिये तैयार रखें, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने 22 सितम्बर, 1970 को उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी कारखानों को एक परिपत्र जारी कर यह कहा था कि मशीनरी की 'ओवरहालिंग' और मरम्मत के लिए विशेष प्रयत्न किए जायं ताकि 1970-71 के पेराई-कार्य में विलम्ब न हो।

कृषि आयोग का गठन

748. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि आयोग का गठन पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). इस समय आयोग का गठन निम्न प्रकार है :—

श्री सी० सुब्रह्मण्यम	अध्यक्ष
श्री जे० एस० शर्मा	सदस्य सचिव
पूर्णकालिक सदस्य :	
श्री एस० के० मुखर्जी	
डा० पी० भट्टाचार्य	
डा० एच० आर० अराकेरी	
अंशकालिक सदस्य :	
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	संसद् सदस्य
श्री रणधीर सिंह	संसद् सदस्य
डा० जेड० ए० अहमद	संसद् सदस्य
सरदार जोगिन्दर सिंह	संसद् सदस्य
डा० एम० एस० स्वामीनाथन	
श्री डी० पी० सिंह	
श्री टी० ए० पई	
श्री बी० एस० नाग	
डा० ए० एम० खुसरो	

श्री हरि सिंह

श्री एन० के० पाणिकर

कैप्टेन रतन सिंह, सदस्य विधान सभा

आशा है अन्तोगत्वा आयोग के पांच पूर्णकालिक सदस्य होंगे ।

उत्तर प्रदेश के कृषकों के लिए ट्रैक्टरों और पम्पिंग सैटों की खरीद के लिए ऋण

749. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कृषकों को ट्रैक्टर, पम्पिंग सैट खरीदने के लिये ऋण और राजसहायता देने हेतु उत्तर प्रदेश को 1969-70 तथा 1970-71 में अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : बर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को वार्षिक योजना के लिये समस्त केन्द्रीय सहायता समग्र रूप से एक मुश्त ऋण के रूप में निर्मुक्त की जाती है न कि किसी विशेष कार्यक्रम व योजना के आधार पर अत: किसी विशिष्ट योजना के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के आयात के मामले की केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जांच

750. **श्री केदार नाथ सिंह** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री दे० अमात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 20 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी से बड़े पैमाने पर आयात किये गये त्रुटिपूर्ण आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य संगठन द्वारा जांच कराने का आदेश दिया गया है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने ट्रैक्टर अप्रयुक्त पड़े हैं और उनके लिये कितने पुर्जों की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1965 में आर० एस०-09 ट्रैक्टरों पर किये गये परीक्षणों से सम्बन्धित आलेखों की जांच तथा निरीक्षण के लिये भारत सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है । इस समिति के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में और उचित कार्य-वाही की जायेगी ।

(ख) सम्बन्धित राज्य कृषि-उद्योग निगमों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम और गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना

751. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब टाटा बन्धुगण, यूनियन कार्बिड्स तथा अनेक अन्य फर्में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना बना रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

आयातित तथा देशी जलपोतों से देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं की स्थापना से सम्बन्धित योजना में 12 फर्में भाग ले रही हैं। योजना की मुख्य शर्तें यह हैं कि प्रत्येक आयातित दो जलपोतों के लिये देशी जहाज निर्माण यार्ड में एक जलपोत का निर्माण किया जाना चाहियें और 7 वर्ष की अवधि के अन्दर आयातित जलपोतों के मूल्य से दुगना मछली के निर्यात की गारंटी होनी चाहिये। योजना के अन्तर्गत 30 जलपोतों का आयात किया जायेगा और 15 जलपोतों का देश में निर्माण किया जायेगा।

भाग लेने वाली फर्मों में सर्वश्री टाटा आयल मिल्स लिमिटेड तथा सर्वश्री यूनियन कार-बाइड इण्डिया लिमिटेड हैं। केरल मीन-उद्योग निगम भी, जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, इस योजना में भाग ले रही है।

मत्स्य-ग्रहण पतनों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण

752. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मत्स्य-ग्रहण पतनों के निर्माण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किये जा रहे विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्यक्रम पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ; और

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) परियोजना द्वारा अभी तक मालये, हनौवर, रत्नगिरी, काकिनाडा, निजामापटनम और नरसापुर में आर्थिक अध्ययन तथा विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और मृदा मैकेनिक्स की जांच पड़ताल पूर्ण की गई है। परियोजना ने प्रथम तीन बन्दरगाहों के लिये प्लान तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं और शेष तीन बन्दरगाहों के लिये इन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके अति-रिक्त, परियोजना द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 16, मैसूर में 6, महाराष्ट्र में 5, केरल में 5 तथा उड़ीसा में 7 स्थानों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किये गये हैं।

(ख) अक्तूबर, 1970 तक स्थानीय प्रचालन लागत के लिये भारत सरकार के अंशदान सहित भारत सरकार द्वारा 9,37,458 रुपये तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि)

द्वारा 31-9-70 तक उपकरणों तथा आपूर्ति के लिये किये गये व्यय सहित 331,374 अमरीकी डालर अथवा 24,85,305 रुपये का व्यय किया गया था।

(ग) परियोजना की अवधि अक्तूबर, 1972 तक है।

डाक तथा तार विभाग में श्रेणी एक और दो की डाक अधीक्षक सेवा के लिए भर्ती

754. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डाक तथा तार सेवा के अन्तर्गत डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी 1 तथा श्रेणी दो के लिये चयन का अधिकार क्या है ;

(ख) क्या उपर्युक्त चयन में क्षेत्रीय आधार पर विचार किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में आसाम तथा उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से डाक तथा तार विभाग में श्रेणी एक के चयन के लिये क्षेत्रीय आधार पर विचार करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारतीय डाक सेवा श्रेणी-I में 75 प्रतिशत रिक्त स्थानों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है और शेष 25 प्रतिशत स्थानों की भर्ती डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी-II के अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर चयन द्वारा उन्हें पदोन्नति देकर की जाती है।

डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी-II के पदों को सहायक अधीक्षक, डाकघर और रेल डाक सेवा/उच्च चुनाव पदक्रम के स्थानापन्न पोस्ट मास्टरों द्वारा भरा जाता है। ये मूलतः निरीक्षक/डाकघर निरीक्षक/रेल-डाक सेवा आदि के होने चाहिए। इनके लिए यह जरूरी है कि इनमें से एक या एक से अधिक पदक्रमों में उनकी लगातार सेवा 5 वर्षों की हो बशर्ते कि वे इनमे से किसी पदक्रम में स्थायी हो और अपने चुनाव के वर्ष की पहली जुलाई को उनकी उम्र 50 वर्ष से कम हो। ये पदोन्नति योग्यता पर आधारित चुनाव के जरिए की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन दोनों सेवाओं का स्वरूप अखिल भारतीय है और इन अधिकारियों का भारत में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। क्षेत्रीय आधार पर इन पदों के लिए चुनाव करना भेद-भावपूर्ण माना जाएगा।

(घ) जी नहीं।

टेलीविजन सेटों में एक नये उपकरण का लगाया जाना

755. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीविजन सेटों में एक ऐसा नया उपकरण लगाने पर विचार कर

रही है जिसमें वे अन्य देशों के कार्यक्रमों को ग्रहण करके अपने पर्दे पर उनके प्रदर्शन करने में सफल हो सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत में ऐसा उपकरण कब तक लगा दिया जायेगा तथा प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। सरकार की नीति यह है कि कोई भी नई टैक्नालोजी जो भविष्य में उपलब्ध हो, मुख्य रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग में विभागोतर पद्धति के कार्यकरण से सम्बन्धित समिति

756. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार विभाग में विभागेतर पद्धति के कार्यकरण की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद्धति के किन-किन पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा और उससे क्या लाभ होगा ; और

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त विभागीय प्रणाली का प्रयोजन उन इलाकों में, विशेषकर देहाती इलाकों में अनिवार्य डाक सुविधाओं की व्यवस्था करना है। जहां के कार्यों के परियात के अनुसार वहां पूर्ण-कालिक कर्मचारी की नियुक्ति का औचित्य सिद्ध नहीं होता। ये अतिरिक्त विभागीय डाकघर प्रति-दिन 5 घंटे से अधिक समय के लिए नहीं खुलते और उसमें काम करने के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट के पद पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में डाक लेने और उनका वितरण करने, रजिस्ट्री पत्रों और मनीआर्डरों का वितरण देने की सुविधाओं की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा, इनमें ऐसे डाकघर की होते हैं, जिन्हें तार और टेलीफोन कालों की बुकिंग करने, बचत बैंक की सुविधाएं देने और पैंशन का भुगतान आदि करने का विशेष अधिकार दिया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के भत्ते प्वाइंट प्रणाली पर आधारित होते हैं। उनकी मात्रा इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस डाकघर का परिणाम क्या है और वह कितने घंटे के लिए खोला जाता है। यह आधार इससे पहले की अतिरिक्त विभागीय समिति की सिफारिश पर 1959 में अपनाया गया। अब चूंकि उस समय से अब तक 10 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं इसलिए इस संबंध में नए सिरे से पुनरीक्षण जरूरी समझा गया है। यह पुनरीक्षण मात्र अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिये जाने वाले भत्तों के निर्धारण

के आधार निश्चित करने के लिए ही नहीं होगा, बल्कि इस बात की भी जांच की जाएगी कि ऐसे डाकघरों में जनता को जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे पर्याप्त हैं या नहीं।

(ग) इस समिति के विचाराधीन विषय सरकारी प्रस्ताव की संलग्न प्रति में दिये गये हैं।]ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4261/70]

कटक स्थित आकाशवाणी केन्द्र का 27 जुलाई, 1970 को बन्द किया जाना

757. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की, जिनमें 27 जुलाई, 1970 को कटक आकाशवाणी केन्द्र बन्द करना पड़ा था, जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, यो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कटक तथा भुवनेश्वर के बीच सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था और चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में उसका विस्तार

758. **श्री दे० अमात** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक और भुवनेश्वर के बीच सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था स्थापित की गई है और यदि हां, तो कार्य कब पूरा किया था और क्या लागत आई थी और यदि नहीं, तो इस समय कार्य किस चरण में है और वह कब तक पूरा किया जाएगा ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिये ऐसी संचार व्यवस्था की अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कटक और भुवनेश्वर के बीच सूक्ष्मतरंग व्यवस्था की स्थापना का काम चल रहा है। उपस्कर के लिये तकनीकी भवन और टावरों की नींव डालने का काम चल रहा है। उपस्कर का एक प्रमुख भाग प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी टावरों की प्रतीक्षा है। आशा है कि यह काम 1971 के अन्त तक समाप्त हो जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 25.20 लाख रुपये है।

(ख) उड़ीसा में चौथी योजना में सूक्ष्मतरंग संचार प्रणालियों की स्थापना की अन्य प्रस्तावित योजनायें इस प्रकार हैं :—

1. कटक-सम्बलपुर

2. राउरकेला सम्बलपुर

सम्बलपुर का कलकत्ता और बम्बई से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भी एक सूक्ष्मतरंग व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव है ।

कटक आकाशवाणी केन्द्र के लिये इमारत

759. **श्री दे० अमात** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक आकाशवाणी केन्द्र की इमारत के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भवन का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है । इसके लिये भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा तट पर मत्स्य-ग्रहण पत्तनों की स्थापना के लिये विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

760. **श्री दे० अमात** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ दल की इस सिफारिश पर कि उड़ीसा तट पर मत्स्य-ग्रहण पत्तन स्थापित किया जाये, यदि सरकार ने कोई निर्णय किया है, तो वह क्या है, और उसके अनुरूप क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 खण्डों में प्रकाशित की जा रही है जिनमें से प्रथम खंड मंत्रालय में 22-10-1970 को प्राप्त हो गया है । रिपोर्ट के इस खंड में बन्दरगाहों के बारे में कोई विशेष सिफारिश मौजूद नहीं है ।

मद्रास तथा देश के अन्य भागों में बर्मा से आये शरणार्थियों का बसाया जाना

761. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा देश के अन्य भागों में बर्मा से आये कितने शरणार्थी बसाये जा चुके हैं ; और

(ख) क्या उनका पुनर्वास व्यापार में किया गया था और उनके लिये स्थायी दुकानें बनाई गई थीं ताकि तस्करी से लाये सामान को बेच सकें और आज तक उन्हें बर्मा बाजार में तस्करी का सामान बेचने की अनुमति है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) एक विवरण सलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

विवरण

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	14,149
असम	287
बिहार	369
गुजरात	764
हरियाणा	20
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू और काश्मीर	7
केरल	1,840
मध्य प्रदेश	108
मैसूर	173
उड़ीसा	3,046
पंजाब	342
राजस्थान	95
तमिलनाडु	46,835
उत्तर प्रदेश	1,283
पश्चिमी बंगाल	1,570
अण्डमान और निकोबार	37
चण्डीगढ़	24
दिल्ली	280
गोवा	1
मनीपुर	97
पांडिचेरी	49
त्रिपुरा	4
	71,390

ट्रैक्टरों की खराबियां दूर किये जाने तक पूर्वी जर्मनी को दिये गये ट्रैक्टरों के क्रयादेशों का रद्द किया जाना

762. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी के पास ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिए कोई क्रयादेश अभी शेष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन क्रयादेशों को उस समय तक रद्द करने का निर्णय किया है जब तक कि समिति द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो जाती ; और

(ग) क्या अन्य देशों से मंगाए गए ट्रैक्टरों में भी किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 के दौरान 3,000 आर०एस० 09 ट्रैक्टरों तथा 1969-70 के दौरान 7000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये राजकीय व्यापार निगम तथा जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य के सम्भरणकर्ताओं के बीच करार तय हुए थे। पहले करार के अनुसार 1,998 ट्रैक्टर प्राप्त हुए थे। इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों के कारण जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से और ट्रैक्टरों का आयात रोक दिया गया है।

(ग) डी० टी-14 बी० तथा रुमानियन ट्रैक्टरों के दोषों के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। ये शिकायतें क्रेन्क शेफ्ट के टूटने, जोनल के फेल होने, हाइड्रोलिक सील में प्लन्गर लिकेज आदि की बनावट के दोषों के बारे में थी। ये दोष वैसे नहीं है जो जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से प्राप्त आर० एस-0? ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन में अनुभव हुए थे।

थाइलैंड द्वारा चावल की सप्लाई

763. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने थाइलैंड सरकार के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत थाइलैंड भारत को चावल की सप्लाई करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और वह कब से लागू होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां। थाइलैंड सरकार के साथ 100,000 मीटर टन सेला चावल खरीदने के लिये 22-9-70 को एक ठेका हुआ था। इस चावल का लदान शीघ्र ही शुरू हो जायेगा और यह मार्च, 1971 के अंत तक पूरा हो जायेगा।

Safeguarding Interests of Unorganised Labour

764. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have not made any arrangements to safeguard the interests of unorganised labour ;

(b) whether Government look after the interests of the labour having unions ; and

(c) if so, whether Government propose to take steps to safeguard the interests of unorganised labour as well ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). Government are concerned about the welfare of all labour whether organised or not. Accordingly, the labour laws, such as the Minimum Wages Act, the Plantations Labour Act, the Bidi and Cigar Workers' (Conditions of Employment) Act, the Contract Labour Regulation and Aboliition) Act, etc. etc. which are at present on the Statutes Book safeguard the interests of all the workers covered under the respective Acts, irrespective of the fact whether the labour covered by them is organised or unorganised. The problems of both organised and unorganised labour are continuously kept under review by Government and such action as may necessary, *e.g.* the appointment of Investigating Bodies, such as committees and study groups, and carrying out of fact-finding surveys, holding of seminars, etc. is taken without any differenciation being made on the ground that the labour is organised or unorganised.

(d) Does not arise.

Supply of High Yielding Variety of Seeds of Wheat to Farmers

765. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the salient features of the high-yielding variety of wheat developed by the State Agricultural Colleges which will be made available to the farmers as seed for sowing under the Intensive Cultivation Programme ; and

(b) the quantity of this seed to be made available to the farmers this year and at what rates ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The salient features of the wheat varitey Kanpur-68 evolved at Government Agricultural College and Research Institute, Kanpur and which is being made available to the farmers as seed for sowing under the Intensive Cultivation Programme are tall growing, early maturing, tolerant to rust but susceptible to Alternaria disease and suitable for cultivation in low to medium fertility irrigated conditions with short growing period. This variety has been released for Uttar Pradesh State only and, therefore, has not been processed through the Central Sub-Committee on Release of varieties. Information in respect of other State Agricultural College is being collected and will be placed before the House.

(b) The seed of this variety has already been supplied to the farmers in sufficient quantities at the rate of Rs. 110.00 per quintal.

T. V. for Punjab

766. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Punjab Government have requested the Central Government to install television stations in cities like Amritsar and Jullundur, bordering Pakistan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

मनीपुर में पंचायती प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

768. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पंचायती प्रशिक्षण केन्द्र ठीक कार्य कर रहा है और क्या यह केन्द्र मनीपुर की ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दे रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मनीपुर सरकार ने, केन्द्र के सुसंचालन और उसके द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मणिपुर सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, जो मणिपुर राज्य भारत सेवक समाज द्वारा चलाया जा रहा था, पिछले 2-3 वर्षों से चल नहीं रहा हैं और इसलिए ग्राम पंचायतों के कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित रहा है।

(ख) इसलिए मणिपुर सरकार ने ग्राम पंचायतों के निर्वाचित गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम मणिपुर सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में उसे संयुक्त पंचायती राज तथा सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बनाने के उपरांत शुरु करने का निर्णय किया हुआ है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

आकाशवाणी के इम्फाल केंद्र के लिए 50 किलोवाट का ट्रांसमीटर

769. **श्री मेघ चंद्र :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिए 50 किलोवाट के ट्रांसमीटर को कब चालू कर दिया जायेगा ; और

(ख) इसको पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उम्मीद है कि यह ट्रांसमीटर योजनानुसार 1970 के अन्त तक तैयार हो जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ के कारण मनीपुर में फसलों की हानि का सर्वेक्षण

771. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की सरकार ने मनीपुर घाटी में सभी बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है और हाल ही की बाढ़ से फसलों की कुल हानि का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमान का परिणाम क्या है और पीड़ित लोगों की, विशेषकर उन लोगों की जिन की फसलें हाल ही की बाढ़ से पूर्णतः नष्ट हो गई है ; सहायता के लिए क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। मणिपुर के सब प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और हाल की बाढ़ों के कारण फसलों की लगभग सात लाख सतरा हजार रुपये की हानि हुई है।

(ख) प्रभावित होने वाले लोगों को चावल, आटा, दाल, नमक, तेल और माचिस आदि के रूप में लगभग 38,400/- रुपये की राहत दी गई है। मणिपुर सरकार प्रभावित व्यक्तियों के भू-राजस्व के स्थगन/माफी के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Government Aid to Newspapers of Madhya Pradesh to Promote Hindi

772. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of newspapers and journals (daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly, halfyearly and yearly) in Hindi, Urdu and English in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government have given any financial aid to any of the aforesaid newspapers and journals with a view to promote Hindi ;

(c) whether any of the said Hindi newspapers and journals has asked for more news print quota or financial assistance from Government ; and

(d) if so, whether the request has been accepted to and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement is attached.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Yes, Sir. Some Hindi newspapers have applied for more newsprint than they are entitled to under the present Newsprint Allocation Policy. Newsprint is an essential commodity. The bulk of the requirements of newspapers, involving foreign exchange element of about Rs. 20 crores, is imported. Allocation of newsprint is made to newspapers in accordance with the provisions of the policy framed annually, having due regard to the anticipated availability of imported and indigenous supplies and the need for fostering the growth of small and medium newspapers in particular mostly published in Indian languages. If the anticipated consumption of a newspaper, irrespective of the language in which it is published, is in excess of its quota, it is not permissible to make any additional allocation over and above its entitlement. The unutilised quantity of newsprint with a newspaper is deducted from its entitlement in subsequent year.

There is no scheme, at present, under which financial assistance can be given to

newspapers. It is proposed to set up shortly a Newspaper Finance Corporation to grant loans to small and medium newspapers under certain conditions.

STATEMENT

Number of Newspapers in Madhya Pradesh in Hindi, Urdu and English as on 31-12-196

	Periodicity	LANGUAGE Hindi	Urdu	English
1.	Dailies	52	2	2
	Tri and Bi-weeklies	8	—	1
2.	Weeklies	187	3	5
3.	Fortnightlies	25	3	1
4.	Monthlies	56	4	5
5.	Quarterlies	14	—	2
6.	Half yearlies, bi-monthlies etc.	1	—	2
7.	Annuals	—	—	–
	Total :	343	12	18

Grand Total : 373

Assistance to Madhya Pradesh for Production of Pulses

773. **Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh is the biggest pulse producting State in the country and if so, the names of the pulses produced during the last three years, year-wise and the quantity thereof ;

(b) whether it is also a fact that the demand of pulses is constantly increasing in foreign countries ;

(c) if so, whether his Ministry has given or propose to give any assistance to the State Government for increasing the production of pulses with a view to meeting the growing need for export of pluses and whether any scheme has been formulated or proposed to be formulated for the purpose ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Madhya Pradesh is the second biggest pulse-producing State in the country. A statement giving estimates of production of various pulses in Madhya Pradesh during the three years 1967-68 to 1969-70 is attached.

(b) The demand of pulses is increasing is foreign countries at a normal rate.

(c) No, Sir.

(d) The major problem is to raise the production of pulses to meet the increasing requirements within the country. The target under the Fourth Five Year Plan envisages an

increase in the production of pluses from the base level of 12.5 million tonnes to 15 million tonnes by the end of the Plan. This increase is to be achieved through the State Plans by utilising the block plan assistance given by the Centre.

At present no separate scheme-wise Central assistance is envisaged for the scheme of production of pulses.

STATEMENT

Production of Pulses in Madhya Pradesh during the Last Three Years (1967-68, 1968-69 and 1969-70)

Name of the Crop		Production in thousand tonnes		
		1967-68(P.R.)	1968-69(F)	1969-70(F)
1.	Gram	906.1	756.6	893.2
2.	Tur or Arhar	342.2	309.2	318.3
3.	Urd or Mah	127.1	143.4	146.7
4.	Moong and Moth	52.5	61.2	61.4
5.	Kulthi	47.2	53.0	53.6
6.	Popat	0.9	1.0	1.1
7.	Barabati	2.2	2.2	2.1
8.	Masur	90.4	105.4	104.3
9.	Peas	12.3	17.4	16.6
10.	Lakh or Khesari	79.3	194.8	158.0
11.	Soyabean	2.0	2.3	2.3
	Total	1662.9	1646.5	1757.6

(F)—Final Estimate

(P. R.)—Partially Revised Estimate.

Meeting of Regional Managers of National Seeds Cooperation and steps taken to Bring more Land under High Yielding Varieties of Seed of Jute, Cotton, Pulses Etc.

774. **Shri Ramavatar Sharma :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently the National Seeds Corporation has organised a Conference of its Regional Managers in which discussions were held on Corporation's performances during 1969-70 and fixing of targets for the year 1970-71 ;

(b) if so, the conclusions arrived at in the said conference ; and

(c) whether the said Corporation proposes to bring more land under cultivation of improved and high yield varieties of seeds of jute, cotton, pulses and vegetables, and if so, the names of the places in Madhya Pradesh and other States where the Corporation proposes to extend its programme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Conference reveiwed the Seed Production Programme of Rabi 1969-70 and Kharif, 1970 and also fixed the targets for production of seeds of different crops in Rabi/ Summer, 1970-71. It was found that the overall performance of the Corporation was statis-

factory. A statement showing the details of area planted under different crops in Rabi, 1969-70, and in 1970-71 is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4262/70].

(c) The Seed Production Programme for jute, cotton and Kharif pulses and vegetables would be finalised in Regional Managers' Conference to be held in April. 1971. Generally, the area under seed production of diffesent crops has been increased as compared to the previous years. As the Corporation is still contracting with growers, details of places where the Corporation proposes to undertake seed production are yet to be finalised. The Seed production area is usually concentrated under the processing plants.

Complaints against Telephone Department, Gwalior

775. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the complaints made by the Gwalior Chambers of Commerce that telephone Operators often connect wrong numbers and then charge of these calls ;

(b) whether it is a fact that there being two exchanges their telephone number is connected to two lines as a result of which the secrecy of calls is lost and the subscribers have to wait for hours for Trunk Call lines ; and

(c) if so, the action taken to remedy this ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Yes. Whenever wrong numbers are connected accidentally, credit in lieu of wrong calls are afforded on receipt of complaints.

(b) There are three exchanges at Gwalior which are interconnected by junction lines. There is no loss of secrecy on this count. Delay to trunk call is caused when transit stations are involved or when there is congestion of traffic as a result of interruptions on lines.

(c) Action is being taken to replace the present exchanges by a single automatic exchange which is under installation. Copper wire is also being replaced by Aluminium wire to reduce chances of interruptions as a result of copper wire thefts.

वयस्क मताधिकार पर श्राधारित पंचायती राज

776. **श्री जी० वेंटकस्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वयस्क मताधिकार के श्राधार पर पंचायती राज संस्थान बनाने का कोई विचार है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों की नई विशेषता की प्रमुख रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) सामान्यतः ग्राम पंचायतों के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं। पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सहकारी संस्थाश्रों के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ सदस्यों को विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी नामित श्रथवा सहयोजित किया जाता है। इसी प्रकार, जिला पंचायतों में पंचायत समितियों के श्रध्यक्ष/प्रधान होते हैं श्रौर साथ ही विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए थोड़े से व्यक्तियों को नामित/सहयोजित

करने की व्यवस्था होती है। महाराष्ट्र में जिला परिषद के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायती राज संस्थाएं अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए विधान से शासित होती हैं और इस लिए विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की पद्धति में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो कि इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान बना सकती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खान मालिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया रकम

777. **श्री गणेश घोष** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खान मालिकों से वर्ष 1968-69 और 1969-70 में पृथक-पृथक कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी बकाया रकम वसूल की जानी है;

(ख) इस बकाया रकम को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस अपराध में अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कोयला खान भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड से है। केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला-खानों के मालिकों से बकाया की कुल राशियां निम्नलिखित थी :

	बिहार	पश्चिम बंगाल
1968-69 के अन्त में	1.8 करोड़ रु० (लगभग)	2.6 करोड़ रु० (लगभग)
1969-70 के अन्त में	2.5 करोड़ रु० (लगभग)	3.6 करोड़ रु० (लगभग)

(ख) और (ग). अक्तूबर 1970 के अन्त तक बिहार और पश्चिम बंगाल के नियोजकों के विरुद्ध कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन 3135 अभियोजन, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन 16 अभियोजन और 2775 प्रमाण-पत्र मामले शुरू किए गए हैं।

(ii) निधि के प्रमाण-पत्र मामलों को निपटाने के लिए बिहार तथा पश्चिम

बंगाल में क्रमशः एक विशेष प्रमाण-पत्र अधिकारी और कुछ विशेष कार्यकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के दैनिक बासुमती सम्पादक का हटाया जाना

778. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 15 सितम्बर, 1970 को श्री विवेकानन्द मुकर्जी को 'दैनिक बासुमती, कलकत्ता' के सम्पादक पद से हटाये जाने की पश्चिम बंगाल के पत्रकारों ने तीव्र निन्दा की और इसी के फलस्वरूप इस समाचार पत्र के कार्यालय में हड़ताल भी हुई ; और

(ख) क्या सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। श्री विवेकानंद मुकर्जी को दिए गए अधिवार्षिकी आयु आदेश, जिसके कारण समाचार पत्र के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, बाद में प्रबन्धकों द्वारा वापिस ले लिए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Alleged Discriminatory Policy of A.I.R. in News Broadcasts

779. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the news regarding the arrest of Shri Ramavatar Shastri, M. P., in Patna District on the 13th, September, 1970 was neither broadcast in the regional news bulletin from A. I. R., Patna nor in the news bulletin from A. I. R. Delhi ;

(b) whether the S. S. P. Leader Shri Bhola Prasad Singh, M. L. C. and some of his other colleagues were arrested while making an attempt to occupy in Patna the land of Shri Jagjivan Ram on the 22nd September, 1970 ;

(b) whether that was broadcast from Patna and Delhi stations of All India Radio ; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to put a stop to such a discriminatory policy ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Yes, Sir.

(d) The AIR did not show any discrimination. The news regarding Shri Shastri's arrest was not broadcast from Delhi as it was not received from any news agency. It was received in the Patna AIR Station only the day after the arrest and could not therefore be included in the regional news bulletin on the 13th.

Demands of All India Beedi, Cigar and Tobacco Workers Unions

780. **Shri Ram Avatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a convention of the All India Beedi, Cigar and Tobacco Workers Unions was held in Gondia city in Maharashtra on the 23rd and 24th May, 1970 ;

(b) whether a ten point charter of demads for the workers of the Beedi industry was prepared in that convention ;

(c) whether Government have received that charter of demands ;

(d) if so, the outlines thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) and (c). The Bihar Rajya Beedi Mazdoor Federation has sent a report which *inter alia*, makes a mention of the charter of demands of the All India Beedi, Cigar and Tobacco Workers Convention.

(d) The demands relate to provision of Provident Fund, Gratuity, Bonus, Medical aid, Maternity leave, Uniform minimum fixed daily rates of wages etc. for beedi workers.

(e) It is primarily for the State Governments to consider them.

रांची में डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान

781. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय से परामर्श से रांची में डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

बिहार सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

782. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल के उन डाक तथा तार कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनको 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात् अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) उनकी अनिवार्य सेवा-निवृति के क्या विशेष कारण हैं ;

(ग) जिन डाक तथा तार कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के नोटिस दिये जाने हैं, उनके नाम तथा पद-नाम क्या हैं ;

(घ) क्या उन डाक तथा तार कर्मचारियों ने, जिनको अनिवार्य सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी

नोटिस दिये जा चुके हैं, इन आदेशों के विरुद्ध डाक तथा तार बोर्ड के अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी अपील का क्या परिणाम हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 19 कर्मचारियों की एक सूची संलग्न है ।

(ख) सेवा-निवृत्ति के आदेश उदार पेन्शन नियमावली के नियम 2 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं ।

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले का निर्णय उपयुक्त अधिकारी करते हैं और इस सम्बन्ध में पहले से कुछ कहना संभव नहीं ।

(घ) तीन को छोड़ शेष सबने ऊंचे अधिकारियों के पास अपने अभ्यावेदन दिये ।

(ङ) पोस्टमास्टर जनरल, पटना ने इन अभ्यावेदनों को डाक-तार महानिदेशक के पास भेज दिया और 13 मामलों में यह निश्चय किया गया कि नोटिस वापस ले लिये जायें ।

विवरण

जिन व्यक्तियों को नोटिस दिया गया उनके नामों की सूची

(1) श्री अनिरुद्ध प्रसाद, नायब पोस्टमास्टर
(2) श्री ठाकुर प्रसाद, सहायक पोस्टमास्टर
(3) श्री डी० के० चक्रवर्ती, सहायक पोस्टमास्टर
(4) श्री सुखदेव तिवारी, पोस्टमैन
(5) श्री हाफिज अब्दुस्सकूर, क्लर्क
(6) श्री नागेश्वर प्रसाद, क्लर्क
(7) श्री आर० ए० एन० एल० सिन्हा, नायब पोस्टमास्टर
(8) श्री अवधेश कुमार, एल० एस० जी० क्लर्क
(9) श्री रघुनन्दन राम, उप-निरीक्षक
(10) श्री विष्णुकांत मिश्र, सहायक पोस्टमास्टर
(11) श्री पशुपति नाथ सिंह, नायब पोस्टमास्टर
(12) श्री श्यामगति, उप-निरीक्षक (फ्रांस)
(13) श्री यदुवंश प्रसाद, मेकेनिक
(14) श्री सोनेलाल सिंह, एल० एस० जी० सार्टर
(15) श्री श्यामनंदन प्रसाद सिंह
(16) श्री के० सी० बनर्जी, ओवरसियर मेल्स

(17) श्री गोलक बिहारी, सुपकार क्लर्क

(18) श्री दत्त नारायण लाल, प्रधान पोस्टमैन

(19) श्री खुभाल ठाकुर, पोस्टमैन

मूंगफली के तेल के मूल्यों पर नियन्त्रण

783. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूंगफली की बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद भी मूंगफली के तेल के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में मूंगफली के तेल के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में अब तक वनस्पति के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) अच्छी मूंगफली की फसल की सम्भावना तथा नई फसल के आने के कारण जो कि सामान्यतः अक्तूबर-नवम्बर से शुरू होती है, हाल के सप्ताहों के दौरान देश के विभिन्न भागों में मूंगफली के तेल की कीमतों में कमी की प्रवृत्ति रही है।

(ख) मूंगफली के तेल की कीमतों पर लगातार ध्यान रखा जाता है और आवश्यकता होने पर उचित सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। तिलहन तथा तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए अपनाये गये मुख्य व्यवस्थात्मक उपायों में निर्यात/आयात नीतियों में समायोजन बैंक ऋणों का नियमन तथा वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध हैं। वर्ष 1970 के दौरान कीमतों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए बैंक ऋण पर प्रतिबन्ध कड़े कर दिये गये और सोयाबीन के तेल, सूर्यमुखी के तेल तथा सरसों के तेल के आयात की व्यवस्था की गई।

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान, वनस्पति की कीमतें अब तक तीन बार, अर्थात् 23 जून, 8 अक्तूबर, तथा 24 अक्तूबर, 1970 को संशोधित की जा चुकी है, पहली बार (23 जून) को कीमतों में बढ़ोत्तरी स्वीकार की गई और अन्य दोनों बार (8 अक्तूबर तथा -4 अक्तूबर) कीमतों में कमी की गई, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

पैसे प्रति किलोग्राम

	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
23 जून	(+) 50	(+) 50	(+) 50	(+) 50
8 अक्तूबर	–	(–) 10	–	–
24 अक्तूबर	(–) 20	(–) 30	(–) 30	(–) 30

वर्ष 1970-71 के लिए चीनी सम्बन्धी नीति

784. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना और उसकी उगाई कीमत, निर्यात और वफर भण्डार आदि की संभावना समेत वर्ष 1970-71 के लिए चीनी सम्बन्धी नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चीनी उद्योग की इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1970-71 के लिए चीनी-नीति पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की नीति में परिवर्तन करने की मांग

785. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने, उनके मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ हुई अपनी 14 सितम्बर, 1970 की बैठक में, गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चीनी मिल संघ ने इस सम्बन्ध में कौन-कौन से विशेष परिवर्तनों की मांग की और सरकार की इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). भारतीय चीनी मिल एसोशियेशन ने 1970-71 के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम की उपलब्धि जैसा कि पिछले तीन वर्षों में था, की बजाय 8.5 प्रतिशत की उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। सरकार ने 1970-71 के लिए 9.4 प्रतिशत या इससे कम की उपलब्धि पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये प्रति क्विंटल जारी रखने का निर्णय किया है। तथापि, उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अधिमूल्य की राशि 5.36 पैसे से बढ़ाकर 6.6 पैसे प्रति क्विंटल कर दी गई है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

786. **श्री रा० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से, पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात कम करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जब खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जायेगा तो क्या सरकार पी० एल० 480 के ऋणों के अन्तर्गत, किसानों को अधिक आधुनिक कृषि औजार प्रदान करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). यह आशा की जाती है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों के रियायती आयात बन्द हो जायेंगे ।

(ग) पी० एल० 480 ऋण में से कृषकों को आधुनिक कृषि औजार सुलभ करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Unrecoverable Loan advanced by Film Finance Corporation

787. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether an amount of Rs. 117 lakhs, advanced by the Film Finance Corporation, has become irrecoverable :

(b) the amount of loan given by the Corporation to each film producer with his name and the name of film for which such loan was granted ;

(c) the number of those films out of the said films which flopped ;

(d) whether the Corporation had examined the stories of the films, the abilities of the film producers, etc. before advancing loans to them and the action being taken by Governmant to recover the amount of loans ;

(e) whether the Corporation proposes to effect any change in its loan policy in view of the above experience : and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. The Film Finance Corporation has so far written off Rs. 12.66 lakhs as bad debts. Besides loans amounting to Rs. 29.15 lakhs are considered as doubtful debts.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4263/70].

(c) Twenty-two (22) out of forty-four (44) feature films released have faild at the box-office.

(d) Yes, Sir. The Corporation examines the script of the films, the previous expe rience/aptitute of the producers, etc. before advancing loans to them. In the event of non recovery of loan from the loanee, the Corporation initiates legal action against the producer for recovery of the dues.

(e) and (f). After reviewing the past performance, the Corporation adopted a resolution this year that in future it will finance low-budget, off-beat films, with good stories to be made by talented producers who cannot hope to find financial backing from the normal channels of the film industry. The loans exceeding Rs. 2.5 lakhs are granted only in exceptional cases and that too when adequate security/guarantee is offered.

कृषि फसलों का उत्पादन

788. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न कृषि वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसके उत्पादन लक्ष्य क्या थे ;

(ख) क्या कच्चा पटसन कपास तिलहन आदि का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की वास्तविक मांग और उत्पादन के अन्तर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). सन् 1970-71 के चालू वर्ष में समुख कृषि फसलों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

मद	एकक	1970-71 (लक्ष्य)
खाद्यान्न	दस लाख मीटरी टन	106.0
तिलहन	,,	9.0
गन्ना (गुड़)	,,	13.2
कपास	दस लाख गांठे	6.5
पटसन	,,	6.7

इन फसलों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, जहां उत्पादन आवश्यकताओं से कम होगा वहां सम्भव सीमा तक आयात करके अन्तर को पूरा किया जायेगा।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

789. **श्री ई० के० नायनार** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन तेल शोधक कारखाने में गत वर्ष अगस्त तथा सितम्बर में हुई हड़ताल के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार पक्षों में समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप, कोचीन रिफाइनरीज लि० में 10 अक्तूबर, 1970 को विवाद तय हो गया था।

हाल की बाढ़ के कारण पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की स्थिति

790. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की बाढ़ से हुई तबाही के कारण अगले वर्ष पश्चिम बंगाल राज्य में खाद्यान्न की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) सरकार किस प्रकार स्थिति को सम्भालना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). हाल ही में आई बाढ़ों के परिणाम स्वरूप पश्चिमी बंगाल में चावल के

हिसाब से लगभग 6.2 लाख मीटरी टन फसल के नष्ट होने का अनुमान है। राज्य सरकार से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाने का प्रयत्न कर रही है और जिन क्षेत्रों में दूसरी फसल उगाना सम्भव होगा, वहां बोरो चावल के हिसाब से लगभग 4.6 लाख मीटरी टन तथा गेहूं के हिसाब से 2.6 लाख मीटरी टन फसल होने का अनुमान है। भारत सरकार, केन्द्रीय पूल में कुल उपलब्धि को तथा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अन्य कमी वाले राज्यों के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल को भी केंद्रीय पूल से खाद्यान्न आवंटित करती रहेगी।

पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ित कृषकों को आपतकालीन सहायता की योजना

791. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के बाढ़-ग्रस्त जिलों के कृषकों, छोटे किसानों और खेतिहरों को आपतकालीन सहायता की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता उनको फौरन दे दी जायेगी ; और

(ग) यदि ऐसी कोई योजना है, तो उसका क्या ब्यौरा है और उसके लिए क्या प्रतिक्रिया रखी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4264/70]

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

792. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अरब की सराय, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए महारानी बाग के निकट सनलाइट कालोनी नई दिल्ली में क्वार्टर बनाने के विषय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये क्वार्टर अलाट किये जाने के लिए कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ; और

(ग) कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए उनके विभाग ने क्या नीति अपनाई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का 56 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

(ख) मई, 1971 तक।

(ग) इन क्वार्टरों का आवंटन कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा अवधि और उनके कार्य की अनिवार्यता के आधार पर किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हरी क्रांति की योजना

793. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हरी क्रांति लाने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की स्कीमों के अन्तर्गत बारानी भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल बारानी भूमि की कृषि की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की गई है। यह विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थाओं में बारानी भूमि की कृषि के सघन अनुसंधान, माडल शस्य सम्बन्धी प्रयोगात्मक योजनाओं तथा अन्य फसल सुधार योजनाओं के अतिरिक्त है।

(ख) बारानी भूमि की कृषि की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत चौथी योजना के 147.50 लाख रुपये के परिव्यय से 24 चुने हुए अनुसंधान केन्द्रों में बहुत प्रकार के अनुसंधान किये जायेंगे। इस क्षेत्र के अध्ययन को महत्व देने की दृष्टि से इस परियोजना तथा सम्बन्धित परियोजनाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। बारानी भूमि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए परियोजना के अनुसंधान कार्यक्रम में लघु अवधि, सूखा निरोधक अथवा सूखे से होने वाली अधिक उत्पादनशील फसल की किस्में, उचित फसल के प्रतिमान तैयार करना, बारानी भूमि की शस्य सम्बन्धी प्रणालियां, मृदा-जल व्यवस्था की प्रणालियां आदि सम्मिलित है। किसानों द्वारा बारानी-भूमि की उपयुक्त पैकेज प्रणालियों को अपनाने के लिये प्रदर्शन भी किये जायेंगे।

भारतीय फिल्मों के उचित परिरक्षण के लिये उठाये गये कदम

794. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री लताफत अली खां :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूक तथा सवाक दोनों प्रकार की अनेकों भारतीय क्षक फिल्में असावधानी के कारण नष्ट हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो जो फिल्में नष्ट हो गई हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय फिल्मों के समुचित परिरक्षण के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां। यह राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की 1964 में स्थापना से पहले हुआ था।

(ख) विस्तृत डाटा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा एकत्रित किया गया डाटा इस प्रकार है :—

(1) आलमआरा	(1931)
(2) पूरण भक्त	(1933)
(3) सीता	(1934)
(4) यहूदी की लड़की	(1933)
(5) जजमेंट आफ अल्ला	(1935)
(6) खून का खून	(1936)
(7) जेलर	(1938)
(8) अछूत रणजीत	(1940)

(ग) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की भारतीय फिल्मों के समुचित परिरक्षण के लिए की गई है। तथापि, संग्रहालय को कुछ पुरानी उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को उपलब्ध करने के काम में रुकावट हुई है, क्योंकि उन परिष्करण प्रयोगशालाओं को जिनके पास इस प्रकार की फिल्मों को, प्रिन्टों में कानूनी तो उन फिल्मों के बेचने का अधिकार नहीं है, और उन फिल्मों के मालिकों का पता नहीं लग रहा है।

फिल्म डिवीजन में अपनी फिल्म परिष्करण प्रयोगशाला का अभाव

795. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन के पास अपनी फिल्म परिष्करण प्रयोगशाला का अभाव है ;

(ख) क्या परिष्करण कार्य बम्बई में निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कराया जाता है ;

(ग) क्या निजी प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहने के कारण फिल्मों के वितरण में विलम्ब होता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार फिल्म डिवीजन के लिए एक परिष्करण प्रयोगशाला स्थापित करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) केवल रंगीन फिल्मों के ही वितरण में देरी होती है।

(घ) फिल्म प्रभाव, बम्बई के लिए परिष्करण प्रयोगशाला स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रक्षा फिल्म शाखा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में एक परिष्करण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

Sarvedeshik Sabha and Ban on Cow Slaughter

796. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether arrest are being made on high scale in connection with the anti-cow slaughter agitation in the country ;

(b) whether it is also a fact that Sarvedeshik Sabha after serious considerations at its recent meeting has decided to take a final decision in the matter convening a convention ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricultural, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The volunteers of the Sarva Daliya Goraksha Mahabhiyan Samiti have been courting arrests in small batches following the launching of their agitation against cow slaughter, on May 8, 1' 70. In all 716 persons have been arrested in Delhi till November 7, 1970. Information regarding arrests, if any, made in connection with the anti cow slaughter agitation in the country outside Delhi is not available.

(b) At its meeting held on October 4, 1970, the Executive Committee of the Sarvadeshik Arya Pritinidhi Sabha decided to organise a special convention on December, 25, 26 and 27, 1970 to chalk out a programme for intensifying agitiation against cow slaughter.

(c) A statement was made on behalf of the Government in the Lok Sabha on 12th March, 1970 in response to Short Notice Question No. 5 reiterating that the Government of India were committed to the implementation of the Directive Principal embodied in Article 48 of the Constitution as interpreted by the Supreme Court and had been making earnest efforts in this direction. An appeal was made to Sarva Daliya Goraksha Mahabhiyan Samiti to re-consider their decision and resume their work as Members of the Committee. Another statement in identical terms was also made on behalf of the Government in the Rajya Sabha on the 26th March, 1970. Government hope that the members representing the Sarva Daliya Goraksha Mahabhiyan Samiti would, in response to the requests from the Government of India, resume participation in the work of the Committee and that the Committee would be in a position to submit its report as soon as possible. The recommendations of the Committee when received will be given full and urgent consideration by Government.

Process of Milk Production in D. M. S.

797. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the process of milk-production adopted by Delhi Milk Scheme ;

(b) whether the Delhi Milk Scheme has no dairy farm of its own and milk is procured by it from the neighbouring villages for distribution ;

(c) if so, the places wherefrom milk is procured ; and

(d) whether it is a fact that the milk procured from distant places like Bikaner, etc. becomes stale ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Delhi Milk Scheme does not maintain a dairy farm of its own. It procures milk from outside, process it is standardised. toned, double-toned and cow milk and distributes the same through its Central Dairy.

(c) D M. S procures bulk of its milk from districts of Meerut and Bulandshahr in U. P. and district of Gurgaon in Haryana. Some quantity of milk is also procured from

districts of Rohtak and Karnal in Haryana and from Districts of Bikaner, Alwar and Bharatpar in Rajasthan.

(d) No ; adequate precautions are taken for preservation of milk procured from distant places like Bikaner. etc.

Opening of a Gosamvardban Kendra near Mehrauli, Delhi

798. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report that the Delhi Administration have decided to open a big 'Gosamvardhan Kendra' near Mehrauli in Delhi to give practical shape to the demand for cow protection and cow-milk production would be given priority in that Kendra ;

(d) if so, the number of cows proposed to be kept by the Delhi Administration in the said Kendra ; and

(c) the contribution proposed to be made by Government to the said Kendra ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The information is being collected and will be plεced on the table of the Sabha as soon as it is available.

Shortage of Milk and its Availability to Poorer Section of Society

799. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the children of poorer sections of society in the country are deprived of milk due to its shortage and continuous rise in prices ;

(b) whether the main reason of this shortage of milk in the country is the large scale slaughtering of cows ;

(c) whether Government are formulating any scheme for production of milk in the county if so, the details thereof ; and

(d) whether Government will make any special arrangements to ensure that milk is made available to the children of poorer sections of society and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The *per capita* estimated availability of milk is 105.02 grams against the level of 284 grams. required by the accepted nutritional standards. It is likely that because of their low purchasing power, the poorer people may not be in a position to buy milk for their children in required quantities.

(b) No.

(c) Yes. Government have launched a number of cattle and dairy development programmes for increasing production of milk in the country under the Five Year Plans. The major Schemes are :—

1. Intensive cattle development projects.
2. Key Village Scheme.
3. Cross-breeding Schemes for the introduction of exotic inheritance for milk production in local cattle.
4. Artificial insemination Centres.
5. Feeds and fooder development schemes.
6. Goshala development Schemes.
7. Establishment of large cattle breeding farms and progeny teating of bulls.
8. Herd registration Schemes in breeding tracts.

9. Milk distribution Schemes for cities with population of 50,000 and above.
10. Rural Diary Centres for covering cities with lesser population.

In addition, Government are implementing a massive programme for milk marketing and dairy development estimated to cost Rs. 95 40 crores for increasing milk processing facilities of public sector daries in the four metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras from 1.00 million litters a day at present to 2.75 million liter a day at the end of 5 years' project period and also for increasing procurement of milk from the milk shed areas of these cities located in 10 States.

(d) A number of city milk schemes already prepare and distribute tones toned and double-toned milk at low cost especially for the vulnerable sections of the population. This milk is made through imported skim milk powder and necessarily has to be limited due to difficult foreign exchange position. In addition to this, a Scheme wholly financed by the Government of India has been introduced this year for providing nutritious food to children in the age group of 0 to 3 years. A portion of food being supplied to children will be in the form of milk in areas where dairy facilities are available.

गन्ने को कारखानों में ले जाने के रेल भाड़े में वृद्धि

800. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी मिलों को लाये जाने वाले गन्ने के रेल भाडे में 1 अप्रैल, 1970 के लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह आश्वासन देने के लिये क्या कार्यवाही की है कि रेल द्वारा लाये गये सभी गन्ने की पिराई होगी चाहे रेल भाड़े में वृद्धि हो जाने के कारण चीनी मिलों को रेल द्वारा लाये गये गन्ने की खरीद मंहगी भी पड़े ;

(ग) क्या अधिक रेल भाड़े के मामले पर रेलवे अधिकारियों से बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). गन्ने के संबंध में रियायती भाड़ा की दरों को बहाल करने के प्रश्न को रेलवे मन्त्रालय के साथ उठाया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। 1970-71 के लिए चीनी के लेवी-मूल्य में भाड़े की दरों में वृद्धि का भार शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

दिनांक 20 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement correcting Answer to SQ 521 dated 20-8-1970.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : "प्रशासनिक अकुशलता के कारण सामुदायिक विकास की असफलता" के विषय पर, तारांकित प्रश्न संख्या 521, जिसका उत्तर 20 अगस्त, 1970 को दिया जाना था, के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये

विवरण में कुछ अनिच्छित अशुद्धियां ले गए हैं। विवरण के पृष्ठ 1 व 2 में निम्न संशोधन किये जाएं :—

(क) पृष्ठ 1 की अंतिम पंक्ति '1956 तक यह 4 लाख से भी कम कर दिया गया था" के स्थान पर "1956 तक यह 4 लाख कर दिया गया था" पढ़ा जाए।

(ख) पृष्ठ 2, पंक्ति 7 व 8 में "अविभाजित पंजाब राज्य में 31.2 प्रतिशत" के स्थान पर "गुजरात में 39 प्रतिशत" पढ़ा जाए।

(ग) पृष्ठ 2, पंक्ति 8 व 9 में वाक्य "चौथी योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में स्थिति, यदि कुछ थी तो यह कि वह और भी खराब हो गई" को घटाया जाए।

(घ) पृष्ठ 2, पंक्ति 9 से 11 में वर्तमान वाक्यों "1966-67 में चालू वर्ष की पूर्ण स्कीमेटिक आवश्यकता के अनुसार जो अनुमोदित परिव्यय था वह जितना होना चाहिए था उसका केवल 52 प्रतिशत था। वह घडकर 40 प्रतिशत हो गया है" के स्थान पर "1966-67 में. स्कीमेटिक प्रतिमान के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय कुछ आवश्यकताओं का केवल 52 प्रतिशत था, जबकि 1967-68 में इसकी प्रतिशतता घटकर 42 हो गई" पढ़ा जाए।

इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि यह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए पेश नहीं हुआ था।

हस्ताक्षर
(एस० चु० जमीर)
उप-मंत्री

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TOWARDS MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत तथा नेपाल के बीच वार्ताओं के बारे में अनिश्चितता

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"व्यापार और माल को लाने, ले जाने के बारे में भारत और नेपाल के बीच वार्ताओं के दूसरे दौरे में व्याप्त कथित अनिश्चितता।"

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार तथा पारवहन संधि, जो वर्ष 1960 में हुई थी, 31 अक्तूबर 1970 को समाप्त हो गई। 31 अक्तूबर के पश्चात् की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में विगत कुछ महीनों में विचारों का स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण रूप में आदान-प्रदान होता रहा है। इनसे सम्बन्धित मामलों को समझने में सहायता मिली है।

2. भारत सरकार सर्वदा इसके लिए प्रयत्नशील रही है कि व्यापार तथा पारवहन की परस्पर स्वीकार्य तथा लाभप्रद व्यवस्था तैयार की जाये, जो नेपाली उद्भव की वस्तुओं के भारत

तथा अन्य देशों को अधिकतम निर्यात करने में नेपाल के लिए सहायक हो और जिससे नेपाल में खपत के लिये अथवा उसकी अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक माल का आयात सुकर हो सके, परन्तु साथ ही भारत के आर्थिक हितों अथवा भारतीय आर्थिक नीतियों के लिये हानिकारक व्यापोर-विपथन तथा विकृतियों का परिहार भी हो सके।

3. नेपाल के महामहिम की सरकार के अधिकारियों का एक दल 25 अक्तूबर को नई दिल्ली आया था और उसने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। नेपाल के महामहिम की सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री भी नई दिल्ली आये थे। नेपाली प्रतिनिधि-मण्डल 1 नवम्बर को काठमण्डु लौट गया। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई थीं कि चालू वार्ता को नवम्बर के मध्य तक पुनः शुरू किया जायेगा और वह उसी मास में ही पूरी हो जायेगी। पारवहन तथा परस्पर व्यापार सम्बन्धी नई व्यवस्थाओं के ब्यौरों के सम्बन्ध में बातचीत पुन: शुरू करने के लिये नेपाल के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल की कल नई दिल्ली में आने की आशा है।

4. इस बीच, आपसी व्यापार में विस्थापन का परिहार करने तथा सीमा के दोनों ओर के लोगों को कठिनाइयों से बचाने के लिए, पारस्परिक व्यापार तथा पारवहन के वर्तमान प्रबन्धों को जारी रखा गया है।

5. भारत और नेपाल के बीच घनिष्ट तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए मुझे पूरी आशा है कि शीघ्र ही परस्पर सन्तोषजनक व्यवस्थायें कर ली जायेंगी।

श्री ई० के० नायनार : कल तो नेपाल के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के यहां आने की आशा है और आज हम इस बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। परन्तु 10 वर्ष से चला आ रहा यह व्यापार करार 31 अक्तूबर, को कैसे समाप्त हो गया? आंकड़ों के हिसाब से भारत-नेपाल के मध्य अच्छा व्यापार हुआ फिर भी पड़ौसी देश भारत के प्रति उग्र रवैया क्यों रखते हैं? हमें इन सब बातों की जांच करनी चाहिये। श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान किसी भी पड़ौसी देश के साथ हमारे मित्रता-पूर्ण व्यवहार नहीं है। नेपाल ने अभी हाल ही में चीन, रूस तथा अन्य देशों के साथ व्यापार-करार किया है। उत देशों से नेपाल द्वारा आयात किया गया माल यहां भारत के बाजारों में दिखाई देता है। और यह माल काला बाजार में यहाँ बेचा जाता है।

नेपाल और भारत का अनेक मामलों पर मतभेद है जिनमें सुस्ता क्षेत्र का सीमा-विवाद, नेपाल से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना, पाकिस्तान के साथ उस देश के व्यापार में भारत द्वारा कतिपय सुविधाओं की मांग आदि अनेक मामले शामिल हैं।

अब नेपाल में एक प्रकार का भारत विरोधी अभियान भी चल रहा है वहाँ के कुछ राजनैतिक दल यह अभियान भी चला रहे हैं। वहां के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत नेपाल के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

नेपाल में एक राजपथ का निर्माण करने के बारे में विश्व बैंक का सुझाव भारत के लिए लाभप्रद नहीं है। विश्व बैंक के उक्त अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि यह सड़क बागमती नदी के साथ साथ निर्मित की जानी चाहिये। इससे भारत के प्रति नेपाल में दुर्भावना उत्पन्न हो गई है। भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नेपाल में एक कपड़ा मिल चालू करने की बात ने भी वहां ऐसी दुर्भावना को जन्म दिया है।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भारत तथा नेपाल के मध्य ऐसे संबंध नहीं रहे जैसे कि होने चाहियें। 10 वर्ष से चला आ रहा करार आखिर भंग हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। नेपाल में भारत विरोधी प्रचार क्यों किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूँ कि नेपाल के साथ अपने संबंध सुधारने तथा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है। और न केवल नेपाल के साथ ही बल्कि सभी पड़ौसी देशों के साथ पारस्परिक व्यापार में विकास करने हेतु तथा भारतीय व्यापार को समृद्ध करने के लिए इस बारे में पुनर्विचार करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : नेपाल का व्यापार प्रतिनिधिमंडल कल भारत आ रहा है और इस समय ऐसी बातचीत की बड़ी बाजुक स्थिति में हैं। अत: ऐसी स्थिति में विस्तृत ब्यौरा देना उचित न होगा। नेपाल का और हमारा अनेक विषयों पर मतैक्य है और परस्पर अच्छे संबंध हैं। संभव है कि कुछ प्रश्नों पर मतभेद भी हो परन्तु ऐसे मामले बहुत थोड़े से हैं। हमारे एक संसद-सदस्य को ऐसा वक्तव्य देना अच्छा नहीं लगता। गत कुछ वर्षों में नेपाल-भारत का व्यापार कई गुना बढ़ा है। नेपाल का अन्य देशों के साथ जो इतना व्यापार बढ़ा है उसके लिये भारत ने सुविधायें प्रदान की हैं। अन्य पड़ौसी देशों में बर्मा तथा श्रीलंका से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है। नेपाल के विदेशों के साथ व्यापार में इतनी वृद्धि इसी कारण हो सकी है कि हमने उनके लिये सभी सुविधायें उपलब्ध कराईं। हम आगे भी इसी प्रकार की सुविधायें देते रहेंगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था, इसके विशाखन तथा औद्योगीकरण में तेजी से विकास के लिये हम हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : India and Nepal are deeply inter connected with each other on account of common folk, aims and aspirations as also culture. Our agreement on Trade and Transsit with this country is ending on 31st October 1970. But no body will believe that there is no conspiracy behind it. And when the Government have not been able to bring about a fresh agreement. The House has got the right to know details from the Government and gives its opinion on this subject.

Is it a fact that Nepal, third country items of trade have been pouring in and going out of India, and this created the present problem and not due to items produced in Nepal? The people living on borders very well known that the smugglers have opened shops along the border Virgunj, Jainagar, Raxol and Viratnagar and take away goods from here at credit. The position is that lakhs of tons of foodgrains are carried from Bihar in the name of Nepal Corn whereas even the chhatan of that grain does not belong to Nepal. They get word "For Nepal" inscribed but carry it to some other place. Such sort of smuggling is going on a large scale. May I know whether the Government are capable of stopping the smuggling of China, Japanese and American goods into the countıy in the name Nepalese goods ? If not, we are sure to strain our relations with Nepal. A large scale smuggling of Chinese goods is going on all along the border and if the Government is not able to stop it, no agreement with Nepal will prove successful. At present Nepal is annoyed over it and we too are incurring heavy loss.

I want to know what is the objection in accepting the demand of the Nepal Government for a godown in Calcutta for storing their goods ?

Then Nepal wants certain facilities from India for importing goods from third countries. But there is every likelyhood of selling those goods in India. What effective steps do the Government propose to take to prevent illegal sale of those goods in our country.

The king of Nepal had inaugurated the West Kosi Canal in 1965 but the work has not so far been taken up. When this issue is to be taken up by Government with Nepal ?

Shri L. N. Mishra : Our talks with Nepal have not failed but have only been adjourned because we could not gather unanimity, and till some agreement is reached the old practice will continue otherwise the Nepalese will not get even the daily essential commodities. Besides that, we had suggested to the Nepalese delegation to continue the old pact. As regards third-country goods coming to India, we have indicated that the goods wholly made in Nepal are most welcome but the goods made in third countries but which come here through Nepal causes trade deflection in India ; and we are bound to curb that. It is not possible to depute police all along the 600-700 mile long border.

As regards providing godown facility in Calcutta, we have agreed to accommodate them as far as possible.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Nepal is our neighbourer and we are desirous of maintaining very friendly relations with her. As she has established ties with China and Pakistan just for the sake of her national interests, we too are expected to look to our national interests first while strengthing our relations with Nepal. I want to know as to what are those issue so for which the hon. Minister, in the first para of his statement has said "They helped identity the issues" ?-- He has indicates that India has no intention to obstruct the transportation of the goods orginating in Nepal through India but the entry of third-country goods in India would create problems for us. Is it the very issue ? Let the hon. Minister throw light on it. Secondly, may I know, Sir- whether the hon. Minister is prepared to take the Opposition also in confidence to discuss various issues regarding our ties with Nepal ? There appears to be no harm if the opposition is also taken in confidence about the issues of agreement and disagreement with Nepal. This would rather remove quite a number of misgivings between the Government and the Opposition.

Shri L. N. Mishra : There cannot be two opinions about our caring for our national interests first. He is also in our interest that our neighbouring country Nepal develops and progesses. Nepal is a small country, and we are a big one ; and therefore we might be able to afford something more for Nepal ; but we will certainly not become an instrument of assuring third-countries goods in this way. He can never agree to such a proposition.

As regards identifying certain issues ; in fact we did not want to disclose them as it had not been proper while talks were going on. Now also, although the Nepalese authrities have made certain reference about that, we still maintain our policy of not publicising them and therefore do not either contradict or ascertain what they have stated there. However, we are firm to act in the way which safeguards our own interest first.

I do not think there is any necessity, or there has been any precedent for taking the opposition on such trade matters. We, however, sells their blessings in reaching an accord successfully.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : नेपाल एक भू-सीमित देश है परन्तु वह यह प्रचार कर रहा हैं कि भारत उसे अन्तर्राष्ट्रीय सुविधायें नहीं दे रहा है। ऐसी कौन सी सुविधायें हैं जो हम अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार उन्हें नहीं प्रदान कर रहे हैं ? दूसरे क्या कारण है कि भारत और नेपाल दो पड़ौसी देश अपने विवादों को राजनैतिक स्तर पर निपटा नहीं पा रहे हैं। साथ ही हम नेपाल को चीन तथा पाकिस्तान के अधिकाधिक समीप आने का अवसर क्यों दे रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार किसी भू-सीमित देश को समुद्र तक पहुँचने का मार्ग दिया जाता है और हम नेपाल को कलकत्ता के मार्ग से यह सुविधा दे रहे हैं। अन्य मामलों के बारे में अधिक कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि जो वस्तुयें नेपाल में बनती है उन्हें वे भारत के मार्ग से किसी भी तीसरे देश में ले जा सकता है।

———

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मधु लिमये को अवैध रूप से हिरासत में रखना

हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमन्, मैंने आपको प्रात: अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में लिखा था। मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री इस विषय पर स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिदिन ही मुझे कुछ न कुछ लिख कर भेज देते हैं। मुझे आप के पत्रों का बड़ा ध्यान रहता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे प्रसन्नता है कि आपने श्री मधु लिमये का विशेषाधिकार प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार कर दिया है। परन्तु मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया रोज ही इसे बार बार मत दोहराइये तत्सम्बन्धी जांच हो जाने के पश्चात् मैं स्वयं ही आपको सूचित करूंगा।

श्री उमानाथ (पुट्टूकोटै) : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री महोदय के इस उत्तर के बारे में था कि वह हैंडरसन बुक्स की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखेंगे। आप उस पर अपना निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है और आप ऐसे प्रश्न मेरे कक्ष में आकर पूछ लिया करें। बार बार यहां मत खड़े हो जाया करें। श्री मधु लिमये का प्रस्ताव न्याय संगत है। वह उसे पढ़ें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Let me first make a preliminary statement :

On August 9, 1970, I reached Varanasi by air and when I was approaching the city a police officer stopped me and informed me that I was being arrested. When I asked him to show warrant to that effect, he promised to show that to me at the police station. But he neither showed me the warrant nor gave any reason whatsoever for my arrest. It was Sunday that day. Thereafter I was produced before a City Magistrate who desired to issue a notice against me under section 112 of the Criminal Procedure Code. I asked the magistrate if he enquired into the facts contained in the notice prior to issuing the same to me otherwise all these proceedings would be illegal ; but still he issued the notice and asked me either to fill the bond or to go to jail. I refused to sign the bond, as he had no legal right to ask me to do so ; and so he sent me to the jail. Thereafter, he postponed the hearing three times pretending to be very busy in regard to law and order situation. The next day I filed writ in the Supreme Court which asked me to present myself before it.

The Supreme Court set up a bench of five judges for the hearing of my case and that bench gave the following verdict—"Without making any enquiry ; neither could the Magistrate order the petitioners to be detained in custody nor require them to execute a bond with or without surety.

It is quite clear that the Magistrate was too much in hurry. He did not read the law to inform himself what he was to do. Having the petitioners before him and having read to them the order under section 112, it was his duty either to release them unconditionally or to ask them to give an interim bond for good conduct but only after he had

started inquiring into the truth of the information. It was for this reason that he held that the Magistrate did not act according to the law and his action after August 9, 1970, in detaining the petitioners in custody was illegal."

As per the above verdict of the Court, I was released from the jail.

The House might recollect that this is not the first instance when I have been arrested and put behind the bars illegally. It has happened a several times and thereafter the court ordered for my release.

Such sort of illegal action on the part of the Magistrate has violated my privileges as an M.P. I was put in the jail and prevented from taking part in the proceeding of this august House. This amounts to dishonouring this House as well.

Such sort of actions certainly affected the decisions in this House also. For example, I do not favour the Preventive Detention Act and I must vote agaist such a measure. In case, I am arrested my right of voting against this measure is taken away. This is therefore, a very serious and important matter.

I therefore, certainly demand that the said Magistrate should be called before the Bars of the House and asked to tender unconditional apologis for his action. This has happened with me three times in the Supreme Court. On one occasion the Punjab High Court released me and Justice Mitter had annoyedly remarked. They will continue to arrest you no matter what we decide.

Therefore I submit that the House should consider this matter seriously.

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी माननीय सदस्य को स्वीकृति दिये जाने पर आपत्ति है तो ठीक है अन्यथा मैं इसे मतदान के लिये रखता हूँ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मुझे एक आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। अतः मैं विधि मंत्री से पूछता हूं कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : जी हां, मुझे आपत्तियां हैं। संसद-सदस्य की गिरफ्तारी पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है किन्तु मेरा निवेदन है कि जैसा कि आपने कहा है कि विशेषाधिकार का प्रश्न सभा में उसी मामले में लाना चाहिये जो महत्वपूर्ण हो दूसरी बात यह है कि यद्यपि हम सभी सभा के माननीय सदस्य हैं तथा संसद्-सदस्यों में और सामान्य नागरिक में कुछ अन्तर भी अवश्य होना चाहिये। किन्तु फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में हर समय संसद्-सदस्य ही नहीं होते। अतः संसद्-सदस्य के साथ किसी भी समय हुई प्रत्येक घटना को विशेषाधिकार का हनन माना जाये यह संभव नहीं है। मेरा तीसरा निवेदन यह है कि यदि न्यायाधीश ने कुछ किया है तो उसने अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अंतर्गत किया है इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसके लिये आगे अपील करने की व्यवस्था है यदि कोई न्यायाधीश गलत आदेश जारी करता है तो उससे ऊंचा न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है। महोदय ! जब तक किसी आदेश के पीछे न्यायाधीश का दुराशय न छिपा हो तब तक सामान्यतः सभा में उसके द्वारा दिये गये न्याय की जांच नहीं की जा सकती। मैंने श्री मधु लिमये की बात बड़े ध्यान से सुनी है। उन्होंने भी दुराशय का आरोप नहीं लगाया। अतः मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की गई तो जनता समझेगी

कि संसद-सदस्य अपने विशेषाधिकारों को अधिकारों से भी अधिक महत्व देते हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस मामले पर बल न दें।

श्री नाथपाई (राजापुर) : महोदय ! मैं जानना चाहता हूं कि आपने मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति किस नियम के अंतर्गत दी। आपत्ति से पहले एक माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई थी किन्तु आपने पहले विधि मन्त्री को बोलने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : वे दोनों ही खड़े हुये थे। आपको नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री नाथपाई : हम सभा के नियम का पालन कर रहे हैं। क्या मैं नियम को पढ़ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री नाथपाई : आप इन्कार कैसे कर सकते हैं। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह मेरा अधिकार है। एक माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार के प्रश्न पर आपत्ति उठाई थी। जब आपत्ति उठाई गई थी तो आपको प्रस्ताव को मतदान के लिए रख देना चाहिए था किन्तु आपने मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी। नियमानुसार मंत्री महोदय किसी माननीय सदस्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को पहले देखा था।

श्री नाथपाई : श्री नारायण राव ने पहले आपत्ति उठाई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।

श्री नाथपाई : आप रिकार्ड देख लीजिये। मेरा निवेदन है कि पहले श्री नारायण राव ने आपत्ति उठाई थी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें पहले और बाद की कोई बात नहीं है। मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं। इस बात पर वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथपाई : मेरा सादर निवेदन है कि आपको अपना विनिर्णय मनमाने ढंग से नहीं देना चाहिये। समस्त सदन जानता है कि आपत्ति पहले श्री नारायण राव द्वारा उठाई गई थी। नियम में स्पष्टरूप से कहा गया हैं कि "यदि आपत्ति की जाती है"। उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि आपत्ति मंत्री द्वारा ही उठाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को इस बारे में प्राथमिकता प्राप्त है।

श्री नाथपाई : नियम 225(2) में कहा गया है कि "यदि अनुमति दिये जाने पर आपत्ति की जाये।" इस बारे में मंत्री द्वारा ही आपत्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री नारायण राव ने आपत्ति नहीं की थी। मेरा निवेदन है कि जब माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी तो आपका कर्त्तव्य था कि आप नियमानुसार माननीय सदस्यों से पूछते कि

इसके पक्ष में कितने सदस्य हैं। किन्तु आपने नियम के प्रतिकूल मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है। फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि विधि मंत्री के अतिरिक्त अब किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसा करना बहुत अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें आये दिन उत्पन्न होती रहती हैं। हम बहुत सी बातों में स्वयं की हाउस आफ कामन्स के साथ तुलना नहीं कर सकते। वहां तो विशेषाधिकारों के लिए बहुत बलिदान किया गया है। अतः हमें एक बार अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लेना चाहिए कि संसद्-सदस्यों को कार्यकारिणी में विरुद्ध क्या विशेषाधिकार होंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि न्यायपालिका के लिए विशेषाधिकारों की व्यवस्था है किन्तु इस व्यवस्था की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए।

श्री हनुमन्तय्या : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका एक बार अन्तिम रूप से निर्णय हो जाना चाहिए। इस बात को समिति को सौंप देना चाहिये क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रायः उठते रहते हैं और इससे भविष्य में सहायता मिलेगी।

श्री हनुमन्तय्या : महोदय कानूनों से ये मामले नहीं सुलझेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब ऐसी स्थिति है कि लोग किसी भी समय एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आ जाते है। अतः मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : उन्होंने अपनी आपत्ति वापिस ले ली है अतः अब इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

अध्यक्ष महोदय : तब श्री मधुलिमये अपने प्रस्ताव को प्रस्तावित करें। क्या वह उस पर सदन में सीधे चर्चा करना चाहते हैं अथवा विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते हैं ?

श्री नाथ पाई : मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : I want that it should be referred to the Privileges Committe but the words 'alleged arrest' should be substitute by 'illegal' as the Supreme Court has treated it so.

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, the word 'alleged' should be removed from it.

Shri Madhu Limaye : I move :

"That the question of privilege regarding the illegal custody of Shri Madhu Limaye from the 9th to 26th August, 1970 by Shri Mohinder Singh, City Magistrate, Varanasi, be referred to the Committee of Privileges for investigation and report by the end of the first week of the next Session."

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि श्री मोहिन्दर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, वाराणसी, द्वारा श्री मधु लिमये को 9

अगस्त से 26 अगस्त, 1970 तक अवैध रूप से हिरासत में रखने से सम्बंधित विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को जांच करने और अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्त तक प्रतिवेदन देने के लिये सौंपा जाये।"

श्री नाथपाई : महोदय ! आपने अभी अभी कहा था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। किन्तु विपक्षी दल के बहुत से सदस्यों ने विशेषाधिकार समिति का बहिष्कार किया है अतः यह समिति उचित रूप से गठित नहीं है। क्या आप इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि समिति का उचित रूप से गठन हो ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें फिर से मनोनीत किया गया है तथा समिति ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। आपको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि समिति इस प्रश्न की विस्तृत जांच करेगी। अध्यक्ष के नाते मुझे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने होंगे कि न्यायपालिका की कहां तक सुरक्षा करनी है तथा किस सीमा से आगे उसे विशेषाधिकार के हनन के लिये दोषी ठहराया जा सकता है। इन सभी बातों की जांच करके सभा के समक्ष समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

अब प्रश्न यह है :

"कि श्री मोहिन्दर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, वाराणसी, द्वारा श्री मधु लिमये को 9 अगस्त से 26 अगस्त, 1970 तक अवैध रूप से हिरासत में रखने से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को जांच करने और अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्त तक प्रतिवेदन देने के लिये सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वृत्त चित्र और समाचार दर्शन के बारे में प्रसारण और सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर लिये गये निर्णयों संबन्धी पांचवां विवरण

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से वृत्त चित्र और समाचार दर्शन के बारे में प्रसारण और सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की एक और सिफारिश पर लिये गये निर्णयों सम्बन्धी पांचवें विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4240/70]

———

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं श्री भगवत झा आजाद की ओर से विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1805 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4241/70]

प्रतिवेदन, नियम तथा वार्षिक लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, चीनी उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०-4242/70]

(दो) वनस्पति के लिए रंग की खोज के लिये व्यापक अनुसंधान सम्बन्धी समन्वय के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०-4243/70]

(तीन) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय भाण्डागार निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1252 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4247/70]

(चार) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०-4244/70]

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री पी० पार्थसारथी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1970-भाग 3, 4 और 5-की एक प्रति।

(दो) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—4248ए/70

———

नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1294 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**—4245/70]

(दो) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, खान (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1786 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**—4246/70]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

130वां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय—पर्यटन विभाग—सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के 90वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 130वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

————

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : महोदय ! मैं आपकी अनुमति से 16 नवम्बर से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्यवाही घोषित करता हूँ :—

(1) आज की कार्यवाही से आगे लेजाया गया कोई भी मद ;

(2) विचार तथा पारित करना :

(एक) संसद के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1970

(दो) दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेंट लेबर (निरसन) विधेयक, 1967

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1970

(4) देश में तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में प्रस्ताव पर बुधवार, 18 नवम्बर, 1970 को 3-30 बजे म० प० पर आगे चर्चा।

(5) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर 19 नवम्बर, 1970 को चर्चा।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I demand that the Report made on the defection should be discussed in the House during the next week.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, in view of the divergant opinions on the death of the late Shri Lal Bahadur Shastri spreading over the country, I want that this matter should also be discussed in House in the next week.

I also request that the Minister of Food and Agriculture should be asked to make an statement ensuring that the sugar-cane growers would not be caused any loss by the owners of the sugar mills as the crushing of sugar-cane has been started by now.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई अन्तरिम राहत की क्रियान्विति से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्हें 15 या 25 रुपयों की राहत के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया गया रेलवेमैन्स फैडरेशन तथा इन्डियन डिफेंस एम्पलाईज फैडरेशन ने यह निर्णय किया है कि यदि इस अन्तरिम राहत में संशोधन नहीं किया जायेगा तो हम आन्दोलन आरम्भ करेंगे। 70 रुपया प्रति मास की मांगी गई राहत को स्वीकार करना पड़ेगा। अतः निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बारे में कहा गया था कि उनके मामले पर विचार किया गया है किन्तु अभी तक वे काम पर नहीं लिये गए। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्री इस बारे में भी वक्तव्य दें।

अन्त में मैं महाराष्ट्र की हड़ताल का उल्लेख करता हूं। लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन आदि दिया जाये। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भी यही मांग है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सहायता माँगी है अतः यह वित्त मंत्री महोदय का उत्तरदायित्व है। इस संबंध में भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, my first point is that the Bill of Shri T. Vishwanathan which has been submitted by the Committee should be passed in this Session.

My second point is that the matter pertaining to the privy purses in before the Supreme Court. I want to know whether the Bill, seeking the removal of the Articles, in this regard from the Constitution will be brought before the House in the next week.

My third point is that the discussion on the Fourth Plan should be held during the current session positively.

It has been observed in the newspapers that Britain has used Veto power against the Afro-Asian proposal on Rhodesia. I have tabled a Calling Attention Motion in this regard I request that my Calling Attention Motion should be accepted. If it is not possible for you to accept it, kindly ask the hon. Minister to make a statement on this subject because Britain is becoming hurdle in the progress of Afro-Asian word.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, the employees of the Maharashtra Government have gone on strike from yesterday. More than three lakhs of employees are participating in this strike. The employees of that State are demanding the parity with the Central Government employees. There is no Constitution in that State. More than 55 lakhs of people of Bombay could not get the supply of milk. It is a serious matter and should be given due consideration.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। वह इस समय केवल अपने सुझाव दे सकते थे कि अगले सप्ताह किस विषय पर विचार किया जायें। यदि माननीय सदस्य और भी कुछ कहेंगे तो उसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री जार्ज फरनेन्डोज : **

श्री अम्बाजान (तिरुचेगोड) : एक व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले जिनका सम्बन्ध राज्यों से है, यहां नहीं उठाये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। नियम समिति में प्रत्येक दल के सदस्य हैं और वे दल अपने सदस्यों द्वारा इस मामले को नियम समिति में उठा सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The business in the banks in Bihar is completly at standstill. Few employees have been suspended. The hon. Minister should make a statement in this regard in the House or a full debate should be held in this House on this score. The suspended employees should be taken back in service and other demands of the employees should be acceded to.

It has appeared in the newspapers today that railway godown at Barauni has caught fire and property worth one crore of rupees has been lost. The hon. Minister of Railways should make a statement in this regard. I want to know whether the culprits have been apprehended or not ?

The Government should solve the problems of the policemen sympathetically.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे जो भी मामला उठाना चाहें उस बारे में वह कार्य मंत्रणा समिति को लिख कर दें। यहां पर इस प्रकार से किसी मामले को नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा निवेदन है कि हमें ये कुछ रियायतें मिली हुई हैं उनका काम नहीं किया जाना चाहिए।

**सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ऐसे मामले लिख करके समिति को भेजने चाहिये। हम प्रतिवेदन में सदस्य के नाम तथा उनके द्वारा उठाये जाने वाले विषय का तथा उस बारे में समिति के निर्णय का उल्लेख कर देंगे। ऐसे मामलों पर यहां कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अपना विनिर्णय देने से पूर्व आप मेरी बात सुन लीजिये। आप हमारे अधिकारों को कम मत कीजिए। यदि आप चाहें तो समय में कटौती कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा में किसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक छोटे मोटे मामलों पर आप भाषण आरम्भ कर देते हैं। मैं इस बारे में एक निश्चित नीति अपनाने जा रहा हूं। आपको अध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठना पसन्द नहीं करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पीठासीन के अपमान में कोई बात नहीं कही। मैं ऐसा कभी करूंगा भी नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी मेरा सम्मान करें।

Shri K. N. Pandey (Padravna) : This year the price of sugar-cane was not fixed at the time of sowing. The sugar factories are going to start functioning. This matter concerns crores of farmers. Some time should be found out for discussion on this subject.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The price of sugar-cane has not yet been fixed. Some time should be allotted for having discussion on this subject.

Some time should also be found out for discussing the matter relating to their ceiling on urban property.

The hon. Minister should make a statement in regard to the problems of police.

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : जैसाकि आप जानते हैं यह कार्यक्रम कार्यमंत्रणा समिति के परामर्श से ही निश्चित किया जाता है। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अनेक लाभदायक सुझावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मंत्रियों के समक्ष रख दिया जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for lunch till Thirty minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर तेंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after lunch at Thirty-three minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[**Shri K. N. Tiwary** *in the Chair*]

Shri Balraj Madhok (दक्षिण दिल्ली) : The Delhi Development Authority which is directly under the control of the Central Government has sold houes to people, mostly

Government employees after developing few colonies. The purchasers of those houses were issued fourteen days notice which has been received by them only today but the staff of the D D.A. went in the colonies and demolished several houses yesterday. Such an injustice should be stopped. The hon. Minister concerned should make a statement in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The pay scales of the Principals of the Schools have been raised by 80 percent whereas this rise in the pay scales of the primary teachers is duly seven to eight percent. There has been a great discrimination in this regard. The hon. Minister should make a statement in this regard. There people are giving **'dharna'** at the residence of the Prime Minister.

———

कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक–जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : No basic change is being made in taxation laws through this Bill. It is also clear that Government is not pursuing any clear-cut policy in regard to taxation. It becomes the duty of the Government to mobilize all resources for the development of the society which are at present under the control of the private people.

Ceiling should be fixed on individual incomes. Although we should not compare ourselves with America as their living and education is much higher yet I would say that their taxation system is not fool proof. Ceiling on income will also help in simplifying and rationalizing our taxation system. The Government should take this courageous steps of fixing ceiling on individual incomes as it will help in strengthening not only the taxation system but also our economy.

The provision in this Bill regarding registration and 'Benami' partner is appreciable.

I agree with the definition of agricultural income and assests which was given in the Finance Act presented in February last.

The exemption given to foreign technicians in India is too much. It should be reduced.

The Hindu undivided family has become an instrument for evading taxes. Its shape has undergone many changes.

More concession in income tax should be given to blind and permanently crippled persues. Exemption limit in this regard should be raised to five thousands. I do not agree with my hon. friend Shri Salve in regard to the corporal punishment.

The fees in regard to those cases which are taken to High Court from Appellate Tribunal should not be reduced.

I will request the hon. Minister to accept my amendment which will help in stream-living and rationalizing the system. It will also improve the language of the Bill. I support this Bill because something is better than nothing.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Although there are some good things in this Bill yet I believe it will put more burden on the people and it will create more problem for the people. One good thing in the Bill is that the Income-tax Officer has been authorised to correct the farm of it appears that it has been wrongly filled in. It will help thousands of people and burden of the Income-tax Officers will also be reduced.

In my opinion the Income-tax law should not be changed every now and there. It should not be changed for five to seven years. Once amendments is made in the laws so that people could understand it fully well.

Exemption limit should be raised from four to six thousands of rupees ? Although Government will bear sameless in revenue on this account the people will be benefitted more as compared to Government loss.

I welcome the restrictions imposed on the foreign technicians in this Bill. These restrictions are essential for encouraging and providing more opportunities to our own engineers. Exemption in Income-tax should be given to only those foreign engineers where services are absolutely necessary in the industry.

The provisions made in this Bill in regard to Hindu undivided family are not satisfactory. I would request the Government to reconsider there provisions as it will not fatch revenue to the Government.

The provision for awarding punishment to a person who filed his income-tax return little late should be mistably amended. We should not convert income-tax law into criminal land. It will spread corruption among the Income-tax Officers and they win harass the income-tax payers.

I welcome the provision in regard to the registered partnership but I cannot support the clause relating to 'Benami' partner.

I hope the hon. Minister will reconsider the points raised by me.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह विधेयक प्रवर समिति के सदस्यों की मेहनत का परिणाम है। इस विधेयक में अनेक नई बातें हैं जिनका कर दाताओं द्वारा तथा समूचे देश द्वारा स्वागत किया जायेगा।

पिछले बीस वर्षों में भारतीय उद्योग तथा भारतीय तकनीकी जानकारी में पर्याप्त विकास हुआ है। अतः हमारे कानून को इस विकास के अनुरूप ही होना चाहिए। अतः समिति ने विदेशी तकनीशनों को कर में और आगे छूट न देने का निर्णय किया है। इससे भारतीय इन्जीनियरों को लाभ पहुंचेगा। इसमें भारतीय इन्जीनियरों में आत्म-विश्वास भी उत्पन्न होगा।

इस विधेयक के अन्तर्गत व्यय में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की राशि का कर से निकालने की एक नई बात कही गई है। इससे उद्योगपतियों को लाभ होगा और मुझे आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में देश में औद्योगिक विस्तार होगा। नये उद्योग स्थापित होंगे।

हिन्दू अविभक्त परिवार सम्बन्धी संशोधन पर प्रवर समिति में पूरी तरह विचार किया गया है। विधेयक का उद्देश्य केवल इतना है कि इस पुरानी संस्था द्वारा कर अपवंचन न हो।

मुझे आशा है कि इन नई बातों का सभी लोग समर्थन करेंगे। इसमें कर विधियों में आगामी कुछ वर्षों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक विचारों की खिचड़ी मात्र है। इससे सरकार के भ्रामक विचारों का बोध होता है।

भूतपूर्व वक्ताओं के विचारों से यह बोध होता है कि उद्योग और व्यापार को रियायत के रूप में बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

यद्यपि यह दावा किया जाता है कि उक्त विधेयक का उद्देश्य भारतीय आयकर अधिनियम को युक्ति संगत तथा सरल बनाना है लेकिन उत्तर उद्देश्य इस विधेयक से पूरा नहीं हुआ है ।

विदेशी तकनीशनों को 4,000 रुपये प्रतिमास कर मुक्त करने का सुझाव रखा गया है।

मैं हमेशा भारतीय तकनीशनों का पक्षपाती रहा हूँ । मेरा विचार है कि यदि किसी काम के लिए देश में तकनीशन उपलब्ध हों, तो विदेशों से तकनीशनों को नहीं बुलाना चाहिए । विदेशी तकनीशनों को अब तक तथा भविष्य में बुलाने के लिए सरकार जिम्मेवार है ।

यह कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में विदेशी तकनीशनों की आवश्यकता होती है तो विदेशी तकनीशनों को 1000 डालर या 7,500 रुपये प्रतिमास कम से कम कर से मुक्त किया जाना चाहिये । अब सरकार यह कहती है कि 4000 रुपये से अधिक धनराशि का, 7500 रुपये तक, भुगतान या तो मालिक या उस कम्पनी को करना होगा जो विदेशों से तकनीशनों को बुलायेगी ।

सरकार विदेशी तकनीशनों के आगमन पर यथा सम्भव रोक लगा सकती है । लेकिन यदि देश में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए तकनीशनों की आवश्यकता हो, तो उन्हें 7,500 रुपये की यह छूट देना उचित होगा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि नई धारा 35 (घ) इसमें जोड़कर उद्योग को बहुत अधिक छूट दी गई है । ऐसा पहली बार ही हुआ है कि उन्होंने अंश में ही, और वह भी बहुत छोटे अंश में, स्वीकार किया है कि व्यय की राशि को कराधान की राशि से घटाने का काम भी लेखे का एक मद है और जो कुछ राजस्व व्यय अथवा पूंजीगत व्यय से नहीं हो सकता था तथा भारतीय उद्योग के साथ अब तक जो अन्याय हुआ है उसे आधा पूरा करने के लिए कहा गया है । पहली बार लगाई गई पूंजी पर, जैसा कि इस विधेयक में परिभाषित है, 2 प्रतिशत की जो तुच्छ राशि की छूट दी जाने की बात कही गई है वह वास्तव में छूट नहीं है । यह तो वास्तव में नई दिशा में एक कदम है ।

श्री पाणिग्रही ने यह भी कहा है कि अन्य देशों में यह प्रथा प्रचलित नहीं है । किसी एक व्यक्ति को जब उसका आंशिक रूप से मतलब सिद्ध हो तो किसी देश का हवाला देना उचित नहीं ।

यह कहा गया है कि जहां तक आयकर सुविधाएं और मान्यता देने का प्रश्न है, हिन्दू संयुक्त परिवार पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता है । संयुक्त हिन्दू-परिवार में, जो आश्रित अथवा असमर्थ हैं या जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, के पालन पोषण के लिए जो खिचड़ी पकाई गई है, उसको समाप्त करने के लिए यह प्रतिगामी पत्र है । ऐसा करने का यह उचित समय नहीं हैं । जब तक सरकार इस स्थिति में न हो कि वह बेरोजगारी का बीमा कर सके या समाज के वर्गों को राहत या सहायता न दे सके, हमें इसकी आवश्यकता है । अतः संशोधन द्वारा हमने यह सुझाव दिया हैं कि जब तक किसी विशेष धन सग्रह या निधि का और विभाजन नहीं कर लिया जाता तब तक सरकार इसे चलने दे और इसी सीमा तक इस विधेयक में संशोधन करे ।

बेनामी का भी उल्लेख किया गया है। उक्त प्रणाली को देश में तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये।

औद्योगिक उपक्रमों के राज्य में ही स्थानान्तरण के विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। कच्चे माल, बिजली या स्थान के विचार से यदि किसी औद्योगिक उपक्रम को एक ही राज्य में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना आवश्यक हो गया हो तो ऐसे कारणों में उस औद्योगिक उपक्रम को इसका पूरा लाभ दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए परिशोधन-संबन्धी यह खण्ड अधूरा है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना चाहिए।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : आयकर, उपहार कर और सम्पदा शुल्क में संशोधन उचित दिशा में एक कदम है। इस बात की शिकायत की गई है कि कर सम्बन्धी विधि बहुत पेचीदा हो गई है। बेनामदारी, साझेदारी और हिन्दू संयुक्त परिवार के नाम पर कदाचार किये जाने के बारे में भी शिकायतें की गई हैं। उनको दूर करने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। यदि आयकर, उपहार कर, संपदा शुल्क आदि को देश में उचित ढंग से लागू किया जाये तो देश में जो आज असमानता विद्यमान है वह नहीं होती। अतः यह आवश्यक है कि उन कानूनों को लागू करने में जिन अनुचित कार्यों का प्रयोग किया जाता है और उनके कारण जो जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें रोका जाये। यदि आयकर का भुगतान निर्धारित दर से किया जाये तो कोई भी व्यक्ति अब अधिक लाभ नहीं कमा सकता इन कानूनों के कारण लोगों ने बहुत काला धन एकत्र कर लिया है। इस बारे में शंका व्यक्त की गई है कि यदि कराधान अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये गए तो इससे वे लोगों को और अधिक तंग करेंगे यदि हम उनको अधिक अधिकार नहीं देते तो करदाता के धनराशि का भुगतान न करके, बच निकलने की गुँजाइश है। इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए और इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि करदाताओं तथा ईमानदार व्यक्तियों को परेशान न किया जाये।

हमारे देश के 90 प्रतिशत व्यक्ति बहुत निर्धन हैं और उनके लिए बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून इस ढंग से लागू किये जाते हैं कि किसी को भी संयुक्त हिन्दू परिवार के बहाने करों से बचना सम्भव हो सकता है। अतः ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति हिन्दू संयुक्त परिवार के नाम से बकाया करों से बच सके। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में यह गंभीर प्रयास नहीं है।

जो व्यक्ति सरकार को लाखों और करोड़ों रुपयों का धोखा देता है उसे आपराधिक कानून के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना चाहिये। हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जिनकी कम से कम आलोचना हो।

यह विधेयक उचित दिशा में एक कदम है। इस विधेयक से साधारण लोगों को तथा व्यापारियों को कुछ रियायतें मिलीं हैं। सरकार को कर सम्बन्धी कानून को यथा शीघ्र सरल बनाना चाहिए। इसकी पेचीदगियों को समाप्त किया जाना चाहिए। वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे ही व्यक्ति नियमित रूप से करों का

भुगतान करते हैं। कराधान अधिकारियों का वेतन भोगी व्यक्तियों से बहुत कठोर व्यवहार है। हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए और कराधान विधि में संशोधन करना चाहिए।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कराधान को सरल और व्यावहारिक बनाना है। लेकिन इसका प्रभाव यह हो रहा है कि विभिन्न समितियों के नियुक्त किये जाने के बावजूद भी, कानून और जटिल होता जा रहा है। अभी तक भूतलिंगम समिति की सिफारिशों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधो समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

67 वां प्रतिवेदन

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 67वें प्रतिवेदन से, जो 10 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत हैं।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to move an amendment on it. As the Government is not going to introduce any Bill in this connection, the Parliament will not have the opportunity to give its views in this matter. I therefore, request that this Report should again be referred to the Committee with the recommendations that the Bills regarding abolition of Bihar and Uttar Pradesh Legislative Councils should be given preference and the Parliament should be given an opportunity to discuss that matter. I am therefore, introducing that amendment.

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I fully agree with the amendment presented by Shri Madhu Limaye. So far as the question of Constitution is concerned it is necessary the Constituent Assembly should pass the motion with two-third majority. This motion has not only been passed with the two-third majority by both the Constituent Assemblies but information in this regard has already been sent to the Speaker of the Lok Sabha. It was the duty of the Government to get the Bill passed. But the intention of the Government in this regard is not clear.

Mr. Chairman : As the hon. Member has not given any notice in advance regarding the moving of amendments I cannot give him permission to do so.

Shri Madhu Limaye : This type of motion does not require prior notices.

Shri Shri Chand Goyal : According to rules it is not necessary to give prior notice in this connection. When the motion was passed by both the Constituent Assemblies was it not the duty of the Government to introduce a Bill in this connection. The Government is not willing to do so under some pressure. In such circumstances we should give priority to the private Member's Bills introduced by the two hon. Members.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : A Bill is being put to ballot and it does not depend upon the Committee to give priority to a Bill. This Bill has been rejected by the Committee. It could come in ballot also.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यह सदन सर्वोच्च निकाय है और हमने अनेक बार-कार्य मंत्रण समिति के निर्णयों का पुनरीक्षण किया है। जहां तक गैर सरकारी विधेयकों और संकल्पों का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पो सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसे सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। मैं मधु लिमये की इस मांग का समर्थन करता हूं की विधेयक को श्रेणी 'क' में रखा जाना चाहिए। सदन समिति का निर्णय बदल सकता है।

Mr. Chairman : Do you agree that the Bill regarding abolition of Bihar Legislative Council be referred again to the Committee on Private Members Bills of Resolution to take a decision thereon ?

कुछ माननीय सदस्य : हम इस बात से सहमत है।

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव आपके सामने है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 67 वें प्रतिवेदन से इस रूप-भेद के साथ सहमत हैं कि श्री भोगेन्द्र झा के बिहार विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1970 के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न को फिर से समिति को सौंपा जाये।"

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध सदन में प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है।

Mr. Chairman : Mr. Madhu Limaye objected to it and therefore I put it to the vote of the House and it has been carried out.

संसद-कार्य पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : क्या यह वही संशोधन है जो श्री मधु लिमये ने प्रस्तुत किया था ? आपने इस सभा में मतदान के लिये कब रखा था।

सभापति महोदय : मैंने इस सभा में मतदान के लिए रखा था और वह स्वीकार कर लिया गया।

श्री रणधीर सिंह : हम इस सम्बन्ध में सभा में मत विभाजन नहीं चाहते।

सभापति महोदय : मैं उनको दोबारा पढ़ता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 67 वें प्रतिवेदन से इस रूप-भेद के साथ सहमत है कि श्री भोगेन्द्र झा के बिहार विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1970 के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न को फिर से समिति को सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

———

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

(Amendment of Article 16)

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

(Amendment of the Seventh Schedule)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): Mr. Chairman, Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 74 का संशोधन)

(Amendment Article 74)

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा का संशोधन)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 53)

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।"

यह मृत्यु दण्ड से संबंधित है और संशोधन यह है कि मृत्यु दण्ड केवल नियन्त्रित सीमा में दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री आ० ना० मुल्ला : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 335 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 335)

(1970 **का विधेयक संख्या** 101)

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० कृ० दास चौधरी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 335 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 335)

(1970 **का विधेयक संख्या** 100)

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री सिद्दय्या : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

विनियोक्ता विनियोग विधेयक

APPROPRIATION OF THE APPROPRIATORS BILL

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move for leave to introduce a ill to nationalize the Private Industrial Companies.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि सदन इसे ास करने को सक्षम नहीं है।

सभापति महोदय : आपने इसके लिए कोई सूचना नहीं दी है। अतः मैं आपको बोलने अनुमति नहीं देता क्योंकि प्रथा के अनुसार किसी विधेयक के पुरःस्थापित करने का विरोध रने वाले सदस्य को पहले सूचना देनी पड़ती है।

प्रश्न यह है :

'कि गैर-सरकारी औद्योगिक कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 62	**विपक्ष में** 11
Ayes 62	**Noes 11**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

Shri Shiva Chandra Jha : I Introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 33० का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 338)

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री सिद्दय्या : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 330क, 3.2क का अन्तःस्थापन और अनुच्छेद 332 तथा 334 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLES 330A, 332A, AND AMENDMENT OF ARTICLES 332 AND 334)

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री सिद्दय्या : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

भूतपूर्व संसद-सदस्यों के लिये पेंशन और अन्य सुख-सुविधाएं विधेयक

PENSION AND OTHER AMENITIES TO THE EX-MEMBER OF PARLIAMENT BILL

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for pension and other amenities for the ex-Members of Parliament.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व संसद-सदस्यों के लिए पेंशन और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 54 ; **विपक्ष में** 32

Ayes 54 ; Noes 32

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I introduce the Bill.

धार्मिक स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक

RESTORATION OF RELIGIOUS PLACES BILL

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for restoration of religious places under illegal occupation to their legal claimants.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जिन धार्मिक स्थानों पर अवैध कब्जा है, उनका वैध दावेदारों को प्रत्यावर्तन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Jagannath Rao Joshi : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 156 का संशोधन आदि)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (SUBSTITUTION OF ARTICLE 155 AND AMENDMENT OF ARTICLE 156, ETC)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(अध्याय 11 और धारा 144 का प्रतिस्थापन)

(Substitution of Chapter XI and Section 144)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 124)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री प्र० के० देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)—जारी

(Amendment of Articles 330 and 332)—*Contd.*

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This Bill seeks for provision of reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and State Assemblies according to the ratio of their population in their respective States or Union Territories. This is essential because proper and adequate representation has not been given to these people in the part and most of the part of their population has been ignored and their condition has not been improved upto the desired extent though they have been given opportunity to improve themselves. Now it is necessary that efforts are made to improve their economic condition and social status and in every sphere of life. This can be possible only when they are given proper representation in Parliament, State Legislatures and even in the cabinet in proportionate to the ratio of their population...(*Interruptions*)

रोजगार गारन्टी विधेयक

EMPLOYMENT GUARANTEE BILL

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अट्ठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को और विशेषकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के उन नागरिकों को जिनके नाम रोजगार की गारन्टी देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अट्ठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को और विशेषकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन नागरिकों को जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, रोजगार की गारन्टी देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन

(Substitution of Article 155)

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राम सुभग सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)—जारी

(Amendment of Articles 330 and 332)—*Contd.*

Shri Ramavatar Shastri : It has been found in the last General Elections and mid-term elections that our Harijan voters were not allowed to exercise their right to franchise freely. They were forcibly stopped. Therefore some concrete steps should be taken to ensure that these people are allowed to caste their vote freely.

I strongly support this Bill. Government should accept the Bill so that injustice being done to Scheduled Castes and Scheduled Tribes people may be removed and proper and adequate representation in Parliament and State legislatures may be given to them.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a matter of great pleasure that the Bill moved by Shri Suraj Bhan has received support from all corners of the House, that Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given adequate representation in the Lok Sabha and State Assemblies according to their population. If this Bill is passed, Scheduled Castes and Scheduled Tribes would get 9 and 10 more seats respectively in Lok Sabha and in the similar manner their representation would increase in the State Assemblies. But it is pity that this Government is not honest and serious in this matter. There is only one seat for Lok Sabha in Andaman and Nicobar Islands. The Government has, some how, declared this seat as unreserved. But according to the findings of the Elayaperumal Committee and the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes this seat should have been declared a reserved one.

The general condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can not be improved and their social and economic problems cannot be solved merely by increasing the number of their seats in Lok Sabha and State Legislatures. But Government should ensure that proper and adequate protection is given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of services and their social and economic conditions should be improved.

Mr. Chairman : Shri Prakash Vir Shastri had raised a question regarding death of Lal Bahadur Shastri. The hon. Minister for Home Affairs will make a statement in this regard.

श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में :
RE : DEATH OF SHRI LAL BAHADUR SHASTRI

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह आरोप लगाया गया है कि सरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में दस्तावेजों को बदलवा रही है। परन्तु मैं इस आरोप का पूर्णत: खण्डन करता हूँ। सरकार की ओर से शीघ्र ही इस मामले से संबंधित कारणों और परिस्थितियों के बारे में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : A Commission should be appointed which can go into this matter.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Employees, like stenographer, who know about the facts and circumstances under which Shri Lal Bahadur Shastri died are being pressurised not to say that Shri Lal Bahadur Shastri did not die of his natural death. When Shrimati Lal Bahadur Shastri and people of this country are suspicious about the death of Shri Lal Bahadur Shastri, Government should appoint a Commission to go into this matter.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)—जारी
(Amendment of Articles 330 and 332)—*Contd.*

Shri M. G. Vikey (Mandla) : The persons who are now supporting this resolution were not in favour of giving any facility or reservation to Harijans and Adivasis. The Harijans and the Adivasis got these facilities only because of Mahatma Gandhi. Nearly 1.5 million of people had been deprived of their right for the last 15-20 years. In 1966, when the representatives of Harijans and Adivasis and leaders of other parties were called to discuss the matter of inclusion and exclusion of Scheduled Castes, Jan Sangh representative strongly objected to the principle of reservation of seats for the Harijans, Shri Dahyabhai Patel, the Swatantra party leader also opposed the reservation of seats for the Harijans.

When the census of the people is token, the figures for Harijans and Adivasi Communities are shown deflated, whereas figures of other communities are inflated. When census of the people is completed in 1971, the seats for Harijan and Adivasi communities should be reserved in proportion of their increased population.

श्री सी० के० चक्रपणि (पोन्नाणि) : मेरे माननीय मित्र श्री सूरजभान द्वारा पेश किये गये इस विधेयक का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मुख्य प्रश्न तो यह है कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। अगर श्री सूरजभान का विधेयक पारित हो जाता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित व्यक्तियों को 19 स्थान और मिल जायेंगे। इस समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए 112 स्थान सुरक्षित हैं। परिसीमन आदेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए 77 और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 37 स्थान सुरक्षित हैं। इस विधेयक के पारित हो जाने पर अनुसूचित जातियों

के लिए 86 स्थान सुरक्षित हो जायेंगे और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 47 स्थान। इस प्रकार 19 स्थानों की वृद्धि होगी।

मुख्य समस्या हरिजनों के लिए संसद अथवा विधान सभाओं में अधिक स्थानों का आरक्षण नहीं है। असली समस्या तो यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भूमि का वितरण नहीं किया गया है। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जब हरिजनों को भूमि देने की समस्या के बारे में कोई ठोस विधेयक लाने का प्रश्न आया तो लगभग सभी मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने से हरिजनों की आर्थिक स्थिति मे सुधार नहीं किया जा सकता।

हरिजनों के उत्थान में एक बड़ी बाधा जाति प्रथा का जारी रहना है। सवर्ण हिन्दुओं द्वारा शताब्दियों से हरिजनों का दमन और शोषण किया जाता रहा है। नौकरियों में हरिजनों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। पिछले तीन वर्षों से केरल राज्य से एक भी हरिजन आई० ए० एस० अथवा आई० पी० एस० में नहीं चुना गया है।

हरिजनों की स्थिति में सुधार हेतु उन्हें भूमि देने के लिए सरकार को ठोस विधेयक पेश करना चाहिए।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : हरिजनों के लिए संसद और विधान सभाओं में स्थानों को सुरक्षित करने का वस्तुतः प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन यह है कि जो समुदाय या व्यक्ति अपने हितों की स्वयं रक्षा नहीं कर सकते, उनको सुरक्षा प्रदान की जाय।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इस समय स्थिति यह है कि "यथासंभव निकटतम अन्श तक' गणना करने के कारण 0.5 प्रतिशत से कम की जनसंख्या को हिसाब में नहीं लिया जाता। इस विधेयक के अनुसार हरिजनों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी।

सामान्यतः जनसंख्या में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दस वर्ष की अवधि में यह जनसंख्या वृद्धि 20 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। गणना की पद्धति में मूल रूप से कोई न कोई गलती है। जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या की गणना सही रूप से करने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक उनकी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है।

इस प्रस्ताव को इस सभा द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे विचार में अगर सरकार स्वयं ही इस प्रकार के विधेयक को पेश करती तो इससे सरकार की इच्छा का पता चलता कि वह वास्तव में हरिजनों के हितों की रक्षा करना चाहती है।

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 332 (4) में दिए हुए "यथासंभव उसी अनुपात में" शब्दों के स्थान पर "उस अनुपात से कम नहीं" शब्द रखने के लिए कहा गया है। इस संशोधन को यदि

स्वीकार कर लिया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि लोक सभा में नौ अनुसूचित जातियों और नौ अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ जायेंगी।

प्रस्तावक सदस्य ने अपने संशोधन के शब्दों को संविधान के अनुच्छेद 332 के उप खण्ड 4 से लिया है। यह उप-खंड आसाम के स्वायत्तशासी जिलों से संबंधित है, जिनके हितों की सुरक्षा के लिए संविधान सभा की उप-समिति ने विशेष आरक्षण की व्यवस्था की थी। प्रस्ताव महोदय इस सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश पर लागू करना चाहते हैं।

बिहार में आय जनसंख्या के अनुपात से अनुसूचित जातियों के लिए 7.42 सीटें होनी चाहिये, परन्तु परिसीमन आयोग द्वारा केवल 7 सीटें ही वहां निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में अनुसूचित जातियां 7.02 सीटों के लिये हकदार हैं, परन्तु उन्हें 7 सीटें ही वहां मिली हुई हैं। उड़ीसा में वे 3.15 सीटों की हकदार हैं, परन्तु उन्हें 3 सीटें ही मिली हुई हैं। अगर इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया, तो इन सभी प्रदेशों में एक-एक सीट की वृद्धि होगी।

मुख्य कठिनाई तो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। उदाहरण के लिये गोआ, दमन, और दीव के लिए संसद की दो सीटें हैं। वहां की कुल जनसंख्या 6,26,000 है, जिसमें से अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लोगों की संख्या लगभग 30.000 हजार है। इस सिद्धांत के अनुसार वे इन दोनों सीटों के हकदार हैं। इसी प्रकार मणिपुर के लिए संसद की दो सीटें हैं। वहां की 7,80,000 जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 3,62,376 है। इस सिद्धांत के अनुसार वे दोनों के हकदार हैं। इस प्रकार वह इन स्थानों के शेष लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यही बात त्रिपुरा के संबंध में है।

यह सिद्धांत संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों पर लागू होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिद्धांत से उन स्थानों को दिक्कत होगी जिन के लिए प्रतिनिधित्व की संख्या कम है विधेयक के इस सिद्धांत का मैं विरोधी नहीं पर इस से कई कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। जनगणना के उपरान्त सीटों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढेगी। इसके पश्चात संविधान में परिसीमन आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध है। यह सब बातें हमें उसके लिए छोड़ देनी चाहियें।

अण्डमान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को स्थान न नियत करने की बात कही गई है। इस मामले को चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग को निर्देशित किया जायेगा। इस विधेयक के सिद्धांत को तो मैं स्वीकार करता हूं परन्तु इसमें कठिनाईयां हैं अतः मैं सदन पर छोड़ता हूं कि चाहे वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकृत करे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मेरा अनुरोध है कि अण्डमान द्वीप समूहों की जनसंख्या का अंकन ठीक प्रकार से किया जाए, जो कि नहीं किया जाता।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : I had hoped that the Government would not oppose this Bill. If this Bill is accepted then Scheduled Castes and Scheduled Tribes people would get 19 more seats. They were entitled to these and Government has been depriving them of these.

While talking everybody wanted this thing and that thing to be done for these people but in actual practice no body wants to do any thing. It is regretful that even Harijans and Adivasi members of this House do not support it.

Without taking more time I now request for voting on this.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले मतदाता विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok sabha divided

पक्ष में 91	**विपक्ष में शून्य**
Ayes : 91,	**Noes : nil**

सभापति महोदय : प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला।

प्रस्ताव सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित नहीं हुआ।

The motion was not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of less than two-third of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was negatived

व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक

CONFERMENTS OF DECORATION ON PERSON'S (ABOLITION) BILL

श्री जी० भा० कृपालानी (गुणा) : मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसरण में है। भारतीय सरकार द्वारा किसी भारतीय या विदेशी नागरिक को किसी उपाधि से विभूषित करना संविधान द्वारा निषिद्ध है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकों द्वारा किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करना भी निषिध है। यही नहीं यदि कोई विदेशी भारत में कार्य कर रहा हो तो वह भी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना इस सरकार से या किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।

इस व्यवस्था का कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति लोगों को उपाधियां दे देकर संचित की। लोग उनकी चाटुकारिता करते थे, हां में हां मिलाते थे और तब उन्हें उपाधियां दी जाती थीं।

केवल विदेशी सरकार ही अनुचित तरीकों से अपने लिए शक्ति संचित नहीं कर सकती। ऐसा किसी भारतीय सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि हमने इस सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा समय भी आ सकता है कि देश में दलगत सरकारें हों। इस स्थिति में अपने दल के शक्तिशाली बनाने या अनुचित तरीकों से शक्ति प्राप्त करने का अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिये। इसी कारण उपाधियों के उत्पादन की संविधान में व्यवस्था की गई। परन्तु यह पुरस्कार कैसे प्रारंभ हुए। इन्हें किसी सरकारी आदेश द्वारा लागू किया गया था। यह मामला विचार के लिए मंत्रीमंडल के समक्ष कभी रखा ही नहीं गया। केवल शब्दों के अन्तर द्वारा यह संभव बनाया गया। वास्तव में ये पुरस्कार लोगों के नामों के साथ जुड़े हैं ब्रिटिश उपाधियों की तरह इन्हें प्राप्त करने वाले लोग भी इन्हें फ्रेम में लगवा लेते हैं तथा इन्हें प्रदर्शित करते हैं।

सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो स्वयं उसके लिए बाधक बन जाए। वर्तमान सरकार की भांति एक और दोषपूर्ण सरकार आ सकती है और उन उपाधियों को उसी प्रकार प्रयुक्त कर सकती है जिस प्रकार अब प्रयुक्त की जा रही हैं। देखना यह है कि जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, योग्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं या नहीं। बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि शराब उत्पादकों को भी उपाधि दी जाती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : परन्तु वे शराब नहीं पीते हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी : प्रश्न उनके शराब पीने या न पीने का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि नशाबन्दी हमारे राज्य की नीतियों में से एक है। शराब उत्पादकों को उपाधि देना कितना असंगत लगता है। या तो नशाबंदी की नीति को ही समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो ऐसी उपाधियां शराब बनाने वालों को न दी जाएं। हमारी नीति समाजवाद की है। फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि अधिकांश पुरस्कार पूंजीपतियों को दिए जाते हैं।

श्री मधु लिमये (मूंगेर) : श्री गूजरमल मोदी को पुरस्कार दिया गया है।

श्री जी० भा० कृपालानी : यह कहा जा सकता है कि उद्योगपति देश को लाभ पहुंचाते हैं। यदि पुरस्कार देने का यही मानदंड है तो श्री टाटा को पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। श्री बिड़ला को तो पुरस्कृत किया गया है पर श्री मफतलाल को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया। ऐसा देखने में आया है कि देश के पश्चिमी भाग में उद्योगपतियों को पुरस्कृत नहीं किया जाता, केवल पूर्वी भाग में किया जाता है। उनको पुरस्कृत किए जाने का कारण यह नहीं है कि वे बड़े उद्योगपति हैं बल्कि इसलिए कि उनका मुख्य मंत्रियों पर प्रभाव है।

पुरस्कार कार्यकारी आदेश के अधीन राज्यों द्वारा 'कला साहित्य तथा विज्ञान की उपलब्धियों के लिए अद्वितीय सेवाओं पर तथा श्रेष्ठ कोटि की सार्वजनिक सेवा' पर दिया जाता है। श्री मोदी ने क्या सार्वजनिक सेवाएं की हैं? अभी-अभी सरकार ने सिनेमा के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को पुरस्कार देने के लिए तालिका बनाई और वी० शान्ताराम को पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। लेकिन पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। यह भी नहीं सूचित किया गया कि पुरस्कार किसी अन्य को दिया जाएगा। सरकार किसी के गुण दोषों की श्रेष्ठ निर्णायक

नहीं हो सकती। यदि हो भी, तो आने वाली सरकार श्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकती है ? सरकार अनूचित पुरस्कार देकर परिपाटी क्यों बना रही है ? पहले तो वर्ष में एक बार पुरस्कार देने का अवसर आता था, अब प्रत्येक अवसर पर पुरस्कार पाने वालों की एक सूची होती है। अभी-अभी एक पुरस्कार एक ऐसे कलाकार को दिया गया जिसने गांधी जी को सूअर का बच्चा कहा था। हमारे प्राचीन काल के कलाकार तो ऐसे नहीं थे। हमारे कलाकार तो धर्म-सेवी और साहित्य सेवी व्यक्ति रहे हैं।

मैं उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की दया प्रकट नहीं कर सकता जो मेरे राष्ट्र को गाली देता है, मेरे देश के नेताओं को गाली देता है। एक बार अफ्रीका में एक पठान ने महात्मा गांधी को घायल कर दिया, परन्तु गांधी जी ने उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। परन्तु जब सरकार ने उस पर सार्वजनिक अपराध का मुकदमा चलाया तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का कर्त्तव्य ही था। इसीं प्रकार जलियांवाला बाग की घटना को लिया जा सकता है। जिन लोगों ने गांधी जी को घायल किया, गांधी जी ने उन्हें कोई सजा नहीं दी परन्तु उन्होंने अपने देश या अन्य देशवासियों पर किये गये अत्याचार के लिए कभी किसी को क्षमा नहीं किया।

फिर इसके साथ ही हमें इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि प्रस्तुत अनुच्छेद 18, हमारे भौतिक अधिकारों वाले अध्याय में आता है। इस प्रकार उपाधियों से विभूषित करने से हमारे मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत आने वाले समानता के अधिकार का हनन होता है, इससे हमारी लोकतान्त्रिक प्रथाओं का हनन होता है। यह केवल नारेबाजी की बात नहीं है, यह जिन्दगी का तरीका है। यदि हम अपने नौकरों, अपने नीचे काम करने वालों और विरोधी दलों के साथ सभ्यतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, तो हम लोकतान्त्रिक नहीं हैं। हमारा समाजवाद केवल एक आडम्बर हैं। मैं कई ऐसे देशों के उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ जहां उपाधियों से विभूषित करना समाप्त कर दिया गया है जैसे कि अमरीका, आयरलैंड और कोरिया आदि।

अतः इसलिये मैंने प्रस्तुत विधेयक पेश किया है। इन पुरस्कारों से हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, ये लोकतंत्र और समाजवाद के विपरीत है, ये नागरिकों को दी गई समानता के प्रतिकूल है। इससे जनता उत्साहहीन होती है और इससे देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के सम्मान में कमी होती है। अतः जितना शीघ्र हो सके इसे समाप्त किया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जो लोग सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र के समर्थक हैं, सच्चे समाज-वादी हैं, वह सभी इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं, आदरणीय आचार्य जी द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करता हूँ। परन्तु उन्होंने अन्य देशों की जो तुलना की है वह सब जगह ठीक नहीं बैठती। यह जो अलंकरण पद्धति है यह हमारे देश के ऐतिहासिक परिवेष और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया हैं जबकि हमें यह महसूस करना चाहिये कि कितने ही ऐसे कारण हैं, जिनके आधार पर यह अलंकरण हमारी पद्धति से मेल नही खाते। हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। यह चीज इंगलैंड में सामन्तवादी परम्पराओं के कारण जारी

रह सकती हैं क्योंकि राजाओं से ही तो इस प्रकार के अलंकरण प्राप्त होते हैं, परन्तु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह नितान्त अनुपयुक्त है। इसका हमारे वर्तमान जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह पद्धति किसी प्रकार हमारे अतीत से निःसृत हुई है। अतः अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिये।

इन अलंकरणों को समाप्त करने का दूसरा कारण यह है कि आज तक जिस व्यक्ति को भी कोई उपाधि दी गई है, वह सदा ही विवाद का विषय रही है, भले ही यह उपाधि एक ऊंची परम्परा वाली सरकार द्वारा ही क्यों न दी गई हो। फिर हमारी सरकार तो सदियों तक भी अच्छी परम्परायें स्थापित नहीं कर सकती। यदि उपाधि प्राप्त करने वाले के बारे में विवाद बना रहे, तो उपाधि प्राप्त करने वाले के लिए भी इसका महत्व कम हो जाता है। अतः जितनी जल्दी यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाये, उतना ही अच्छा होगा।

निजी थैलियां, इस अलंकरण परम्परा में सबसे महत्वपूर्ण थी, हमने लोकतान्त्रिक ढंग से उसे भी समाप्त कर दिया है। जहां तक इस सदन का संबंध है, इसने तो उसे अपने दो तिहाई बहुमत से समाप्त कर दिया है। ऐसा करने में हमारा मूल उद्देश्य यही था कि जो इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लोगों का सम्मान प्राप्त करना चाहिये। इस प्रकार की परम्परा को बनाये रखने का क्या औचित्य है ? दूसरे यह हमारी गणतन्त्र की भावना के भी विरुद्ध है। अमरीका में यह अलंकरण कुछ समय के लिए प्रचलित थे, परन्तु एक ही सप्ताह में इन्हें समाप्त कर दिया गया। आपको मालूम है कि अमरीका में क्या हुआ ? अमरीका में इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई। इनमें कई लोगों ने विभिन्न सुझाव दिये, परन्ते इन सभी का त्याग कर दिया गया। जिन उद्योगपतियों या शराब बेचने वालों को आप इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित कर देते हैं, तो क्या वह अपना उद्योग ईमानदारी से करने लगते हैं या अच्छी शराब बेचना आरम्भ कर देते हैं ? नहीं, ऐसा नहीं होता। वास्तविकता यह है कि आज लोगों को हम जिस आडम्बरपूर्ण ढंग से यह उपाधियां प्रदान करते हैं, इससे वह लोग अपने आप को सम्मानित अनुभव नहीं करने। वह अपने आप को इस प्रकार सजाना नहीं चाहते।

आज हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां कि ईमानदारी का कोई सम्मान नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति की ईमानदारी को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। आज लोग इस अलंकरण पद्धति और उसके आडम्बरपूर्ण वितरण के ढंग से भयभीत हो उठे हैं। उन्हें यह आशंका बनी रहती है कि कल को कहीं कुख्यात व्यक्तियों को भी यह उपाधियां न मिलने लगे। अतः, यदि हम अपने देश के कुछ लोगों को इस प्रकार उपाधियां प्रदान करते रहेंगे तो इससे हमारी व्यवस्था की निन्दा होगी। अतः मेरा विचार है कि कभी न कभी तो हमें इन उपाधियों को समाप्त करना ही पड़ेगा। इसके लिए अवसर आते हैं...

सभापति महोदय : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 नवम्बर, 1970/25 कार्तिक, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 16th November, 1970/Kartika 25, 1892 (Saka)

———

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.